खण्ड-149, अंक-5
गुरूवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(24 फरवरी, 1955 ई0)

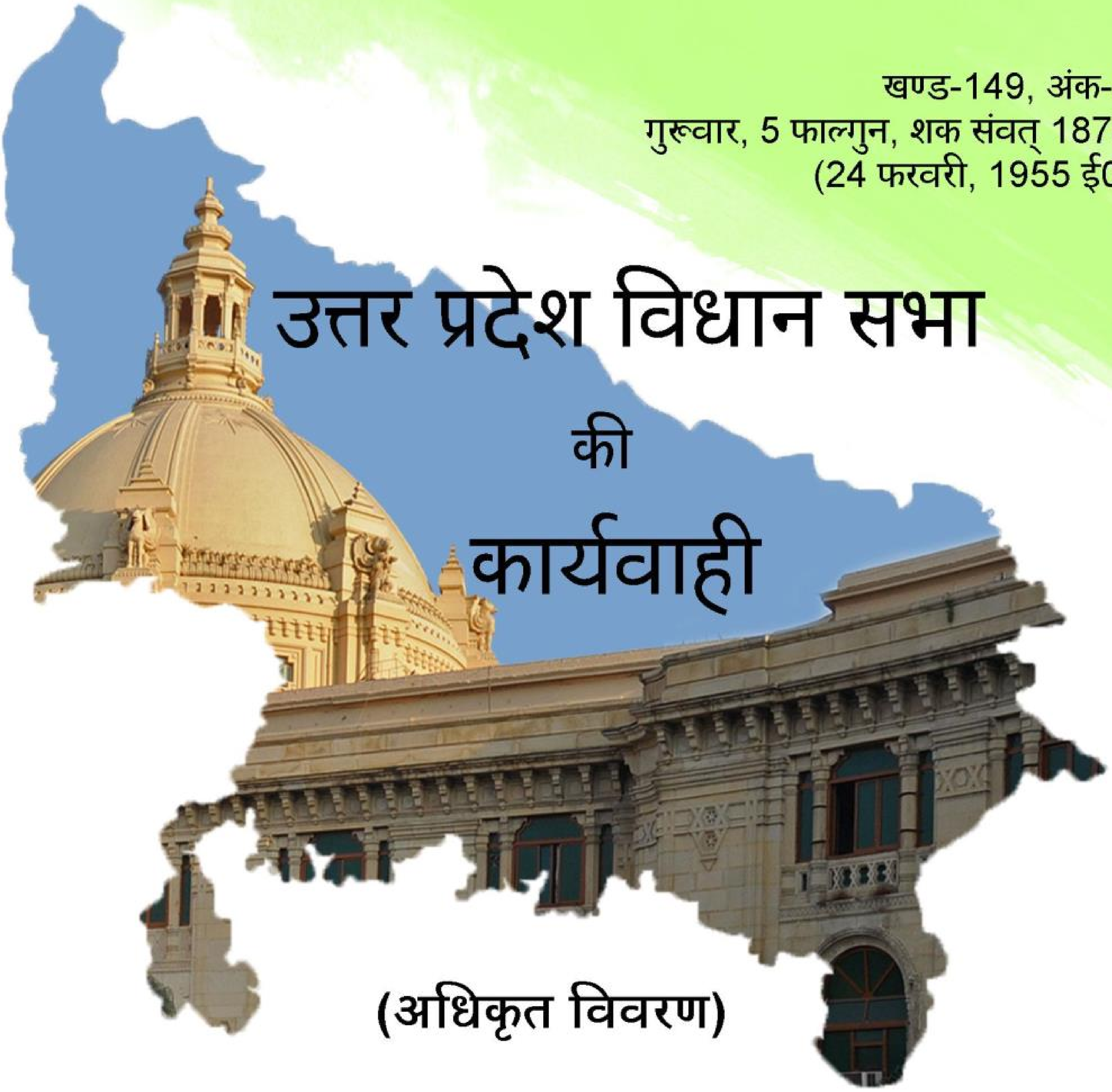

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 149 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०७)

चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
दनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भुपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मदनगोपाल, वैद्य श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित्त, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ फरवरी, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधायक निवास में स्थानाभाव

**१—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि विधान सभा के कितने सदस्यों को रहने के लिये विधायक निवास में स्थान नहीं प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---चौबीस।

**२---श्री रामेश्वर लाल---क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कितने सदस्य १ से अधिक कमरे अपने कब्जे में रखे हुये हैं अथवा २ की जगह अकेले कमरों को इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री धर्मसिंह---सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें किसी सदस्य के पास १ से अधिक कमरा हो। ३६ सदस्य ऐसे हैं जो कि बड़े कमरे को अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं।

**३---श्री रामेश्वरलाल---क्या वित्त मंत्री कृपा कर उन सदस्यों के लिये जिन्हें सरकार कमरा नहीं दे पाती अन्यत्र कमरों की व्यवस्था करेगी?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ में विधायकों के ठहरने की जिम्मेदारी सरकार की है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जिम्मेदारी तो क्या, एखलाकन यह जरूरी है कि गवर्नमेंट जहां तक हो सके मेम्बरों के लिये यह इन्तजाम करे।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही है कि जितने विधायकों को अभी तक ठहरने के कमरे नहीं प्राप्त हुये हैं, उन्होंने सरकार का ध्यान इधर बार-बार आकृष्ट किया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी जरूर किया है और उनके नाम हमारे पास वेटिंग लिस्ट पर लिखे हुये हैं। ज्यों ही जगह निकलती जायगी उनको दी जायगी।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बतायेगी कि कुछ सज्जन ऐसे भी हैं जो इस भवन के सदस्य नहीं रहे हैं और वे भी विधायक निवास में रह रहे हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---एक साहब ऐसे हैं जो पुरानी रेजीडेन्स में रहते हैं और पहले मेम्बर थे, लेकिन अब नहीं रहे हैं। हमने उनके खिलाफ कानून के मातहत नोटिस जारी किये हैं।

श्री वीरेंद्रपति यादव---क्या यह सच है कि इन सज्जन को पांच बार स्टेट कार्यालय द्वारा नोटिस दी जा चुकी है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, गालिबन पांच दफे और पांच दफे नहीं तो चार दफे तो जरूर दी जा चुकी है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार को मालूम है कि हमारी जो लेडी मेम्बर्स हैं वे बाहर हैं, उनको मकान की तकलीफ है और उन्होंने सरकार के पास दरख्वास्त भी दी थी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह भी सही है, दी थी दरख्वास्त।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतायेगी कि जो ऐसे साहब हैं जो मेम्बर नहीं रहे हैं उनसे किराया किस तरह से वसूल किया जायगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसके लिये तो कायदा है बना कि किस तरह से वसूल किया जाय।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा करके उन सज्जन का नाम बतायेगी जिन्होंने कमरे पर कब्जा कर रखा है, और निकलते नहीं हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं माफी चाहता हूं, वह नाम कुछ ऐसा है कि मुझे याद नहीं रहा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये विधायक निवास जो बने हुये हैं वे केवल एखलाक़ के लिये बने हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी जरूर, एखलाक़ की बदौलत तो बड़े-बड़े काम किये जाते हैं।

श्री रामेश्वरलाल—सरकार ने उत्तर में बताया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है, तो यह कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह अभी कोई दो महीने हुये जब विचाराधीन आया है और इन्तजाम हो चुकेगा तो विचार खत्म हो जायगा।

श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने कमरे होटलों में लगे हुये हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त तो नहीं हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (उपनाम छुन्नन गुरू) (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने सदस्य ऐसे हैं जो बग़ैर मकानों के रह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया। २४ बताया।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि विधायकों में भी माननीय मंत्री जी ने 'ए' और 'बी' श्रेणी का निर्माण किया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे तो 'ए' 'बी' और 'सी' का इल्म नहीं है कुछ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'ए' और 'बी' ब्लाक्स में कई होटल खुले हुए हैं?

श्री हफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, वहां के मेम्बरों के खाने का इन्तजाम है वह।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या यह सच है कि 'ए' ब्लाक में जो केयरटेकर लोग रहते हैं, वह कमरे मेम्बरों को मिल सकें, इसलिये उनके लिए अलग मकान बनाये जा रहे हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। यह सही है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जो फैमिली के साथ मुस्तकिल तौर पर रहते हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि कुछ मेम्बर साहबान जो अकेले रहते हैं वह अपने साथ कुछ राज कर्मचारियों को भी रखे हुए हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, यह ज्ञात तो है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'ए' और 'बी' ब्लाक में और पुराने रेजीडेंस में कितने ऐसे कमरे हैं जिनमें सदस्य नहीं रहते, दूसरे लोग रहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे इस वक्त तादाद तो याद नहीं है। लेकिन जैसा आप फरमाती हैं वैसा है जरूर ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—सरकार क्या इस बात का प्रयत्न करेगी कि उन लोगों को वह बाहर करे जो वहां पर रहने के अधिकारी नहीं हैं, जब कि हमारे बहुत से सदस्यों को जगह नहीं मिल रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार जरूर करेगी और करती भी है मगर उसमें कुछ मदद मेम्बरों की भी चाहिए है। तभी उसमें कामयाबी हो सकती है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कितने कमरे ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं और सिर्फ थोड़े समय के लिए इस्तेमाल होते हैं और माननीय सदस्यों को रहने के लिये कमरे नहीं मिल रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—खाली के मानों में खाली कोई नहीं पड़ा है। यह जरूर है कि मेम्बर ऐसे हैं जिनको इस वक्त कमरे नहीं मिल रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

ग्रामवासियों की आर्थिक दशा जानने के लिये तालिका की आवश्यकता

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के कुछ गांवों की आर्थिक अवस्था की तालिका प्रादेशिक सरकार द्वारा तैयार कराई गई है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस प्रकार की कोई तालिका तैयार नहीं कराई गई है।

*२—श्री राम सुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस तालिका के अनुसार कितने प्रतिशत व्यक्ति अभावग्रस्त हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास कोई इस प्रकार का विभाग है जो इस तरह की तालिका तैयार करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मालूम ही है कि स्टेटिस्टिक्स विभाग है जो कि जब-जब जरूरत होती है तो तालिकाओं को तैयार करता है। लेकिन इस किस्म की तालिका जिसका चर्चा प्रश्न १ में किया गया है, वह उस विभाग ने तैयार नहीं की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस विभाग में तालिका तैयार करने का काम होता है, ५४ की इस प्रदेश के किसी गांव की तालिका तैयार की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तालिकाएं तो कई प्रकार की तैयार हुआ करती हैं, लेकिन इस किस्म की कोई तालिका नहीं है और किस्म की तालिकाएं तैयार हुई भी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि प्रदेश में किसी जिले के किसी गांव की तालिका इस प्रकार से शीघ्र तैयार कराई जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं विचार करूंगा कि इसमे क्या क्या जरूरत है और यह कैसे हो सकता है।

४५० रुपये से अधिक वेतन वालों का मंहगाई भत्ता

*३—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि ४५० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों को महंगाई मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—४५० रु० माहवार से ज्यादा वेतन पाने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को जिनके बारे में यह सरकार नियम बना सकती है और जिन्होंने १९४७ की नई तनख्वाह की दरें इलेक्ट नहीं की हैं, अब भी महंगाई भत्ता मिलता है। इसका कारण यह है कि महंगाई भत्ते की नई दरें १९४७ की नई तनख्वाहों के संबंध में नियत की गई हैं और पुरानी तनख्वाहों के संबंध में नहीं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सरकारी कर्मचारियों को सन् १९४७ से पहले ४५० से अधिक तनख्वाह मिलती थी उनको महंगाई भत्ता न कहकर स्पेशल पे का नाम क्यों रखा गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मंहगाई का भत्ता सब को मिलता था। उसके बाद यह ४७ में तय हुआ तो जिनको स्केल दिया गया उनमें और इससे पहले के आदमियों की जो पे थी उनमें फर्क था। इसलिये यह बात पैदा हुई।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पहली तनख्वाह पर मंहगाई नहीं मिलती तो नयी तनख्वाह पर ही मंहगाई दी जाती है। तो पहली तनख्वाह पाने वाले को महंगाई क्यों दी गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उनका स्केल ज्यादा नहीं था, उनकी तनख्वाह कम थी।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रांत में पे के साथ जो मंहगाई का भत्ता दिया जाता है वह कब से खत्म वह करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पहले मंहगाई खत्म हो तो उसके बाद भत्ता खत्म होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मंहगाई की दर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो दी जाती है

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कम से कम तो २० रुपया है और मैक्सीमम क्या है इस वक्त मुझे याद नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—कितना वेतन पाने वालों को मंहगाई का भत्ता दिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर में अग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस बदलने में बिलम्ब

*४—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपूर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जिला कानपूर के अधिकांश बन्दूक, रिवालवर और पिस्तौल के लाइसेंस नवम्बर, सन् १९५३ से लेकर अक्टूबर, सन् १९५४ तक पुनः नहीं बदले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—नवम्बर, सन् १९५३ से अक्टूबर, सन् १९५४ तक तहसील अकबरपुर के केवल ३२ लाइसेंस पुनः नहीं बदले गये थे, क्योंकि स्थानीय अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे कि इन लाइसेंसदारों को लाइसेंस रखने का औचित्य है और इसलिये इनके मामले विचाराधीन थे। ये लाइसेंस अब पुनः बदल दिये गये हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लाइसेंसदारों के खिलाफ यह शिकायतें क्या थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह लाइसेंस आर्म्स रूल्स के मातहत दिये जाते हैं और जब जो रूल्स हैं उनकी पाबन्दी नहीं होती उस वक्त तक वह बदले नहीं जाते हैं। इसलिये उनके बदलने में देरी हुई। बाद को उनकी पाबन्दी की गयी तो लाइसेंस बदल दिया गया।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या यह सच है कि संबंधित लाइसेंसदार तहसील प्लानिंग कमेटी के पदाधिकारी, जिला बोर्ड के सदस्य और प्रमुख जनसेवकों में से है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, मैं समझता हूं वह कई इन कमेटियों के सदस्य हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जब तक यह लाइसेंस नहीं बदले गये और जिस तारीख पर इन लाइसेंसों की मियाद खत्म होती थी, उसके बाद यह हथियार कहां रहे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--लाइसेंस का कार्य मियाद के अन्दर ही हो जाता है और यह कार्यवाही भी मियाद के अन्दर खत्म हो गयी थी, इसलिये गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने की नौबत हीं नहीं आयी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि कमेटी के सदस्यों द्वारा जांच करने के पश्चात् ये शिकायतें सत्य पायीं गयी या असत्य ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कुछ सच पायी गयीं और कुछ गलत पायी गयीं।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो शिकायतें सच पायी गयीं उनको क्या दंड दिया जया और उन लोगों के लाइसेंस बदले गये या नहीं बदले गये ?

श्री अध्यक्ष--यह जवाब दे दिया गया है कि बाद को लाइसेंस दे दिये गये।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय गृहमंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि लाइसेंस ३१ दिसम्बर, तक बदले जाने चाहिये लेकिन उनके पास हथियार उसके बाद भी रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि लाइसेंस १५ अक्टूबर, तक नहीं बदले गये थे। अब मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--सवाल इस बात का किया गया था कि लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए उसका जवाब दिया जा चुका है। यह अब आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल भी आपका उसमें नहीं आता था लेकिन मैंने उसकी इजाजत दे दी, अब आप शाख में शाख निकाल रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

*५-६--श्री बलदेवसिंह (जिला बनारस)--[२५ फरवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५४ व ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

श्री बालचन्द्र को पीटने के संबंध में घोसी थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*७--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को आजमगढ़ से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि घोसी थाने की पुलिस और वहां के S. D. O. के द्वारा गत २० अगस्त, को बहुत ज्यादा मारे जाने के कारण एक युवक किसान श्री बालचन्द्र की मौत हो गई और उसकी लाश भी गायब कर दी गई है। अगर हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---श्री बालचन्द्र को पुलिस द्वारा पीटे जाने की एक शिकायत सरकार के पास आई थी। जांच करने पर वह निराधार सिद्ध हुई। उनके कुछ चोटें गांव में झगड़े के कारण आई थीं और उन्हें २० अगस्त, सन् १९५४ को घोसी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उनको मामूली चोटें आई थीं। दूसरे दिन सुबह ९ बजे उनको अस्पताल से छोड़ दिया गया और तब से वह कुछ दिन गायब रहे। तत्पश्चात् १४ सितम्बर, सन् १९५४ को श्री बालचन्द्र जिलाधीश के सामने उपस्थित हुये और उन्होंने स्वीकार किया कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के कहने पर कुछ दिन छिपे रहे थे।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बालचन्द्र का बयान लिखित था या उनका बयान लिया गया था, यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति देने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चाहे बयान लिखित हो या अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ हो, बहरहाल इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इतना जरूर है कि प्रश्न में जो आक्षेप लगाया गया था वह नहीं है, वे जिन्दा हैं और माननीय झारखंडेराय उनको देख सकते हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की सूचना है कि बाल चन्द्र जी के इस बयान में जिला मैजिस्ट्रेट के सामने उनकी इच्छा के विरुद्ध यह बात कहलाई गयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मेरे ख्याल में अगर कोई शख्स किसी मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद हो और वह यह कहें कि यह खबर गलत है कि मुझको मार डाला गया अथवा लाश गायब कर दी गयी, तो उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को यह मालूम है कि बालचन्द्र को जिलाधीश ने खुद अपनी कार में बैठा कर अस्पताल में दाखिल कराया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह संभव हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बालचन्द्र ने जो शिकायत सरकार के पास भेजी थी, उस शिकायत की जांच किस हाकिम ने की ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने तो अभी प्रश्न के जवाब में कहा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह शिकायत उन्होंने दो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के कहने से की थी और २० नवम्बर को उन्होंने लिख कर अपनी दरख्वास्त वापस भी ले ली है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस बात की कुछ सूचना है कि जो चोटें लगी थीं वह किस हथियार से लगी थीं ? और क्या यह सही है कि जब वह अस्पताल में दाखिल किये गये तो बेहोश थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह डाक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही हम जान सकते हैं, डाक्टर ने कहा कि मामूली चोटें आयी थीं।

वित्त समिति की कार्यवाहियों की भाषा

*८---श्री बलदेवसिंह---क्या यह सत्य है कि अर्थ-समिति की कार्यवाही राष्ट्रभाषा में न होकर अंग्रेजी में होती है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---वित्त समिति की कार्यवाहियां अधिकतर हिन्दी में होती हैं और उन्हें हिन्दी, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।

श्री बलदेव सिंह—क्या वित्त मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कौन-कौन सी कार्यवाही वित्त समिति की हिन्दी में हुई है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, उन्होंने कहा कि अधिकतर हिन्दी में होती है।

आगरा जिले में हुई वारदातों के मुकदमे

*९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में आगरा शहर और जिले में कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल और लड़कियों के भगाने की रिपोर्ट हुई, कितनों पर मुकद्दमें चलाये गये और कितनों में सजा हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८३ पर)

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि जो रिपोर्टें हुईं, उनके अनुपात से जो मुकदमे चलाये गये और जो सजायें हुईं वे बहुत कम केसेज में हुईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो रिपोर्टें हुईं उनके अनुपात से मुकदमें चलाये गये, वे तो कम नहीं हैं लेकिन अधिकतर मुकदमें अभी अदालत में हैं, इनका फैसला नहीं हुआ है, यह बात सही है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि मुकदमों की तफतीश वगैरह में बहुत काफी समय लग जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुकदमों की तफतीश में जितना जरूरी समय होता है लगाया जाता है और इस बात की कोशिश बराबर हो रही है कि कम से कम समय में मुकदमें की तफतीश हो जाया करे और उन पर कार्यवाही जल्दी से जल्दी हो जाया करे।

परिगणित जाति के डिप्टी कलेक्टर्स

*१०—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश में कितने डिप्टी कलेक्टर्स हैं और उनमें परिगणित एवं पिछड़ी जातियों की क्या संख्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय इस राज्य में ३९२ स्थायी डिप्टी कलेक्टर और ८६ स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर हैं ?

इसमें से २८ स्थायी डिप्टी कलेक्टर और एक स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर परिगणित जातियों के हैं। परिगणित जातियों के अतिरिक्त वैधानिक रूप से निर्दिष्ट पिछड़ी जातियां इस राज्य में कोई नहीं हैं अतएव प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर्स जो बनाये जाते हैं वे सीनियारिटी या एफिशिएंसी किस आधार पर बनाये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सीनियारिटी और मेरिट दोनों बातें देखी जाती हैं, परन्तु सीनियारिटी ज्यादा देखी जाती है।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या सरकार के पास पिछड़ी जातियों की कोई ऐसी विशेष सूची है, जिनका नौकरियों के संबंध में विशेष ख्याल किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वैधानिक रूप से कोई सूची नहीं है। ध्यान रखने के लिये मोटे तौर पर इनफार्मल ढंग से कुछ बातों का ध्यान जरूर रख लिया जाता है।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वैधानिक रूप से नहीं है, तो क्या अवैधानिक रूप से सरकार के पास इन जातियों की कोई सूची है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी सूचियां अलाहदा-अलाहदा हैं। शिक्षा विभाग के पास अलाहदा है, सर्विसेज के लिये कुछ अलाहदा है, एक कोई निर्दिष्ट सूची इसकी नहीं है।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि पुलिस विभाग में उसी सूची का प्रयोग नियुक्ति के संबंध में किया जाता है सब इंस्पेक्टर्स के सिलसिले में जिस सूची का प्रयोग शिक्षा विभाग में किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि हमारे प्रदेश में पिछड़ी हुई जातियों की संख्या ५६ है जो शिक्षा विभाग में अपनाई जाती है, क्या वही जातियां केंद्रीय सरकार में अपनाई जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसको निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

फर्रुखाबाद में साम्प्रदायिकता की आग भड़काने के लिये बदरउद्दुजा का विष वमन

*११—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि अखिल भारतीय मुस्लिम जमाअत के सदर बदरउद्दुजा ने दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ शनिवार की रात्रि को फर्रुखाबाद के मदरसे मुफ्ती साहब में हुई एक आम सभा में कोई ऐसा भाषण दिया है जिसमें भारत के प्रधान एवं गृह मंत्री पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगा कर भारतीय मुसलमानों में विषम साम्प्रदायिकता की भावनायें उभार कर उन्हें पाकिस्तान की शुभकामनाओं के लिये खुदा से दुआ करने को प्रेरित किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत ९ अक्टूबर, को फर्रुखाबाद में श्री बदरउद्दुजा ने आम सभा में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाने वाली बातें कहीं और प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री पर भी कुछ आक्षेप किये ?

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार ने श्री बदरउद्दुजा के भाषण की कानूनी जांच करवाई है और जो जन शांति को भंग करने वाले हैं उनके विरुद्ध जो कार्यवाही होती है, वह क्या उनके खिलाफ की जा सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो लोग जनशांति भंग करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं मगर इस भाषण के ऊपर अगर कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती तो की गई होती।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भविष्य में ऐसे भाषण न हों उसके लिये सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर किसी वजह से किसी जमाअत को गैरकानूनी करार कर दिया जाय तो दूसरी बात है वरना किसी जमाअत का कोई सदस्य इस किस्म का कोई बात करे तो उसके लिये पहले से कोई बात करना मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं होता कि किस किस्म की बात वह कहेगा।

रामपुर गांधी पार्क में पठित आपत्तिजनक कविता

*१२—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या गृह मंत्री जी को यह ज्ञात हुआ है कि रामपुर गांधीपार्क में दिनांक १० दिसम्बर, को जो सार्वजनिक सभा हुई थी उस सभा में पढ़ी गई एक कविता (नज्म) का एक पद यह था कि "रहेंगे हम तिरंगे चिलमन को चाक करके"?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*१३—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभा के आयोजक कौन थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सभा के मुख्य आयोजक निम्नलिखित व्यक्ति थे:—

१—श्री केशव दत्त, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, रामपुर।

२—श्री महमूद अली खां, एम० एल० ए०।

३—मौलवी अली हसन खां, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, रामपुर।

४—श्री फरीद उद्दीन, अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड, रामपुर।

५—श्री असलाम खां।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस नज्म को पढ़ने वाले महाशय का नाम बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब्दुर्रब अशरफ।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सत्य है कि माननीय कृपाशंकर जी, सभा सचिव, उस दिन रामपुर में थे और श्री महमूद अली खां, जो इस सभा के आयोजक थे, उन्होंने उनसे भी इस सभा में प्रेसाइड करने की प्रार्थना की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी इत्तिला नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन्होंने यह कविता पढ़ी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस कविता में जो एकाध लफ्ज हैं उन लफ्जों का जो कुछ भी मतलब हो, लेकिन इस पंक्ति से पहले की जो पंक्तियां हैं वे अच्छी हैं और उनमें कोई शिकायत की बात नहीं है, बल्कि तारीफ की बात है। इसके अलावा जो स्पीचेज वहां हुई उनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, जिनके लिये किसी ऐक्शन की जरूरत हो। तो इस पर गौर करके अकेले इन लफ्जों की बुनियाद पर कोई कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कविता में जो शब्द "तिरंगे चिलमन" आये हैं वे तिरंगे झंडे के लिये तो नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो समझने की बात है। आप खुद अर्थ लगा सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि जिन साहब ने कविता पढ़ी वे रामपुर कांग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह अब्दुल रब अशरफ मुझे इत्तिला नहीं है कि कांग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं या नहीं।

भ्रष्टाचार निरोधक समितियों को कार्यशील बनाने का विचार

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि हर एक जिले में जो Anti Corruption कमेटियां हैं, उनमें से क्या किसी कमेटी ने भ्रष्टाचार के कोई मामले पकड़े हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला भ्रष्टाचार निरोधक कमेटियां, भ्रष्टाचार के मामले स्वयं नहीं पकड़ती हैं। उनका मुख्य कर्तव्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचार करना और भ्रष्टाचार रोकने में सहयोग देना है। कमेटियों के सामने जो भ्रष्टाचार के मामले लाये जाते हैं उनको वे उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित विभागों को भेजती हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस दर्मियान में उक्त कमेटियों ने क्या प्रगति की ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ काहे की प्रगति ?

श्री लक्ष्मण राव कदम—भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ मैंने देखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि जो प्रगति की वह नहीं के बराबर है और बहुत ही असंतोषजनक है।

श्री जगन्नाथ महल—क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो ये एंटी करप्शन कमेटियां हैं उनको भी भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिये अधिकार देने के बारे में विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, ऐसी आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि उन कमेटियों को दिक्कत होगी, पकड़-धकड़ का काम अपने जिम्मे लेने में और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उनका काम असफल रहा है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री इस प्रश्न पर विचार करके ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि ये भ्रष्टाचार कमेटियां सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मेरा निश्चय ऐसा ही है और मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से राय लेने की कोशिश करूंगा कि क्या किया जाय।

गाजीपुर जिले में घटित वारदातों के मुकदमें

*१५—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतलायेगी कि सन् १९५३ तथा १९५४ में गाजीपुर जिले में कितनी चोरी तथा डकैती हुईं और उसमें कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुये ? कितने रुपये की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ ?

*१६—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त चोरियों और डकैतियों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चला और उसमें कितने छूटे और कितने सजा पाये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आवश्यक सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८४पर)

*१७—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि थाना मुहम्मदाबाद व कासिमाबाद व करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर के किन-किन गांव में सन् १९५३ और १९५४ में डकैती तथा चोरी हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना बहुत लम्बी है। यदि सदस्य महोदय किसी गांव विशेष के बारे में जानना चाहें तो मेरे कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ में ५५८ मुकदमें चले, उसमें से १७९ को सजा हुई, ३५० छूट गये तो ३७ आदमियों का क्या हुआ? और १९५४ में ५५३ पर मुकदमें चले, ८५ को सजा हुई, २६३ छूट गये, तो २०५ का क्या हुआ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उन पर अभी तक मुकदमें चल रहे हैं।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५३ और १९५४ में कितनी और कहां-कहां डकैतियां पड़ी हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक खेमपुर में डकैती पड़ी, कुठार में और मेरे पास थाने-वार लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष—क्या ऐसे गांव की कोई लिस्ट नहीं है कि जहां-जहां डकैतियां पड़ीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—वैसे आप चाहते हैं तो सारी लिस्ट मैं आपको दिखला दूंगा।

श्री शिवपूजन राय—डकैती में जो एक आदमी मारा गया वह गांव वाला था या कोई डाकू था?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह सारी तफसील इस समय मेरे पास नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

फतेहपुर शहर को कानपुर पावर हाउस से बिजली

*१८—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह शहर फतेहपुर को कानपुर पावर हाउस से बिजली देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं?

श्री धर्म सिंह—जी हां।

श्री गुरुप्रसाद पांडेय (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर शहर के अतिरिक्त देहातों में भी बिजली लगाने की योजना है या नहीं। यदि है, तो किन-किन गांवों में?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जब फतेहपुर पहुंच जायगी उसके बाद वहां के गांवों के लिये इन्तजाम सोचा जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह विचार कब तक कार्यरूप में परिणित हो जायगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने कतई नहीं अर्ज किया कि विचार हो रहा है। मैंने तो अर्ज किया कि जब फतेहपुर में बिजली पहुंचा देंगे उसके बाद गांवों के लिये इंतजाम करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि फतेहपुर में जो बिजली पहुंचाने का विचार हो रहा है वह कब तक कार्यरूप में परिणित हो जायगा।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ श्री गुरुप्रसाद ने पूछा।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब में कह तो दिया कि गांव का अभी विचार नहीं हो रहा है, बल्कि जब फतेहपुर में बिजली पहुंचा देंगे उसके बाद गांव के लिये इन्तजाम होगा।

नान आई० ए० एस० जिलाधीश

*१९---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य में कितने और कौन-कौन ऐसे जिलाधीश हैं जो आई० ए० एस० न होते हुये इस पद पर हैं परन्तु उनके लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत नहीं ली गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रकार का कोई जिलाधीश नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे जिलाधीश कौन हैं जिनके लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त ऐसा कोई नहीं है। पीछे किसी वक्त में जरूरत पड़ी होगी। एक साहब थे उनके लिये वहां से अनुमति नहीं मिली, तो वह जहां थे वहां से हटा दिये गये।

श्री गेंदासिंह---यह कौन साहब थे जिनके लिये ऐसी अनुमति लेने की जरूरत पड़ी और कब ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री गहलौत।

सीतापुर जिले को सारदा हाइडेल योजना के अन्तर्गत बिजली

*२०---श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) ---क्या सरकार बतायेगी कि कुटीर उद्योग तथा कृषि उन्नति के लिये बिजली की शक्ति कब तक जिला सीतापुर में दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---शारदा हाइडेल योजना के जल्दी ही पूरा होने पर सीतापुर जिले के लिये बिजली दी जा सकेगी।

*२१---श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)---[८ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सीतापुर जिले में विद्युत् शक्ति का विस्तार

*२२---श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सीतापुर में विद्युत शक्ति का विस्तार चालू पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां होगा और कहां-कहां अब तक हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सीतापुर जिले में पहली पंचवर्षीय योजना में सीतापुर, खैराबाद, कुटरा, कमलापुर, सीतारसाई, सिधौली, राम कोट, नई पारपुर, मिसरिख, कुतुब नगर और बिसवाँ को बिजली देने का विचार है। बिसवां शहर को बिजली दी जा चुकी है और नीमसार, हरगांव, खैराबाद और मिसरिख के पास तक बिजली की लाईन पहुंच गई है।

अपर और लोवर डिवीजन की परीक्षाओं में हिन्दी के परचों की संख्या

*२३---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या सरकार १६ सितम्बर, १९५४ के प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि अपर और लोअर डिवीजन की आगामी परीक्षाओं में वह हिन्दी के परचों की संख्या कितनी और बढ़ाने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श करने के बाद अन्तिम निर्णय होगा।

*२४—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत परीक्षा में हिन्दी में अच्छे नम्बर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपने ग्रेड में कुछ प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न नहीं उठता। कायदा यह है कि कुल इम्तहान में जो सब से ज्यादा नम्बर पाये उसे प्राथमिकता मिलती है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन क्रम

*२५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार वर्तमान पे स्केल में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन क्रमों में सामान्य रूप से संशोधन (General revision) करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

*२६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यदि हां, तो उसकी नीति का आधार क्या है ?

श्री धर्मसिंह—यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार, जो आज वर्तमान दरें हैं और उनमें जो बहुत ज्यादा अन्तर है उसको कम करने का इरादा रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह तो मैं अर्ज कर चुका कि सरकार की पालिसी मुस्तकिल है इस बारे में। उस पर अमल किया है अब तक और आगे भी किया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस अन्तर को कम करने के लिये सरकार कौन सा तरीका अख्तियार कर रही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अन्तर को दूर करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि जो कम है उसको बढ़ाते चलो।

गोंडा जिले में कुछ स्थानों के लिये बिजली

*२७—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील तरबगंज व गोंडा, जिला गोंडा में बलरामपुर पावर हाउस अथवा नवाबगंज शूगर मिल द्वारा बिजली पहुंचाने का आयोजन किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२८—श्री गंगाप्रसाद—यदि हां, तो वहां कब तक बिजली आ जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसी तहसील में नवाबगंज, कर्नलगंज और तरबगंज में बिजली देने के लिये सरकार ने कहा है, तो वह कहां से देगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार को जहां-जहां जिन शहरों में बिजली देनी है और गांव में उनके लिये नया प्रबन्ध कर रही है।

श्री गंगाप्रसाद—तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तरबगंज के इन तीन टाउन एरिया में कहां से बिजली देगी। क्या गोंडा में पावर हाउस बनायेगी या फैजाबाद में सुहावल से लायेगी।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—उनके लिये तजवीज हो रही है कि किस-किस जगह पर केन्द्र बना कर के बिजली दी जायगी। वह स्कीम अभी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची है, डिपार्टमेंट बना रहा है।

*२९-३१—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[३ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३३—श्री गगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[२४ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ मई, सन् १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १५ सितम्बर, सन् १९५४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३ फरवरी, सन् १९५५, को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५५ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ दिसम्बर, सन् १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ दिसम्बर, सन् १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३ फरवरी, सन् १९५५ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ ई० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो आपने पिछले साल व्यवस्था की थी ५ मिनट अधिक देने की उसी व्यवस्था को इस साल भी रखने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—आप २५ मिनट चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है। २५ मिनट आप को दे दिया जायगा और इस तरफ भी एक सदस्य को २५ मिनट मिल जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, इधर भी ५ मिनट मिल जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वह निर्णय मैं करूंगा कि किसको वह मिलना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, प्रस्तुत बजट प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का बजट है। इसलिये इस बजट का महत्व वित्तीय प्रथम दृष्टिकोण से इसलिये बढ़ जाता है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स को पूरा करना इसका उद्देश्य होना चाहिये। तो मैं वित्तीय दृष्टिकोण से भी अपने को असमर्थ पाता हूं और यह कह सकता हूं कि यह बजट ऐसा नहीं है। जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को और उसके टार्गेट्स को पूरा करा सके। श्रीमन्, हमारी एक शिकायत बार-बार रही है कि कम से कम स्टेट्स के जो बजट हैं यह यूनियन बजट के बाद पेश होने चाहिये। आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल का बजट पेश हो गया, बिहार का पेश हो गया, मध्य भारत का पेश हो गया और यू० पी० का भी पेश हो गया, मगर सेंटर का अभी पेश नहीं हुआ। अभी हमको यह पता नहीं है कि हमको कितनी सहायता लोन या ग्रांट्स के रूप में सेंटर से मिलने वाली है। मैं इसकी एक ही मिसाल दूंगा कि पिछले साल हमने ६ करोड़ रुपया यू० पी० प्लान में कर्ज़ा लेने के लिये बजट में रखा। लेकिन हम नहीं ले पाये। इसलिये नहीं ले पाये कि हिन्दुस्तान की सरकार ने अपना एक नेशनल प्लान लोन वसूल करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हमें ६ करोड़ रुपया न मिल सका। केवल तीन करोड़ रुपया मिला जो कि भारत सरकार ने हमको शेयर दिया। अगर हम प्लान को फ्लोट करते अपने बजट के अनुसार तो हमको ६ करोड़ रुपया मिलता, लेकिन हमको पता नहीं था कि केन्द्रीय सरकार अपना लोन फ्लोट करेगी। नतीजा यह हुआ कि ६ करोड़ की जगह केवल तीन करोड़ का शेयर हमें मिल पाया। इससे साबित होता है कि हमें अपने बजट के पेश करने के समय को बदलना चाहिये। यह जो अप्रैल की ब्रिटिश प्रणाली है इसको बदलना चाहिये और यूनियन बजट के बाद स्टेट्स बजट पेश होने चाहिये ताकि हमें मालूम हो सके कि हमें केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता मिलने वाली है।

दूसरी बात यह है कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के प्रोपोजल्स जिनके बारे में चिन्तामणि देशमुख साहब ने कहा है कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे गये हैं, उनके बारे में भी इसमें कुछ पता नहीं लगता है। हमको यह पता नहीं कि टैक्सेशन रिलीफ की जो कि सेल्स टैक्स में बात कही गई है वह क्या उसकी सिफारिशों के अनुसार है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन जिस पर हम सब लोगों की आंखें लगी हुई थीं उसके बारे में बजट बिलकुल चुप है। तो उसकी ओर भी अगर देशमुख साहब का बयान सही था तो कुछ इशारा होना चाहिये था। अब मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि किस प्रकार फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स को फाइनेनशली भी यह बजट पूरा नहीं करता। आप यह देखेंगे कि खुद प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है जितना प्लांड एक्सपेंडीचर तीन साल में होना चाहिये था, पिछले तीन सालों में उसका केवल ५१ परसेंट खर्चा किया गया और उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि यू० पी० में केवल ३० परसेंट रिसोर्सेज़ इकट्ठा किये गये। यानी अगर १०० रुपये इकट्ठा होता है तो १०० रुपया खर्चा होता, लेकिन यू० पी० में केवल ३० परसेंट रिसोर्सेज़ इकट्ठा किये गये। तो यह चमत्कार कैसे हुआ। इस बजट से इसका हल नहीं निकलता है कि ३० परसेंट रिर्सोसेज़ से ५१ परसेंट एक्सपेंडीचर कर के आप १०० परसेंट का टार्गेट कैसे पूरा करेंगे। और फिर जो प्लांड बजट होता है उसमें यह भी दिखाया जाता है कि आखिर यह टैक्स कितना लगायेंगे, लोन कितना लेंगे, यह भी प्लांड बजट में रखा जाता है। तो श्रीमन्, आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि उस प्लांड पीरियड के तीन साल में केवल ५ करोड़ रुपया लोन लिया जायगा, यह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में प्रोवाइडेड था। लेकिन हमारी सरकार ने प्लान के खिलाफ जाकर १३ करोड ६० लाख रुपया पिछले तीन सालों में लोन ले लिया। तो या तो प्लान जनता की हैसियत के मुताबिक नहीं बना या बजट प्लान के मुताबिक नहीं बना है। दोनों में कोई न कोई खामी है। नहीं तो ५ करोड़ लोन के स्थान पर १३,६० लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लोन नहीं लिया जाता और स्टेट की कर्जदारी इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि आज बढ़ गयी। आप स्टेट की कर्जदारी देखेंगे कि सन् १९५३–५४ में साढ़े सत्तानवे करोड़ अगर कर्जा स्टेट का था तो सन् १९५४–५५ में बढ़ कर १३० करोड़ हो गया और इस बजट में हमारी यू० पी० सरकार का क़र्ज राष्ट्र का २१३ करोड़ रुपया हो जायगा। दूसरी तरफ जो हमने लोन दिये हैं वह केवल ३१ करोड़ हैं। हम पर तो कर्जा २१३ करोड़ का हो गया, और पिछले दो सालों में सवा दो गुना हो गया, जब कि हमारा कर्जा केवल ३१ करोड़ रुपया है। तो स्टेट की इन्डेटेडनेस बढ़ रही है और जो सही टैपिंग रिसोर्स का होना चाहिये, सही टैक्सेशन होना चाहिये वह फाइनैंश्यल टैक्सेशन कमीशन की भूल-भुलैया में पड़कर हम उसके स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर पायेंगे।

इसमें आगे चल कर आप देखेंगे कि अक्युरेसी आफ़ बजेटिंग सब से बड़ा सिद्धांत माना जाता है, लेकिन इनअक्युरेसी आफ बजेटिंग का परसेंटेज हर साल बढ़ता जा रहा है। सन् १९५३–५४ में ओरिजनल बजट एस्टीमेट्स में १३ परसेंट सेविंग हो गयी और १४ परसेंट कैपिटल बजट में हुई और डेट हैड्स में ६ परसेंट की सेविंग हुई और कुल मिला कर पुराने ओरिजनल बजट एस्टीमेट से २१ परसेंट की सेविंग हुई। इससे साफ होता है कि हमारी सारी बजट प्रणाली का आधार पहले तो यह दिखलाना कि हम डेफिसिट कर रहे हैं और बाद में कैपिटल बजट में और रेवेन्यु बजट में भी और डेट हेड्स में भी, जो सेविंग दिखलायी जाती है वह यह साबित करती है कि हमारी एस्टीमेटिंग प्रणाली में कोई बहुत गम्भीर गलतियां हैं, जो कि फाइव ईयर प्लान के एस्टीमेट्स को भी झूठा कर देती हैं।

अब आगे चल कर मैं आपका ध्यान रेवेन्यू रिजर्व फंड की ओर दिलाना चाहता हूं। यह रेवेन्यु रिजर्व फंड पिछले सालों में लगातार घटता जा रहा है। सन् १९५१–५२ में १३ करोड़ रेवेन्यु रिजर्व फंड में रुपया था। इस साल घट कर ८ करोड़ रुपया रह गया है। इतनी वित्तीय तिकड़में करने के बाद भी ८ करोड़ रुपया रिजर्व फंड में रह गया है और अगर यह साढ़े पांच करोड का डेफिसिट अगर वास्तविक हो गया तो हमारे रेवेन्यु रिजर्व फंड में केवल ढ़ाई करोड़ रुपया रह जायगा। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जिसको सवा दो अरब रुपया क़र्ज देना हो और ढाई करोड़ रुपया उसके रेवेन्यु रिजर्व फंड में हो, उसकी वित्तीय स्थिति क्या हो सकती है वह इससे स्पष्ट हो जाती है।

अब आगे देखेंगे कि सरकार के कैपिटल बजट और रेवेन्यु बजट में कोई फर्क नहीं रखा जाता। यह बात सही है कि माडर्न बजेटरी सिस्टम में कैपिटल बजेटिंग और रेवेन्यु बजेटिंग का अन्तर घटता जा रहा है, लेकिन इस अन्तर को इस सरकार ने और घटा दिया है। इरिगेशन रिसीट्स जो रेवेन्यू में होनी चाहिये थी उसका स्पेशल डेवलपमेंट फंड बनाया गया और उसे कैपिटल एकाउन्ट में जोड़ दिया। दूसरी तरफ डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड है, उसका एक्सपेंडीचर है, जैसे बस सर्विस वगैरा का, उसमें लगातार कमी हो रही है और पिछले दो सालों के अन्दर ६४ लाख रुपया डेप्रीसिएशन बस एकाउन्ट का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में डाला गया। आप जानते हैं कि डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इसलिये नहीं होता है कि उसे हम एक रेवेन्यु अकाउन्ट की तरह से खर्च करें। वह सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिये होता है और खास मौकों पर उसको सर्फ किया जाता है। लेकिन इस सरकार का, जो कैपिटल बजेटिंग का सिद्धांत है वह भी अत्यन्त मिथ्या भावना पर आधारित है। इसको और भी मैं सिद्ध करूंगा जब आप देखेंगे कि पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स को लें कि हमारा जो कैपिटल बजट था वह २०, २१ लाख रुपये का था। लेकिन जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं वह १४,९६,००,००० के रह जाते हैं उसमें से ५ करोड २५ लाख रुपये की कैपीटल अकाउन्ट में कमी हो गई है। बिजली स्कीम में भी ४ करोड़ ३५ लाख रुपया कैपीटल हैड से कम खर्च किया गया है। इससे साबित होता है कि हमारे कैपीटल बजटिंग में बड़ी भारी खामियां हैं, इसमें भी हम सरप्लस की बात करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है।

हम डिपरीसियेशन रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व फंड वगैरह के ठीक अकाउन्ट्स नहीं रख पाते हैं।

जमींदारी अबालिशन फंड के बारे में भी एक,दो शब्द में कह देना चाहता हूं। इसको इसलिये इस्तेमाल किया जा रहा है कि २ करोड़ रुपया अधिवासियों को सीरदार बनाने के लिये रख गया है। लेकिन बजट भाषण में इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि यह किस तरह से दिया जायगा, यह बौंड्स के रूप में दिया जायगा या कैश के रूप में दिया जायगा। बजट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, केवल एक कोने में लिखा हुआ है और ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको जमींदारी अबोलिशन फंड से क्यों लिया जा रहा है? क्या बौंड्स इश्यू होने वाले हैं? अगर जमींदारी अबोलिशन फंड से देना था तो रेवेन्यू रिजर्व फंड में देना चाहिये था। कितना कम्पेंसेशन दिया जायगा इसका कोई ऐस्टीमेंट नहीं है खाली एक मोटी रकम लिख दी गयी है कि दो करोड़ के करीब रुपया कम्पेंसेशन में दिया जायगा।

अभी हम लोग मोटर ट्रांसपोर्ट के बारे में एक आर्डिनेंस पर बहस कर रहे हैं कि मोटर आपरेटर्स को कम्पेंसेशन देंगे। लेकिन कहीं भी कोई रक़म नहीं मिलती है, जो इस आर्डिनेंस के मातहत और सुप्रीमकोर्ट के फैसले के अनुसार कम्पेंसेशन मोटर आपरेटर्स को देना है। हमें यह तो मालूम होना चाहिये कि कितना कम्पेंसेशन देना है। इसका कुछ भी इस बजट के देखने से पता नहीं चलता, यानी इतने महत्वपूर्ण विषय भी, जो कि बजट में होने चाहिये वह भी नहीं है।

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी के बारे में कहा गया है कि हमें इससे सवा दो करोड रुपये सालाना की आमदनी होगी। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें इसके प्रोफोरमा अकाउन्ट्स ही गायब हैं। जब इतनी बड़ी बात है तो मैमोरेंडम के अन्दर फैक्टरी प्रोफोरमा अकांउन्ट्स होने चाहिये कि कितना इसका वर्किंग ऐक्सपेंडीचर वगैरह में खर्च होगा? लेकिन यह कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री भी एक स्टेट ऐंटरप्राइज है। इसके भी प्रोफोरमा अकाउन्ट्स मैमोरेंडम आने चाहिये थे, लेकिन वह भी नहीं दिखाये गये हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वित्तीय प्रशासन में गम्भीर त्रुटियां हैं।

अब इसके बाद मैं इस तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा कि किस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले क़र्ज पिछले सालों से बढ़ते जा रहे हैं और यह भी निश्चित आधार नहीं है कि हम कितना कर्जा लेंगे, क्योंकि पंच वर्षीय योजना में कहा गया था कि सेंट्रल असिस्टेंस निर्धारित कर दी गयी है, जब प्लानिंग की लिमिट तय है और उससे ज्यादा असिस्टेंस ले चुके हैं जितना कि पांच साल में कर्जा लेना चाहिये था उससे भी अधिक हम केवल तीन साल में ही ले चुके हैं। लेकिन इस सब का भी कोई हिसाब नहीं है।

अब आप यह देखें कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की १९५३-५४ में ५१ करोड़ रुपये की कर्जदार थी। १९५५-५६ में इससे बढ़ कर अब केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को ९७ करोड़ रुपया कर्जा देना है। इस सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये थी कि सेंट्रल असिस्टेंस जो कर्जे के रूप में मिलने वाली है, उसकी हद्द क्या होगी, क्योंकि वित्तीय जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की ही नहीं है बल्कि अगली आने वाली सरकारों की भी होगी। इसलिये इसको स्पष्ट होना चाहिये। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं यू० पी० लोन्स की बात, तो हमें पता नहीं चलता है कि इस साल यू० पी० गवर्नमेंट को जो यू० पी० की जनता को कर्जा देना है वह २१ करोड़ के लगभग है। इसमें इंटरेस्ट के रेट्स अलग अलग दिये हुये हैं, कभी ३ परसेंट लोन होता है, कभी साढ़े ३ परसेंट होता है और कभी पौने चार परसेंट होता है। यह सरकार के लिये बड़े खतरे की बात है, क्योंकि इंटरेस्ट की दरें एक न होने से लोन ठीक प्रकार से नहीं मिल सकता है। इसमें एक खामी जो मुझे देखने में आयी वह यह कि ६३ में १७,११,००० रुपये सूद देने हैं और ६४ में २७,७९,००० रुपये पे किये जा रहे हैं। जब

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दोनों के इंटरेस्ट रेट एक ही हैं, तो एक साल के लोन में १७ लाख रुपये इंटरेस्ट पे किया जाय और दूसरे में १० लाख ज्यादा पे किया जाय। इससे यह स्पष्ट मालूम होगा कि यू० पी० गवर्नमेंट जो खुद कर्जा लेना चाहती है उसमें भी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कितना इंटरेस्ट देगी। इससे जनता को भी ज्यादा दुविधा होती है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी दुविधा होती है। यह दूर होना चाहिये और मुझे विश्वास है कि अगले साल शायद इस तरह की खामियां न हों।

अब मैं आपका ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसमें आप यह देखेंगे कि पिछले दो सालों में बजाय इसके कि डेट और डिपाजिट एकाउन्ट में जो कि पब्लिक एकाउन्ट के अन्दर शामिल किया जाता है कुछ वृद्धि हो, आउटगोइंग हुई है। सन् ५३–५४ में ५ करोड़ १७ लाख रुपया बाहर गया जब कि हमारी उम्मीद यह थी कि अन्दर आयेगा। सन् ५४–५५ में यह आउटगोइंग बढ़कर १३ करोड़ ६३ लाख रुपये हो गयी और अब इस साल के बजट में कैसे दिखला दिया, मुझे तो बिलकुल इत्मीनान नहीं होता कि ९ करोड़ ३६ लाख अन्दर आयेगा। अगर ठीक प्रकार से इसका उपयोग किया जाता तो मुझे निश्चित विश्वास है कि इससे वेज ऐंड मीन्स पोजीशन सरकार की सुरक्षित होती, जो बैकवर्ड एकोनामी में राज्य विकास के लिये धन चाहिये वह सुरक्षित हो सकता था। लेकिन पिछले दो वर्षों को लेकर जो मैंने आपको बतलाया वह यह दिखलाता है कि हमारी वेज ऐंड मीन्स पोजीशन बड़ी कमजोर है। जहां तक कि पब्लिक एकाउन्ट्स का सवाल है।

इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट का सवाल आप ले लीजिये। अभी तक जो हमारी स्टेट के इन्वेस्टमेंट्स थे उनसे काफी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन इस साल आप देखेंगे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट में नुक्सान हो रहा है। पिछले वर्ष जितना इन्वेस्टमेंट था उसका चौथाई भी इस साल नहीं रहा। मिसाल के लिये मैं आपको बतलाऊं कि पिछले साल का इन्वेस्टेड बैलेन्स ३० करोड़ ३३ लाख था इयरमार्क्ड बैलेन्सेज का। इस साल घट कर के वह ९ करोड़ ८३ लाख रह गया है। यानी जो हमारे रिजर्व फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स से आमदनी होती थी इस साल हम इतना उससे ड्रा कर रहे हैं कि केवल ९ करोड़ रह गया। तो इससे यह बात साबित होती है कि हम अपने रिजर्व फंडस् के बैलेन्स से जो इंटरेस्ट ले सकते थे वह आमदनी भी आज खत्म होती जा रही है और इन्वेस्टमेंट बैलेन्स केवल ९ करोड़ ८३ लाख रह गया है। तो इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जितना इन्वेस्टमेंट बैलेन्स सरकार के पास है उसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिये। ताकि उनके इन्टरेस्ट से या सीक्योरिटीज से सरकार को कुछ आमदनी हो सके।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी पेश कर दूं कि सरकार की फ्लोटिंग लोन्स लेने की जो पालिसी रही है वह भी बिलकुल गलत रही है। पिछले वर्ष इस बात की आशा की गयी थी कि दस करोड़ के फ्लोटिंग लोन्स लिये जायंगे इस राज्य के विकास कार्यों के लिये। लेकिन अन्ततः हमने देखा कि केवल तीन करोड़ के फ्लोटिंग लोन्स लिये गये। इस बजट में भी फ्लोटिंग लोन्स के लिये व्यवस्था की गयी है। वह अवांछनीय है। उसके भी ठीक प्रकार से इस्टीमेट नहीं हो पाये।

इसके बाद मैं आपकी आज्ञा से जहां पर सरकारी कर्मचारियों के इन्क्रीमेंट का सवाल आया है और जिसके द्वारा साबित किया जा रहा है कि यह सोशलिस्टिक टच आ गया उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने सारी रकमें जोड़ीं कि इनफीरियर इम्प्लाईज को कितनी सहायता मिलती है तो आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जो बजट में आंकड़े दिये गये हैं, उनके अनुसार केवल १९ लाख रुपया इन्फीरियर इम्प्लाईज को यू० पी० भर में मिलने वाला है। अब आप यह देखें, श्रीमन् कि किस प्रकार इस १९ लाख की वृद्धि से, छाया अवश्य है, छाया हम कह सकते हैं, और सरकार की नीयत है कि वह डिस्पैरिटी कम करना चाहती है, लेकिन १९ लाख की वृद्धि से हम किसी प्रकार नहीं कह सकते कि यह

सोशलिस्टिक बजट हो गया या इसमें सोशलिस्टिक झांकी आ सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हैं, आज स्टेट के अन्दर प्रजेंट कांस्टीट्यूशन में सोशलिस्ट बजट बना ही नहीं सकते। इस बजट में हम सोशलिस्टिक झांकी दिखला रहे हैं, कैसे हो सकता है? जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं आलोचना की है मौजूदा संविधान की, अपने लेखों में, वर्तमान संविधान में जैसी स्टेट लिस्ट है, जो राज्य को अधिकार दिये गये हैं उसके अनुसार अगर हम चाहें भी तो कभी भी यहां पर सोशलिस्ट स्टेट नहीं बना सकते, सोशलिस्ट बजट नहीं पेश कर सकते। सोशलिस्ट बजट होने के लिये बैंकों और इन्श्योरेंस कम्पनीज का समाजीकरण करना पड़ेगा। जैसे रामपुर जिले में लगान के ऊपर तीन-चार आने, रुपये पर सेविंग लेवी कर दी गयी है और जो हम जबरदस्ती सेविंग्ज का कैम्पेन कर रहे हैं इससे विकास का काम होने वाला नहीं है और न हम इनडाइरेक्ट तरीकों से सेविंग्ज लेने की कोशिश करें। जब तक हम बैंक्स और इन्श्योरेंस कम्पनीज विदेशी और स्वदेशी पूंजी के रुपये को समाजीकरण नहीं करेंगे, अपने बजट में नहीं लायेंगे तब तक हम इस देश के विकास के कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते, तब तक हम समाजवादी बजट पेश नहीं कर सकते।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गंगा-यमुना के पवित्र जल से सिंचित इस उत्तर प्रदेश ने सदैव से सारे देश का नेतृत्व किया है और आज भी मदरास अधिवेशन के बाद जब देश ने यह फैसला लिया कि हमें समाजवादी तरीकों पर समाज का कल्याण करना है तो हमारे राज्य के समाजवादी मुख्य मंत्री के प्रथम बजट की जो झांकी मिलती है उसको देखने के बाद मैं तो यह आशा करता था कि विरोधी दल और विशेष रूप से विरोधी दल के नेता जिनका, समाजवाद का विशेष अध्ययन होने का दावा है अधिक प्रसन्नता प्रकट करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आशा निराशा में परिणत हुई और बिना किसी कारण के होते हुये भी, एक ऐसे समाज की रचना का स्वर्ण प्रभात होने पर भी, माननीय नेता विरोधी दल ने जिस प्रकार हमारे बजट की आलोचना कल की है वह इस सदन के इतिहास के लेखक जब कभी सोचेंगे तो उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कारणों पर विचार किया। लेकिन मुझे कोई कारण ऐसा नहीं मिला जिससे उनकी इस प्रकार की आलोचना का कोई औचित्य मिलता। केवल एक कथा जो बनारस में अधिक प्रचलित है, मैं उसको सदन के सन्मुख रखना चाहता हूं। शायद उससे उनकी आलोचना का कुछ औचित्य मिल सके। एक शराबी बनारस में थे जो कि शराब की दुकान पर गये यह कहने के लिये कि मुझे कुछ पीने के लिये चाहिये। दुकानदार ने कहा कि देर हो गयी और दुकान में इस समय कोई सामग्री नहीं है उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं है मुझे थोड़ा सा घड़े का पानी ही लाकर दे दो। मुझे केवल बहाना चाहिये, शरारत तो मेरे पेट के अन्दर भरी हुयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कोई कारण हो या न हो और समाजवाद की चाहे परिभाषा उसमें मिले या न मिले उससे उनका कोई अर्थ नहीं है, माननीय विरोधी दल के नेता का अर्थ था कि किसी प्रकार से खड़े होकर इस सरकार की निन्दा की जाय। उनके कर्णों को यह बात भी बरदाश्त नहीं हो सकी जब कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा कि "कांग्रेस के आवडी सेशन में यह निश्चय किया गया कि भारत में सब सरकारें सोशलिस्ट प्रकार का समाज स्थापित करें। यह समाज ऐसा हो जिसमें उत्पादन के साधन या तो समाज की मिल्कियत हों या उसके नियन्त्रण में हों और उत्पादन तेजी के साथ किया जाये तथा धन का वितरण न्याय संगत हो"। यह शब्द उनके कानों को प्रिय नहीं लगे और विशेष कर जब कि इन शब्दों की पूरे तौर पर बजट के अन्दर तस्वीर मिलती है। तो यह केवल विडम्बना हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कल इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं और विशेष तौर पर अपने कुछ मित्र लोग ऐसे हैं जो कि समाजवाद को अपनी ही विरासत समझते हैं और यह समझते हैं कि यह उनकी ही मिल्कियत है। वह यह समझते हैं कि सही वारिस वही हो सकते हैं और यदि दूसरा उसकी बात कोई ले, तो गलत है। मुझे यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

डर लगता है कि कहीं इस प्रकार का विचार नेता विरोधी दल न करने लगें कि किसी कोर्ट में वह इस बात की दरख्वास्त पेश करें कि अब कांग्रेस दल के लोग भी समाजवाद शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, वह न करें।

मैं तो यही शब्द जो माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सामने रखे हैं उनकी विवेचना में थोड़ा सा समय लगाना चाहता हूं। किसी समाज को बनाने के लिये जैसा कि बजट भाषण में कहा गया है आवश्यकता इस बात की है कि पहले उस देश की खाद्य समस्या को हल किया जाय। उसके बाद यातायात को सुधारा जाय और फिर विद्युत् शक्ति का निर्माण कर के दूसरे कदम में वहां पर घरेलू उद्योगधन्धों और बड़े उद्योगों का निर्माण कर के देश को आगे बढ़ाया जाय। इसके साथ साथ घरेलू उद्योगों और बड़े उद्योगों का निर्माण करके फिर समाज के कल्याण की तरफ क़दम उठाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपनी जगह पर सत्य है कि इस देश में जो समस्या थी उसके विषय में कुछ आंकड़ों को नेता विरोधी दल पेश करके स्वयं उन आंकड़ों में फंस गये जिसको वह स्वयं कहते हैं कि मैं फंसता नहीं हूं। कल उन्होंने प्रकट किया कि ५२,५३,५४ में हर साल आंकड़ों के हिसाब से खेती कम होती गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब खेती करने के आंकड़े तैयार होते हैं तो विरोधी दल के नेता को मालूम होना चाहिये कि उस समय जितनी भूमि पर खेती की जाती है केवल उनके ही आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं। यह सम्भव हो सकता है और होता है कि किसी साल किसी भूमि को पानी न मिलने के कारण लिखा नहीं गया हो, इसलिये कमी हो सकती है खेती के एकरेज में। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि इस राज्य में और इस देश ने अपनी खाद्य-समस्या को हल किया है और अधिक गल्ला उत्पन्न किया है। माननीय नेता विरोधी दल की उस उक्ति को लेते हुये भी कि खेती के एकरेज में कमी हुई है हमें इस नतीजे पर आना पड़ेगा कि सिंचाई के साधनों से ज्यादा उत्पत्ति की गयी है और उसी के कारण हमारी खाद्य समस्या काबू में आयी। अधिक सिंचाई के साधनों के बाद कम एकरेज के होते हुये भी खाद्य समस्या का हल हुआ है। बावजूद इसके कि सरकार उस समय इस प्रयत्न में लगी हुई थी कि सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय, और उससे उत्पादन की समस्या को हल किया जाय तो माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल उस समय क्या कर रहा था? वह चारों तरफ नारे लगा रहा था और इस बात के नारे लगा रहा था कि सिंचाई कर न दो और देहातों में इस बात के नारे भी लगा रहा था कि सरकार को गल्ला न दो तथा दूसरी ओर शहरों में इस बात के नारे लगा रहा था कि सरकार से कम दामों में गल्ला लिया जाय और यह कि इस प्रकार कम दामों पर गल्ला देना सरकार को लाजिमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय नेता विरोधी दल का बस चले तो अभी इस सरकार को बरखास्त कर दें, लेकिन सत्य यह है कि जिस असत्य के आधार पर इस विरोधी दल का निर्माण किया जा रहा है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदन में उसका कोई औचित्य न होते हुये भी, आज अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल आप की कृपा से ही और आप की उदारता से ही वह यहां विरोधी दल बना हुआ है जब कि ऐसी उदारता पार्लियामेंट में नहीं दिखायी गयी, और वहां विरोधी दल का पद प्राप्त न हो सका, लेकिन यहां हमारी और आप की उदारता से विरोधी दल बना हुआ है। लेकिन यह प्रान्त की जनता में भ्रमात्मक प्रचार कर के जो उसको गुमराह कर रहे हैं वह उनको अधिक दिनों तक इस संख्या में भी बरदाश्त नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर वे सोशलिस्ट पैटर्न किस बात को मानते हैं। क्या यह सोशलिस्ट पैटर्न नहीं है कि कम तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाय? क्या यह अहिंसा का रास्ता नहीं है कि नीचे गिरे हुये इन्सानों को ऊंचा उठाया जाय? एक तो यह मार्ग है, और दूसरा प्रतिहिंसा का रास्ता हो सकता है कि नीचे गिरे हुये इंसान चाहे नीचे गिरे रहें लेकिन ऊपर उठे हुये इंसानों को नीचे गिरा दिया जाय। क्या बजट में इस बात की झांकी नहीं मिलती

कि छोटी तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाहें बढ़नी शुरू हो गयी हैं ? चपरासियों की तनख्वाह दो रुपया बढ़ गयी है और पुलिस वालों के लिये ४ रु० खुराक में बढ़ गये हैं, इसके अतिरिक्त आधी महंगाई ओरीजनल पे में शामिल कर दी गयी है। हमारे वित्त मंत्री जी ने केवल इतना ही दावा तो किया कि इस प्रथम समाजवादी सरकार का जो बजट रक्खा गया है इसमें समाजवाद की रूप रेखा की झांकी मिलती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, क्या यह समाजवाद की परिभाषा में नहीं आता कि पहली मर्तबा इस पूरे देश भर में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि उन गरीब औरतों को जिनके बच्चा होने वाला है या होगा तीन महीने तक दूध की व्यवस्था की जा रही है। वह कौन सा समाजवाद है जो गरीब लोगों को इसका प्रबन्ध नहीं करना चाहता। हमारे इस समाजवाद की रूपरेखा में गरीब, यतीमों के रहने के लिये प्रबंध किया जा रहा है। इस सरकार ने यह उचित ही किया कि जिन गरीबों को लखनऊ के अन्दर रहने के लिये स्थान नहीं है, उनके रहने के लिये साधन जुटाने का प्रबन्ध किया है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार इस देश के अन्दर तस्वीर दिखाई पड़ेगी कि गांव के रहने वालों को भी नल से स्वच्छ और साफ पानी मिल सकेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस बजट के अन्दर माननीय विरोधी दल के सदस्यों को यह बात दिखाई नहीं पड़ती है ? दिखाई कैसे पड़े अध्यक्ष महोदय, जब न देखने की वे प्रतिज्ञा कर चुके हों। इस बजट में क्या छोटे लोगों के लिये रास्ता नहीं खोला जा रहा है ? मैं तो यह कह सकता हूं कि पहले साल का जो बजट बना था वह तो पियुल्स बजट था, लेकिन जो मौजूदा बजट इस साल आया है वह गरीबों का बजट है। मैं इसको इसलिये कहता हूं कि इसको गरीबों के लिये सीमित किया गया है और गरीबों के लिये रास्ता बनाया जा रहा है और उनके सुख और साधन का सामान एकत्रित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कल एक बात पर बहुत जोर दिया था और वह यह है कि बाढ़ पर सरकार केवल कमेटी बना दिया करती है। माननीय नेता विरोधी दल बाढ़ के साथ मजाक कर सकते हैं। लेकिन इधर के लोगों को बाढ़ पर तानाजनी करने की कोई हिम्मत नहीं होती। इस बजट के अन्दर लांग टर्म स्कीम और शार्ट टर्म स्कीम के लिये इशारा किया गया है और उसके लिये रुपया भी कुछ इस बजट में रखा गया है, तो कैसे केवल कमेटी बनाने तक ही यह बजट सीमित है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात जरूरी थी जैसा कि विरोधी दल के कुछ प्रमुख नेता जो हैं, यह कहा करते हैं कि किसी देश की बैकवार्ड इकनामी के अन्दर, दलबन्दी नहीं होनी चाहिये, सब को मिल कर उस देश के आर्थिक ढांचे को ऊपर उठाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस हद्द तक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के नहीं उठ सकते हैं तो मैं इतनी तो प्रार्थना कर ही सकता हूं कि कम से कम जो ऐसा प्रश्न है जिनके ऊपर प्रान्त का जीवन निर्भर है उसके ऊपर तो मखौल और तानाजनी करने की कृपा न करें। बाढ़ की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे यह प्रान्त पीड़ित है और यह सरकार चाहती है कि उस समस्या को किसी प्रकार से हल किया जाय। उसके लिये शार्ट टर्म और लांग टर्म स्कीम बनाने के लिये कदम उठाया जा चुका है और उसके लिये रुपये का प्रबन्ध भी इस बजट में है। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य नहीं है कि माननीय नेता विरोधी दल केवल राजनीतिक दांवपेंच में सम्भवतः इस बात का एलान करते हैं कि यह सरकार केवल कमेटी बना दिया करती है जब कोई चीज आ जाती है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम सम्पूर्ण बजट को उठा कर देखें तो उसमें हमको यह भी मिलेगा कि एन० ई० ब्लाक के लिये ३२९ लाख रुपया और रखा गया है, शिक्षा के लिये ७४ लाख रुपया ज्यादा रखा गया है और ५६ लाख रुपया मेडिकल डिपार्टमेंट में पहले से ज्यादा रखा गया है। तो इन कल्याणकारी कार्यों के लिये बजट में अधिक रुपया रखा गया है। थोड़ा सा पैसा जो पुलिस की तरफ ज्यादा दिया गया है वह माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है जैसा कि मैंने कहा कि वह ४ रुपया जो है वह खुराक के लिये दिया गया है। तो इन तमाम बातों को देखने के बाद कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस नतीजे पर आयेगा कि यह बजट केवल कल्याणकारी बजट नहीं बल्कि सोशलिस्टिक समाज बनाने की तरफ एक कदम है और ऐसा कदम सदैव सोच समझ कर रखा जाता है।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

माननीय नेता विरोधी दल ने कल एक बड़ी अनोखी बात कही कि रजिस्ट्रेशन से आय में बड़ी कमी हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां आकर सदन में किसी चीज के लिये यह कह देना बड़ा सरल होता है कि इसमें कमी हो गयी है। लेकिन उसके कारणों की तरफ भी तो गौर करना चाहिये कि जिस प्रकार की क्रांतिकारी भूमि व्यवस्था इस प्रदेश में लागू की गयी है और उसका जो स्वरूप अब इस प्रदेश में निखरता चला जा रहा है, क्या कोई समझता है कि उसके हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन में ज्यादा पैसा आयेगा। माननीय नेता विरोधी दल कुछ दिनों के बाद शायद यह भी कहेंगे कि स्टाम्प से कचहरियों में आमदनी कम हो गई है, जो होना लाजिमी है, चक-बन्दी होने के बाद। तो इस बात की तारीफ करना तो दूर रहा, रजिस्ट्रेशन में कमी क्यों हुई यह कहा गया। कमी इसलिये हुई कि जमींदारी प्रथा खत्म हुई, मिल्कियत खत्म हुई और जो रजिस्ट्रेशन में धूम मचा करती थी और एक के पास से दूसरे के पास जमीन खिसक-खिसक कर चली जाया करती थी वह व्यवस्था खत्म कर दी गयी और अब जैसे-जैसे उसका स्वरूप निखरता चला जायगा वैसे-वैसे रजिस्ट्रेशन में और स्टाम्प्स से जो आमदनी कचहरियों में होती है वह भी कम होती जायगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता यह था और मेरा यह दुर्भाग्य है कि माननीय विरोधी दल के नेता आज यहां नहीं हैं वरना मैं उनसे साफ-साफ कहता कि अब गाली गलौज करने का रास्ता छोड़ दें और अगर सिद्धान्त की बातें करें तो उन सिद्धांतों को अमल में लाने का प्रयत्न भी करें वरना इस तरह से कन्फ्यूजन करके कोई भी दल या व्यक्ति यदि आगे बढ़ेगा तो वह दल हमेशा के लिये समाप्त हो जायगा। यह सत्य है कि आज अपनी जगह पर जिस प्रकार से हमारे वामपक्षी दल कहलाने वाले अनहोली एलायेंसेज करते हैं जिनको कभी कोई सोच नहीं सकता और जिनको न खुद वे सोच सकते हैं यदि वे अपने सिद्धांतों की तरफ गौर करें, लेकिन महज राजनीतिक दांवपेंच के लिये ऐसा करते हैं और मैं तो कहूंगा श्रीमन्, कि जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का असगुन करने के लिये अपनी आंख फोड़ ले इस तरह की चीज हुई।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—जो आप आंध्र में कर रहे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—जी नहीं, जो आपके यहां लखनऊ और कानपुर में हो रहा है। तो इस प्रकार के जो गठबंधन हों उससे तो मेरा निश्चित मत है कि अब ऐसे दल इस देश से हमेशा के लिये एक्सटर्मिनेट हो जायेंगे।

अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं और अपने वित्त मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार का बजट रखा है वह हमेशा के लिये, भविष्य के लिये एक प्रकाश, एक आशा, और एक पथ का निर्देश करता है, जिसमें यह राज्य सुख की तरफ निरन्तर बढ़ता चला जायगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मेरे लिये समय के विषय में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—आप २५ मिनट का समय लेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, कल जब इस सदन में विरोधीदल के नेता का भाषण हो रहा था उस समय उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु आज अखबारों में यह पढ़ कर कि वे १७० मिनट तक इस सदन में बोलते रहे, मैं आपकी अनुमति से आप के और आप के साथ-साथ इस सदन के साथ भी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं। अखबारों ने तो शायद उनके साथ न्याय ही किया होगा, उनके उस समूचे भाषण को पढ़ लेने के बाद जो मुझे दुःख हुआ उससे अधिक दुःख मुझे आज अपने नवजवान साथी श्री नारायणदत्त तिवारी के भाषण को सुन कर हुआ। विरोधी दल के नेता

ने कल जो बहुत सी बातें कहीं उनमें से कुछ खास बातें तो इस सदन ने जरूर ही ध्यान में रख ली होंगी। एक खास बात तो यह है कि शायद मानसिंह के गिरोह से उनके पास खबर आ गई कि उनके बेटे तहसीलदार की गिरफ्तारी में पुलिस वालों ने कोई भी करामात नहीं दिखाई।

दूसरे नैपाल की सरकार ने उनको सूचना दी कि हम तो बहुत चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गांजे की आमद न हो, लेकिन प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी है कि वह गांजे को बराबर आने देती है। जब कि हम लोग तराई के नैपाल की सरहद के, रहने वाले हैं और जानते हैं कि कितनी कठिनाई हो रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, नैपाल सरकार को समझाने में कि कृपाकर के नाजायज गांजे और शराब की आमद को रोकिए और हमारी सहायता कीजिये।

तीसरी खास बात जो उन्होंने कही, उस बात को एक बार राज्य प्रमुख के भाषण के अवसर पर श्री नारायणदत्त ने भी दोहराया था, और वह हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम की बात थी। श्रीमन्, इस विषय पर हमारे वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में प्रकाश डाला था और मैं समझता हूं कि इसपर वास्तविक प्रकाश जब वे उत्तर देंगे तब डालेंगे, लेकिन दो बातें मैं उनकी सेवा में निवेदन कर देना चाहता हूं जिनको शायद जानबूझ कर वे न तो समझ सकते हैं और अगर समझ सकते हैं और कहते नहीं, तो मैं यह कहूंगा कि विरोधी दल को ऐसा नेता होने के लिये बधाई और ऐसे नेता को ऐसी बुद्धि होने के लिये बधाई देना मेरे लिये आवश्यक है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश का आय-व्ययक लेखा और समूचे भारतवर्ष का आय व्ययक लेखा-जोखा सम्मिलित लेखा जोखा होना चाहिये। इसलिये कि पंचवर्षीय योजना एक प्रदेश की योजना नहीं है, समूचे देश की पंचवर्षीय योजना है। यह सभी जानते हैं कि समूचे पंचवर्षीय योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही नहीं बल्कि भारत की सरकार ने मिलजुल कर बनाया, उस समय १,३५३ करोड़ रुपये थे। और जो योजना परिपक्व हुई आमदनी का समूचा तखमीना वह समूची योजना २,२४४ करोड़ रुपये की हो गयी। इसीलिये आमद और समूची योजना में जो गैप है इन्टरनल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को जोड़ कर जितने इंटरनल रिसोर्सेज थे उन सब साधनों को मिलाने के बाद भारत की सरकार ने प्रदेश की सरकारों के साथ जो कुछ भी बातचीत की उसका जो नतीजा निकला वह सिर्फ १,३५४ करोड़ रुपये की पूंजी हमें दे सकती है, जब कि योजना २,२४४ करोड़ रुपये की है। इस तरह से इस योजना में क्षति ८९० करोड़ रुपये की है और यह गैप उत्तर-प्रदेश की सरकार पर भी रिफ्लेक्ट करेगा और इस रिफ्लेक्शन की सीधीसादी मिसाल यह है कि समूचे देश और प्रदेशों का लेखा जोखा लगभग ९०० करोड़ रुपयों का होता है और समूचे देश और प्रदेशों के ९०० करोड़ रुपये के लेखे जोखे में २९० करोड़ रुपये का घाटा है और वह २९० करोड़ रुपये का जो घाटा है उसमें सम्मिलित है और उस घाटे के साथ-साथ ऋण भार भी है कल माननीय बालेन्दुशाह जी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि २१३ करोड़ रुपये का इस प्रदेश का ऋण भार है जिसके लिये ६ करोड़ रुपया सूद देना होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि कई वर्षों के बाद इतना स्पष्ट, इतना साफ़ बजट उन्होंने पेश किया जिसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात यह कही कि हमको तो लोक कल्याण का कार्य करना है साधन हों या न हों, लेकिन इस प्रदेश को लोक कल्याण का काम करना है। अगर लोक कल्याण का काम करना है तो पैसा कहां से आयेगा? एक मार्के की बात माननीय बालेन्दुशाह जी की सेवा में निवेदन कर दूं, तिवारी जी तो उसे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, समूचे देश और प्रदेश का पूरा ऋण भार जो केन्द्रीय सरकार के ऊपर है वह ३ हजार १३ करोड़ रुपये का है और ३ हजार १३ करोड़ रुपये का ऋण भार जो समूचे भारतवर्ष का है उसमें ४९८ करोड़ रुपये का अंश प्रदेश की सरकारों का है। एक बात और निवेदन कर दूं कि ३ हजार १३ करोड़ रुपये के ऋण भार में १,३६८ करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार का सब मिला कर जनता से वसूल करना है। अतएव ऋण भार इतना अधिक नहीं है जितना कि दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार माननीय बालेन्दु शाह जी ने, जो शायद बजट में देख चुके हैं कि उत्तर-प्रदेश के २१३ करोड़ के ऋण भार में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

७३ करोड़ १२ लाख रुपया डेवलपमेंट स्कीम के लिये गवर्नमेंट को केन्द्रीय सरकार से मिली हुई रक़म है। ८ करोड़ २८ लाख रुपया रिहैबिलिटेशन के लिये मिला हुआ है, ३ करोड़ ३६ लाख रुपया मिला हुआ है कम्युनिटी प्राजेक्ट के लिये, यह उस ऋण का अंश है और मैं नहीं जानता कि इससे किस प्रकार से प्रदेश दब जायगा और किस तरह से उसका आर्थिक नाश हो जायगा। हमारे तिवारी जी ने एक बात कही जो उनका एक तरह का स्लोगन भी है और वह बात है इंशोरेंस और बैंक्स को नेशनलाइज करने की। उन्होंने कहा कि उनको नेशनलाइज किये बिना कोई काम नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इंशोरेन्स कंपनियों का लाइफ फंड ८ सौ करोड़ रुपया है इसमें से ७० परसेंट रुपया गवर्नमेंट सेक्योरिटी में ही इंवेस्टटेड है, अगर ऐसा है तो नेशनलाइज करना किसे कहते हैं? यह कह सकते हैं कि उनके इंशोरेंस प्रीमियम की आमदनी गवर्नमेंट को हो, लेकिन उस पर ख़र्चा भी कितना होगा? उस पर ६० फीसदी तो ख़र्चा ही हो जायगा। १३६ या ३८ करोड़ रुपये की आमदनी से उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष की सरकार का ऋण भार हल्का नहीं हो जायगा। केवल स्लोगन लगाने से ही ऋण की समस्या हल नहीं हो जायगी। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें और जान लेनी चाहिये। पर कैपिटा इन्कम की बात कहने वाले मित्र शायद भूल जाते हैं कि इस बारे में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। उसका भी जिक्र यहां हुआ और अगर उसकी रिपोर्ट को हम सही मानते हों तो सन् १९५२-५३ के जमाने में हमारी परकैपिटा इन्कम ९ हजार ५ सौ करोड़ रुपया थी और १९५३-५४ के जमाने में वह बढ़ कर १० हजार १० करोड़ रुपया हो गई। मेरा मतलब नेशनल इन्कम से है और इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इस १० हजार १० करोड़ रुपये में जो औसत है उस हिसाब से १,५६२ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का है। अब मैं नहीं जानता कि कौन से आंकड़े कहां से पढ़कर माननीय राजनारायण जी ने इस सदन की सेवा में उपस्थित किये थे, खैर वह जो भी हो, उसका उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री देंगे ही, लेकिन एक चीज मैं बतला दूं कि पर कैपिटा इन्कम का हिसाब लगाने या समझने के पहले और भी बहुत सी बातें जानना जरूरी है। हिसाब-किताब के मामले में असत्य भाषण करने से कोई लाभ नहीं। नेशनल इन्कम भारतवर्ष की १० हजार १० करोड़ रुपया है, जो कि बहुत जांच के बाद आंकी गई है। इसमें पूंजी से, इंडस्ट्रीज से आमदनी केवल ६९० करोड़ रुपया है, बाकी आमदनी का अंश हमारे देहातों की ८० फीसदी और शहरों की ५, ७ फीसदी जनता से प्राप्त होता है, तो इस बात को भी समझ लेना अच्छा होगा और इसके साथ यह भी कि यह वही भारतवर्ष है कि जिसका करेंसी एक्सपेंशन सिर्फ ३०५ करोड़ रुपया १९३९ में था २४ सौ करोड़ रुपया हुआ, १९४८-४९ में और १८ सौ करोड़ रुपया रह गया। १९५३-५४ में जब ६००करोड़ रुपया करेंसी से घट जायगा तो उसके कारण पर कैपिटा इन्कम का हिसाब लगाने में थोड़ी सी अक्लमन्दी से भी काम लेना पड़ेगा।

श्रीमन्, एक बात और निवेदन कर दूं कि जहां तक बालेन्दुशाह जी ने ऋण भार की बात कही, उसके बारे में आवश्यक है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा और सोचना इसलिये होगा कि हमको ऋण के अलावा जो देना है उसमें करीब९ करोड़रुपया प्रावीडेंट फंड का है, हमको जो देना है उसमें करीब १५ या साढ़े १५ करोड़ रुपया लोकल फंड एकाउन्ट्स का भी है। यह भी हमको देना है। हमको साढ़े ९०करोड़ रु० ३१ मार्च, १९५६में अदा करना है उसमें से ६० करोड़ रुपया कमपेन्सेशन बौन्ड्स का है। तो जब हमको इतनी रक़म अदा करनी है, उसके लिए जैसा कह दिया गया हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ३०, ३२ करोड़ रुपया रेवेन्यू रिजर्व में है और इसको तिवारी जी ने भी कबूल किया है कि इतन ही रु०जनता से वसूल करना बाक़ी है ३०, ३२ करोड़ रु०, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि जब हमने तय कर लिया किटैक्स नहीं बढ़ायेंगे तब हमको अपनी जो आमदनी है उस पर भी ध्यान रखना होगा। तिवारी जी ने अभी जिक्र किया थोड़ा सा गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स की प्राप्ति के बारे में, समझे नहीं उस विषय को वे, जरा मैं विस्तार के साथ समझा देना चाहता हूं। माननीय वित्तमंत्रीजी भी जरा इस विषय पर ध्यान देंगे।

गवर्नमेंट बसेज से जो प्राफ़िट आफ़ परसेंटेज होता था वह सन् १९५२-५३ में ८.४५ था, सन् १९५३-५४ में ५.६६ रह गया और १९५४–५५ में घटकर २.१० हो गया। ऐसा जरूर है कि किराये में कमी हुई होगी, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई होगी, आरामदायक बसेज चली हों, लेकिन मुनाफे में भी थोड़ी कमी हुई। इसके साथ-साथ गंगा हाइडिल ग्रिड उसमें सन् १९५२–५३ में, माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम होगा २.२२ का मुनाफा था वह घटा और घट करके २.०० १९५३–५४ में रह गया और सन् १९५४–५५ में घट करके अब मेरे खयाल में करीब १.०३ रह गया है। यह एक बहुत बड़ी कमी है। इसी प्रकार से कैनाल के विषय में जहां १९५३–५४ में ५.४५ का मुनाफा था, जहां १९५४–५५ में ५.४२ का मुनाफ़ा था वहीं १९५५–५६ में ५.३२ का मुनाफ़ा रह गया है।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, वहां १.१८ का मुनाफ़ा था १९५४–५५ में और १९५५–५६ में ०.५९ का ही मुनाफ़ा रह जायगा। तो गवर्नमेंट को किसी अन्डरटेकिंग में तीन फीसदी से कम मुनाफ़ा होना अच्छा नहीं होता। कोई न कोई त्रुटि है जिसकी ओर ध्यान देना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इन्कमटैक्स के मद में हमारी आमदनी घट रही है। इसलिये घट रही है कि केन्द्रीय सरकार ने छोटे स्तर की आमदनी वालों पर टैक्स कम करना शुरू कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि गत वर्ष में पिछले वर्ष की वसूली से २६ लाख रुपया हमें कम मिला था और इस वर्ष ६६ लाख रु या कम हो गया और जब यह वसूली कम होगी तो इसकी क्षति को पूरा करन के लिये हमें अन्य साधनों से वसूल करना पड़ेगा और उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से कहें कि जब पंच-वर्षीय योजना के अनुसार इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल प्लानिंग को अहम स्थान दिया जा रहा है तो कारपोरेशन टैक्स में से कुछ अंश उत्तर प्रदेश को भी मिलना चाहिये, और उसके डिविजि-बिल पूल में हमारा स्थान भी होना चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहता हूं वह है स्टेट ड्यूटी, डेथ ड्यूटी के सम्बन्ध में। गत वर्ष हमको १५ लाख ७१ हजार की आमदनी हुई। मालूम होता है कि किसी भविष्य वक्ता ने माननीय वित्त मंत्री जी को बता दिया इस साल कुछ अमीर ज्यादा मरेंगे, इसलिये उन्होंने अब की ४५ लाख रुपये की आमदनी का अन्दाज लगाया है, डेथ ड्यूटी से। मैं समझता हूं कि डेथ ड्यूटी के विषय में जो आफ़िसर्स हैं वह केन्द्रीय सरकार के हैं यदि उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों में मिला दिया जाय तो शायद हम अच्छा तखमीना और जांच-पड़ताल आसानी से कर सकें।

श्रीमन्, बहुत सी बातें कही जाती हैं, बाहरी देशों के बजट के आंकड़े पेश किये जाते हैं। मैं भी जानता हूं कि हमारे यहां चीन के बजट के बारे में कम्युनिस्टों को प्रसशा करने की आदत पड़ गयी है। चीन सरकार ने अपने सूचना विभाग द्वारा सितम्बर, अक्तूबर का एक अंक भेजा था उसमें पीपुल्स बजट पर एक लेख था उस लेख में उन्होंने लिखा था कि चीन का समूचा बजट ५४ अरब रुपये का है और उस ५४ अरब रुपये में उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ४५ प्रतिशत आमदनी इंडस्ट्री कामर्स आदि से है। हमको कम से कम इस बात का गर्व है कि हम इतना बड़ा टैक्स का भार जो कि साधारण कंज्यूमर पर पड़ता है, उतना बड़ा टैक्स का भार जनता पर रख कर अपना बजट नहीं बनाते। हमारे उत्तर प्रदेश का समूचा खर्च चाहे जितना भी हो, लोक कल्याणकारी खर्च होने पर भी हम उतना बड़ा टैक्स का भार नहीं डाल रहे हैं। आज हम ४६–४७ की तुलना में ४० प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं जब कि चीन की सरकार कहती है कि हमने तीन साल में १६ प्रतिशत खर्च बढ़ा दिया है। हमें ज्यादा आंकड़ों को जानने की जरूरत नहीं जब कि हम यह जान लेते हैं कि चीन का ५ हजार डालर भारतवर्ष के एक रुपये के बराबर पड़ता है। तो उन डालरों के झगड़े में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। कम्युनिस्ट मुल्कों में बजट की एक अलग प्रणाली है। चीन की सरकार कहती है कि हम अपने बजट को तब तक पास नहीं करते जब तक कुछ दिनों तक उसको आपरेशन में न रख लें और कुछ दिनों तक काम कर लेने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद तब हम उस साल

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

के बजट को पेश करते हैं और तब पास करते हैं। हमारे यहां तो सप्लीमेंट्री बजट का अगर एक दो लाख का आइटम भी आ जाय तो लोग समझने लगते हैं कि कहीं का पहाड़ टूट पड़ा। तो इस तरह से अगर देखा जाय तो हमको कई बातों का गर्व है, जो कि हमारे यहां औरों की अपेक्षा कहीं अच्छी हैं। हमने चार पांच सालों में अपने तमाम ढांचे को बहुत कुछ सम्हालने का प्रयत्न किया है। हमें इस बात के ऊपर संतोष होना चाहिये कि समूचे भारतवर्ष की परिस्थिति को देखते हुये हम उत्तर प्रदेश में इस योग्य भी हुये हैं कि एक मिनट में सरकार का समूचा जो खर्च है वह हम जान सकें। २,४१३ रुपये फी मिनट उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है लोक कल्याण के कार्यों पर जब कि समूचे चीन में फी मिनट खर्च एक लाख ३ हजार रुपया पड़ता है और वह भी उस सूरत में जब कि उनका अधिकांश व्यय सेना पर है। तो हमको अपने लोक कल्याणकारी कार्यों पर होने वाले खर्च का भी गर्व है।

हमको इस बात का भी गर्व है कि हम जो करते हैं एक साफ ढंग से करते हैं, उसकी एक साफ तस्वीर जनता के सामने रख देते हैं। राजनारायण जी के दिमाग में तो दूसरी चीज घुसी हुई है जिससे कि उनको तो कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं पड़ती है सेल्स टैक्स के लिये उन्होंने कहा कि उसकी आमदनी कम हो गई। अब कई चीजों पर बिक्री कर माफकर दिया गया जिसकी वजह से सेल्स टैक्स की आमदनी में कमी हो गई तो उनको इसकी भी शिकायत हो गई कि आमदनी क्यों कम हुई। इन्टरटेनमेंट टैक्स में भी यही बात है। बहुत सी संस्थाओं के ऊपर उनकी चैरिटी शोज के ऊपर इंटरटेन्मेन्ट टैक्स माफ कर दिया गया जिससे टैक्स की आमदनी में कमी हुई। लेकिन राजनारायण जी को शिकायत है कि आमदनी क्यों कम हो गई। लेकिन यह तो कुछ ऐसी आदत सी हो गई है कि जो सड़कों पर नारे लगाये जाते हैं वह यहां इस सदन में भी लगा दिये जाते हैं। तो मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि जिन थोड़ी बहुत त्रुटियों की तरफ मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है उन पर वह ध्यान देंगे। आपकी सेवा में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की आज चाहे जितनी आलोचना कर लें लेकिन अगर सोचें कि हमारी हालत कितनी बदल गयी है तो हमें सही स्थिति का पता लग सकता है। बेकारी की समस्या के बारे में बहुत सी लम्बी लम्बी तकरीरें की जाती हैं और यह फैशन हो गया है कहना कि बेकारी दूर करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन वह लोग शायद इस पर ध्यान नहीं देते कि सन् १९५१-५२ में जहां १३६८ लाख की वर्किंग पापुलेशन थी वहां अब वह १४२९ लाख की हो गयी है। अगर दो तीन सालों में ५० लाख आदमियों को काम मिल गया तो यह बेकारी की समस्याको हल करना नहीं है तो और न जाने क्या इसको कहा जायगा। जिस देश की आबादी हर साल ५०लाख बढ़ती जाती हो, जो देशकी दस साल में इंग्लैंड इतना बड़ा मुल्क पैदा करता हो, उस देश की बेकारी की समस्या को केवल नारों के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। और मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल उम्र के हिसाब से २० से लेकर २५ वर्ष की उम्र के हिसाब से १५ लाख नौजवान ऐसे तैयार हो रहे हैं जिनको काम देना है और उन लोगों को काम देने के लिये ऐसी कोई योजना नहीं बनायी जा सकती जिससे कि एक दिन में और एक क्षण में काम दिया जा सकें, जब कि चीन सरकार की भी रिपोर्ट है कि शायद २३ फीसदी आदमियों के लिये कोई काम नहीं दिया जा सका है। तो फिर बेकार की बातों में आपका और इस सदन का समय नष्ट करना उचित नहीं मालूम होता।

इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्तमंत्री और विरोधी दल के नेता के पिछले दिनों में भाषण सुने और मैं माननीय वित्त मंत्री को हृदय से बधाई देता हूं इस बजट के लिये। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो बातें कहीं,

उनमें से मुख्यतः यह थीं कि सबसे पूर्व उन्होंने लक्ष्य की ओर इशारा किया। इसके बाद उन्होंने उन कार्यवाहियों की ओर भी इशारा किया जो इस लक्ष्य प्राप्ति के लिये की गई हैं और इसके उपरान्त उन्होंने उन कार्यों पर प्रकाश डाला जो इस वर्ष में इस सरकार के द्वारा किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हमारे सामने जो लक्ष्य है वह समाजवादी व्यवस्था इस देश में कायम करना है और यह बजट उस ओर एक कदम है उस लक्ष्य की ओर, उस उद्देश्य की ओर। उन्होंने यह भी फरमाया कि इस बजट में एक झलक मिलती है उस समाजवादी व्यवस्था के अन्तिम स्वरूप की। हमारे वित्त मंत्री का दावा यह कभी नहीं रहा और इस बजट भाषण में भी नहीं था कि इस हमारे प्रदेश में भुखमरी खत्म हो गयी, हमारे इस प्रदेश से गरीबी आमूल नष्ट हो गयी, हमारे यहां सुख शान्ति का राज्य स्थापित हो गया, समृद्धि का राज्य स्थापित हो गया। उन्होंने यह कभी नहीं कहा और यह दावा भी नहीं था कि हम अपनी अन्तिम सीढ़ी पर पहुंच गये और निर्माण कार्य समाप्त हो गया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हम इस ओर निरन्तर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हमारी कोशिशें जारी हैं, हम एक क़दम के बाद दूसरा कदम उस ओर उठाते चले जा रहे हैं,। लेकिन हमारे नेता विरोधी दल ने न मालूम यह कहां से समझ लिया कि सरकार का दावा यह है कि सारा निर्माण कार्य समाप्त हो चुका और आज इस प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कि क्षुधा, गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और शिक्षा के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो? कहां से इस बात को समझा? मुझे अफसोस है, कल मेरे मित्र माननीय राज नारायण जी ने जो भाषण दिया, मैं ज्यादा कटु शब्दों में आलोचना करने का न तो आदी हूं, न करना चाहता हूं, लेकिन किसी भी विरोधी दल के नेता के लिये जो भाषा का उपयोग कल यहां पर किया गया वह बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आज इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि लूट-खसोट जारी है। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि आज अराजकता फैली हुई है, आज यह सरकार गैर कानून, कानून के द्वारा चलाई जा रही है और उन्होंने यह कहा कि अगर उनका बस चले तो इस शासन को वह एक मिनट में तब्दील कर दें। किस तरह से तब्दील कर दें, उन्होंने इस ओर इशारा किया कि ऐसी सरकार को तब्दील करने के लिये वह हिन्सा का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस संबंध में श्री जय प्रकाश नारायण जी का नाम उद्धृत किया। मैं उनके इस भाषण के अंश के सम्बन्ध में राजनारायण जी से और विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसको सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि यह मित्र जो विरोधी दल में बैठे हुये हैं, वह राजनारायण जी की इस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, समर्थन करते हैं या नहीं। अगर समर्थन करते हैं तो हमारे सामने एक गम्भीर संकट पैदा हो जाता है और अगर नहीं करते हैं तो मुझे प्रसन्नता है और मैं यह तो कहने का दुस्साहस और धृष्टता नहीं कर सकता हूं कि वह इस प्रकार के अपने नेता के साथ क्या करें। यह उनका आंतरिक घर का मामला है। लेकिन जहां तक उनके इस कथन का सवाल है कि वह हिन्सा के द्वारा भी और जोर जबर्दस्ती से इस सरकार को पलट सकते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

कुछ सदस्य—यह नहीं कहा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—अगर आप उस भाषण की कापी पढ़ें तो मालूम हो जायगा कि उन्होंने इशारे से कहा और जयप्रकाश नारायण का नाम कोट किया था। अगर श्री राजनारायण जी यहां होते और वह कह देते कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो मुझे शान्ति मिल जाती, सदन को शान्ति मिल जाती। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें कह कर प्रजातंत्र को चुनौती देना सदन की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाता है, सदन की इज्जत को नहीं बढ़ाता है।

मैं नहीं जानता कि श्री राजनारायण जी की इन बातों का सरकार क्या जवाब देगी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरफ जितने आदमी बैठे हुये हैं यह प्रजातंत्र की परम्पराओं की रक्षा के लिये बड़ी सी बड़ी कुरबानी देने के लिये तैयार हैं और हम इसलिये प्रयत्न नहीं करेंगे कि यह सरकार कायम रहे, मुख्य मंत्री जी अथवा वित्त मंत्री जी कायम रहें। लेकिन अपने सिद्धांत की रक्षा के लिये जो परम्परायें हमने वर्षों से कायम की हैं उनके लिये हम संघर्ष करेंगे।

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

इसदेश में हमने सत्य और प्रेम से स्वतंत्रता हासिल की है और शान्ति और प्रेम से ही हम अपने देश का निर्माण भी करना चाहते हैं। हम सुलह और समझौते के साथ अपने यहां की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। अगर इन बुनियादों के उसूल पर किसी ने आपत्ति की या विरोध किया या समाप्त करने का प्रयत्न किया तो यह निश्चित है कि यह सरकार कायम रहे या न रहे, लेकिन आज, कल परसों या जब-जब यह चुनौती दी जायगी तो उसका मुकाबला किया जायगा, संघर्ष किया जायगा और उसको पराजित किया जायगा।

मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, राजनारायण जी से और विरोधी दल से कि पिछले सात वर्षों में जो इस देश में हुआ, इस राज्य में हुआ, जो महान् योजनायें और बड़े-बड़े कार्य इस देश के चित्र को तब्दील करने के लिये हुये, समाज के चित्र को बदलने के लिये हुये, इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या वह इस बात की ओर इशारा नहीं है कि हम सचमुच देश में स्वतंत्रता कायम करना चाहते हैं, सचमुच में हम फैली असमानता को खत्म करना चाहते हैं और हम मनुष्यों के जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। इस तरफ के बैठने वालों को गर्व है और उस तरफ के लोग भी गर्व महसूस करें कि इस देश में एकता कायम की गई, बड़े-बड़े राज्योंको समाप्त कर के, बड़े बड़े ताल्लुकेदारों और जमींदारों को समाप्त करके एकता कायम की गयी, शोषण के साधनों को समाप्त किया गया, गरीब आदमियों को जिनके ऊपर सदियों से जुल्म हो रहे थे उनके जीवन को अधिक आरामदेह बनाने की कोशिश की गयी। मैं विरोधी दल से बहुत नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो प्रयोग किया गया, समाज के एक बहुत बड़े अंग का जो शोषण कर रहा था उसको समाप्त किया गया यह सब केवल इसलिये किया गया कि असमानता समाप्त हो, विषमता दूर हो। इस समय मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन तमाम कामों का जो इन दिनों में किये गये हैं ब्योरा पेश कर सकूं। राजनीतिक दलबन्दी की भावना को छोड़कर यदि देखा जाय तो निश्चय ही हमने इस ओर क़दम बढ़ाया है और वित्त मंत्री ने जो फ़रमाया है कि इस बजट में इस बात की झलक है कि हमने आगे बढ़ने की तरफ एक कदम उठाया है यह बिलकुल सही है।

इन सब बातों के होते हुये भी मैं बहुत सी बातों की तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले मौकों पर मैंने इस सदन में बराबर कहा कि पिछड़े इलाकों के लिये एक सब-प्लान बननी चाहिये। प्लानिंग का मतलब ही यह है कि पहले कौन सी चीज की जाय और बाद में कौन सी चीज की जाय और जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनको उन्नतिशील इलाकों के बराबर लाने के लिये क्या किया जाय। यह जाहिर है कि जब सारे प्रदेश की समस्याएं एक साथ आपके सामने आती हैं तो उतने लेजर के साथ आप उन पर ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिये पिछले तीन वर्षों में मैंने आपसे इस हाउस में कहा कि पहाड़ के इलाके और बुन्देलखंड के इलाके के लिये एक सब-प्लान बननी चाहिये जिससे आप इन दोनों इलाकों के सम्बन्ध में ज्यादा समय दे सकें। मुझे खुशी है कि पहाड़ के इलाकों की उन्नति के लिये आपने कदम उठाया है, एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है और एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठ रही है जो कि इस मामले में सोचेगी। मुझे पूर्ण आशा है कि जब माननीय वित्त मंत्री अपना जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो वे यह कह सकेंगे कि बुन्देलखंड के चार जिलों के लिये भी एक ऐसी एक्सपर्ट कमेटी और डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जायगा।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह है सरकारी कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में। मुझे प्रसन्नता है कि आप ने छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ाया, यह अवश्य समानता की ओर कदम है, लेकिन अगर इसके साथ-साथ जो बड़े-बड़े कर्मचारी हैं, जो ३–३ और ४–४ हजार रुपये पा रहे हैं उनकी तनख्वाहों में अगर आपने टोकेन रिडक्शन ही कर दिया होता, एक रुपये ही कम कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि यह और भी बड़ा सबूत होता हमारी अभिलाषा का कि हम समानता कायम करना चाहते हैं। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि पहली अप्रैल के बाद जितने बड़े कर्मचारी रखे जायं जिनका वेतन स्केल ५०० रु० से शुरू होता है वे कम तनख्वाहों पर रखे जायं, फिलहाल एक परसेंट रिडक्शन आप

उनके वर्तमान स्केल्स में कर दें। इस तरह से छोटे कर्मचारी आगे बढ़ेंगे और बड़े कर्मचारियों का वेतन स्तर नीचे आयेगा। यह सबूत होगा हमारी इच्छा और अभिलाषा का।

तीसरी बात मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दो वर्ष पूर्व मैंने, श्रीमन्, धृष्टता की थी इस सदन में यह कहने की, आज जो यूनिवर्सिटीज हैं यह दो स्पेसीज तैयार कर रही हैं। एक तो कम्युनिस्ट और दूसरे बेरोजगार। मैं अफसोस नहीं करता आज भी अपने उस वक्तव्य को देने के लिए। उस वक्त मैंने कहा था कि यदि सरकार इन दोनों का मास प्रोडक्शन नहीं बन्द कर सकती है, सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे इन दोनों स्पेसीज का मास प्रोडक्शन कम से कम बन्द हो जाय तो मैंने यह धृष्टतापूर्ण कहा था कि आप उन यूनिवर्सिटीज में कुछ समय के लिये ताला डाल दीजिये, दो, चार, पांच, दस वर्ष के लिये, क्योंकि हमारे पास बहुत से ग्रेजुएट्स हैं। जो दस साल तक कम से कम जो नौकरियां निकलने वाली हैं उन सबों में खपा सकते हैं, हमें नये ग्रेडुएट्स की जरूरत नहीं है। उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री ने फरमाया था कि चूंकि देश के सामने कोई योजना नहीं है, कोई पालिसी नहीं है इसलिये शिक्षा का भी कोई लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश आज शिक्षा मंत्री उपस्थित नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक लक्ष्य हमने निश्चित कर लिया। हम इस देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। हमारे सामने एक आयडियल है। इसलिए अब से जो शिक्षा की नीति हो, हमारे प्रदेश की सरकार जो शिक्षा की नीति निर्धारित करे वह ऐसी हो जो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहयोग दे सके, सहायता दे सके। आज मैं यह देख रहा हूं श्रीमन्, कि हर जगह बेकारी है। हर जगह एक प्लान होता है, हमको कितने ग्रेडुएट्स की जरूरत है, कितने टेकनीशियंस की हमको जरूरत है, कितने अन्डर ग्रेडुएट्स की हमको जरूरत है, कितने हाई स्कूल पास लोगों की जरूरत है, हर देश में एक प्लान के हिसाब से काम होता है, लेकिन यहां पर कोई योजना नहीं। आप पुलिस ट्रेनिंग में उतने ही आदमियों को लेते हैं, जितने आप थानेदारी में खपा सकें, आप इंजीनियरिंग में उतने ही आदमियों को लेते हैं जिनको इंजीनियर बना सकें। लेकिन यह यूनिवर्सिटी की शिक्षा ऐसी है जिसमें कोई योजना नहीं है? कितनी ही तादाद में लड़के चले आयें, यह बढ़ते ही चले जायेंगे। इसके बाद वह बेरोजगारों की फौज बना दें अथवा कम्युनिस्टों की फौज बना दें, यह हमारे सामने एक नजारा आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं फिर चेतावनी दे देना चाहता हूं। अगर हमने पढ़े लिखे बेरोजगारों की समस्या को हल नहीं किया तो वह वक्त आ सकता है कि वह हमारे समाज की बुनियादें हिलाने का एक जबरदस्त खतरा बन जायं। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करें।

आखिरी बात श्रीमन्, दो मिनट में, उर्दू के सम्बन्ध में है। मुझे प्रसन्नता यह है कि सरकार ने उर्दू के संबंध में मुसलमान भाइयों को और जो उर्दू के पक्षपाती हैं उनके दृष्टिकोण को मीट करने के लिये यह एक कदम उठाया। मैं नहीं समझता कि इतनी देरी इसमें क्यों हुई। यह बहुत जल्दी होना चाहिये था और मैं यह भी इसके साथ कहना चाहता हूं कि एक बार हम को यह तय कर लेना चाहिये, सरकार को तय कर लेना चाहिये कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे असंतोष पैदा हो रहा है एक कम्युनिटी को या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो असंतोष का कारण बनी हुई हैं जिनको हम मीट कर सकते हैं, उनको हल करना चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं अपने उर्दू के पक्षपाती भाइयों से वह यह है कि पिछले दिनों जब कि इसका आन्दोलन चल रहा था तब हमने देखा कि एक साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के आधार पर उस भाषा के प्रश्न को हल करने की कोशिश की गयी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम जानना चाहते हैं उनसे कि जो शांति और सुरक्षा का जीवन इस प्रदेश में व्यतीत करना चाहते हैं कि कितनी चीजें हैं जिससे आपको असंतोष हो सकता है? देश का बटवारा, सामान का बटवारा और जितने भी देश के साधन थे उन सब का बंटवारा और जितनी भी चीजें की जा सकती थीं आपको संतुष्ट करने के लिये वह की गयीं। हम समझते थे कि इस बंटवारे के बाद और इस सम्पत्ति

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

और साधनों के बटवारे के बाद कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिससे आपको असंतोष पैदा होता रहेगा ।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से भवन में जो आय-व्ययक १९५५–५६ का है उसके ऊपर भाषण हो रहे हैं । श्रीमन्, मैंने देखा कि जहां दोनों तरफ से राजनैतिक बातें हैं और आंकड़ों की बातें हैं उनके बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया । मैं यह समझता हूं कि इसकी सभी को प्रसन्नता है और सरकार को मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं कि प्रांत की आर्थिक स्थिति को ९० करोड़ तक ले जाना सरकार का काम है और इस बजट में जो सरकार ने विकास की योजनाओं के लिये अधिक खर्च करने के लिये रुपया रखा है उसके लिये सभी उसको बधाई देने के लिये तैयार हैं । लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके द्वारा सरकार को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष कर लगाये गये थे तब कैनाल रेट्स बढाये गये थे तो माननीय वित्त मंत्री को याद होगा कि उस समय यह कहा गया था कि विकास योजनाओं में व्यय करने के लिये यह कर बढाये जा रहे हैं और यह स्थायी कर नहीं है यह फिलहाल सारी विकास की योजनाओं को तरक्की देने के लिये किया जा रहा है और उसके लिये कर बढायेजा रहे हैं और आइन्दा चलकर इनको कम कर दिया जायगा । मुझे दुख है कि सरकार ने अभीतक इनको कम नहीं किया है । अब तो आन्दोलन भी समाप्त हो गया है । मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह यह मानती है कि खाद्य समस्या हल करने के लिये यह किया गया था तो यह मानना पड़ेगा कि जो खेती करने वाले लोग हैं और देहात के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर इन करो के भार से बहुत परेशानी है । उनके ऊपर कैनाल रेटस ही नहीं और भी नाना प्रकार के कर हैं उनकी समस्या की जांच करने के लिये सरकार को यह करना पड़ेगा कि वह उनके लिये विचार करे क्योंकि सरकार खुद यह कहती है कि हम देहाती क्षेत्रों में रहने वाली जनता का स्तर ऊपर उठाने के लिये काम करना चाहते हैं और उनके स्तर को बढाना चाहते हैं । तो मैं अर्ज करूंगा कि उनके ऊपर अधिक कर लगाकर उनके स्तर को ऊंचे नहीं उठाया जा सकता है । कैनाल रेट्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स, पंचायत टैक्स और दूसरे जितने भीटैक्स हैं उनको देखते हुये यह आवश्यक है कि सरकार की तरफ से कोई कदम उनके लिये उठाया जाय । सरकार देहातों की तरफ भी अपना ध्यान दे और उनकी माली हालत को सुधारने का प्रयत्न करें । मैं यह कहता हूं कि सरकार ने सहकारी बैंकों की तरफ से कर्जे देने की व्यवस्था यहां पर बनायी है । यह भी सही है कि करजे की व्यवस्था करने से किसान भाइयों का बहुत भला हुआ है, लेकिन आज जो वहां पर कर्जे की हालत है उसके लिये आपको एक बिल लाना पड़ेगा । आज जमींदारी विनाश के बाद भी वहां पर आनन्द नहीं है । आज कर्जे की हालत यह है कि लखनऊ के रहने वाले लोग उन लोगों से एक आना रुपया सूद लेते हैं । उन लोगों से १२।। परसेंट तक सूद लिया जाता है । इसकी कोई योजना सरकार को बनानी चाहिये । अगर आपने इस उद्देश्य को पूरा कर लिया तो बहुत काम देश के लिये हो सकेगा ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोबिन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५५–५६ के आय-व्ययक पर विचार कर रहा था । मैं आपके द्वारा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हम सब को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा बजट ९० करोड़ का हो गया है और विकास की तरफ रुपया ज्यादा खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इसकी तरफ आपके द्वारा सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने जो टैक्स किसानों और गरीब जनता पर लगाये थे उस वक्त उसने यह आश्वासन दिया था कि जब ऐसी परिस्थिति आ जायगी और विकास के कार्य पूरे हो

जायेंगे तो सरकार इन टैक्सों को वापस ले लेगी। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि कैनाल रेट एक ऐसा टैक्स है जो अब सरकार को वापिस ले लेना चाहिये, कम कर देना चाहिये। आपके कैनाल के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको करीब-करीब पूरा कर लिया गया है। वित्त मंत्री जी का जो भाषण है उसमें भी पेज तीन पर यह बताया गया है कि जितने भी बड़े-बड़े बांध थे वे या तो पूरे हो गये हैं या पूरे होने जा रहे हैं। अब केवल दो चार रह गये हैं। तो वह प्रांत का मामला है वह भी पूरे हो जायेंगे। इसलिये अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कैनाल रेट को कम कर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं कृषि-आयकर के बारे में कहना चाहता हूं। आज आपने खाद्य समस्या को हल कर लिया है। यह ठीक है लेकिन वह मजबूत हो जाय, गल्ले की पैदावार में कमी आने का अंदेशा न रहे, इस बात को आपको अभी पूरा करना है। उन किसानों को जो फार्म होल्डर्स हैं उनको यह भय है कि जिस प्रकार से कैनाल रेट बढाया गया और कृषि आयकर लगाया गया है उसको देखते हुये उन्हें अपनी जीविका फार्मों पर रखनी चाहिये या नहीं। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि किसी भावना में पड़ कर मैं यह बात नहीं कह रहा हूं और न हो इसलिये कि हम इधर बैठे हुये हैं। मैं सच कह रहा हूं और माननीय वित्त मंत्री जी भी इस बात को सोचने लगे हैं कि अब फार्म होल्डर्स यह सोचते हैं कि जिन फार्मों के कारण देश की खाद्य समस्या हल हुई है, जैसा कि माननीय शुक्ला जी ने कहा, लेकिन वह स्थिति डांवाडोल हो रही है, इसलिये सरकार को उसके लिये भी विचार करना चाहिये और किसानों के इस भाव को समझना चाहिये। (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के कुछ कहने पर) और हमारे मौर्य जी कृपा करे रहें तो और भी परेशानी हो जाय। इसलिये मैं सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं कि उसको इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ विकास में सरकार खर्च करने जा रही है वह बिलकुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मंत्री जी का यह कहना कि वे पब्लिक से जितने उत्साह और सहयोग की आशा करते हैं उतना नहीं मिलता, उसका पहला कारण यह है कि देहात के लोग बहुत सी चीजों को जानते ही नहीं हैं।

आपके आफिसर जब उन चीजों को जारी करते हैं तो जो वायदा वह करते हैं वह पूरा नहीं होता। मैं अपने ही जिले की एक मिसाल लेता हूं। मैं मानता हूं कि श्रमदान बहुत ही अच्छी चीज है, अपनी चीज को हमें स्वयं ही बनाना चहिये। लेकिन श्रमदान वहीं कामयाब होगा जहां कि आफिसर द्वारा कुछ वायदे किये गये हैं उनको पूरा किया जायगा। जिलाधीश ने कहा कि श्रमदान द्वारा अगर इन सड़कों को पूरी कर देंगे तो हम इसको पक्की कर देंगे। लेकिन मैं आज देखता हूं कि ९० करोड़ के इस बजट में आज उस सड़क का कहीं जिक्र भी नहीं है। जहां तक यातायात का संबंध है आप और सड़कें बनावें, बहुत अच्छा है लेकिन कम से कम इसका तो ध्यान रखें कि आपके जिले के अफसर जो रिपोर्ट दें उसके ऊपर तो ख्याल करें। पी० डब्ल्यू० डी० के बजट में तो मैं उस सड़क का जिक्र कहीं नहीं पा रहा हूं। अगर माननीय मंत्री जी कहीं दिखला पायें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि बंगर से माधोगढ़ तक की सड़क के लिये क्या किया गया है। इसी तरह से श्रीमन्, विकास के संबंध में बहुत अपव्यय होता है तो लोगों को भय हो जाता है। श्रीमन्, देहाती क्षेत्र के स्कूलों के लिये ८ हजार रुपया मंजूर किया गया था। मंजूर हो जाने के बाद जो डिप्टी इंस्पेक्टर साहब थे वे ८ हजार रुपया लेकर पाकिस्तान चले गये। अब आप श्रीमन् क्या इसको समझते हैं कि वे इसी तरह से रुपया लेकर चले गये? वे पहली बार पाकिस्तान चले गये थे तो दोबारा यहां आये थे। फिर भी उनको ८ हजार रुपया यहां काम कराने के लिये मिला। जिले के अफसर भी उनको जानते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट भी जानते थे और जब वे जाने लगे तो डाइरेक्टर साहब ने सिफारिश की कि इनको जाने दीजिये, ये तो बराबर आते जाते रहते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है, इस तरह से वे एडवांस लेकर चले गये। श्रीमन्, जब विकास पर इस तरह से रुपया अपव्यय हो और हमारे ऊपर टैक्स लगा कर उस रुपये को खर्च करने में इस तरह की उतावली हो जाय और कोई विकास बाकायदा न हो तो इससे लोगों को भ्रम हो सकता है और मैं कहूंगा कि इस तरह की चीजों को सरकार को रोकना चाहिये।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

श्रीमन्, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के २९ वें पेज पर कहा है और जिसका जिक्र हमारे माननीय शर्मा जी ने भी किया कि जहां तक उर्दू की बात है, उर्दू हमारे यहां बोली जाती है और उसे लोग बोलते रहें, इससे तो मैं सहमत हूं लेकिन श्रीमन् मुझे भय है और मैं चाहता हूं कि सरकार यह भय दूर कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उर्दू भाषा भी रहे और वह मरने न पावे। राजनीतिक पार्टीज का जो एलेक्शन हो रहा है उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन मैं सरकार की स्पष्ट नीति चाहता हूं कि जब संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया गया है और अंग्रेजी को सिर्फ १५ साल के लिये दूसरी भाषा माना गया है जिसमें कार्य हो सकता है, इसके सिवा तीसरी भी कोई रीजनल भाषा है जिसको हिन्दी के बराबर स्थान दिया जा सकता है? हम तो समझते हैं कि इस सदन को भी यह अधिकार नहीं है कि वह इस तरीके से दूसरी भाषा चाहे कोई भी हो उसे इजाजत दे कि वह राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ ही प्रान्त की भाषा मानी जाय और इस तरह से कोई हिन्दी केसाथ उस भाषा का भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरी आपत्तियां है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के पेज २९ पर यह कहा है किमाननीय मुख्य मंत्री साबिक पन्तजी और आज के मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने यह भाषण दिया है सदन में कि अगर उर्दू में कोई किसी दफ्तर में दरख्वास्त देना चाहे तो दे सकता है। श्रीमन्, मैंने एक अल्पसूचित सवाल भी सरकार से किया है लेकिन अभी तक मुझे उसका उत्तर नहीं दिया गया है, मेरी समझ में इस तरह का भाषण तो उन्होंने कभी इस सदन में दिया नहीं है और श्रीमन्, मैं तो कहता हूं कि अगर दिया भी हो तो वह गलत है। वे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूसरी भाषा में भी कोई दरख्वास्त दे सकता है। इससे भ्रम पैदा हो सकता है कि अगर दरख्वास्त दे सकते हैं तो इसी तरह से और कार्य भी इसी भाषामें कर सकते हैं। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि उर्दू का हमारे यहां क्या स्थान है। मैं कोई उर्दू के खिलाफ नहीं हूं, मैं उर्दू जानता नहीं लेकिन उर्दू जो लोग यहां बोलते हैं बोलें सब बातें करें ठीक है, लेकिन उर्दू को भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्तर का ही माना जाय, उसका मैं श्रीमन् यहां पर विरोध करता हूं। संविधान की धारा के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसका स्पष्टीकरण श्रीमन्, जरूर हो जाना चाहिये और सर्विसेज में भी जब आपकी स्पष्ट घोषणा है कि हर दफ्तर वाले को हिन्दी जानना चाहिये तो उसमें भी इससे एक बड़ी भारी रुकावट पड़ेगी, मेरा यह भय है। अगर आप उर्दू में दरख्वास्त लेना कबूल करेंगे तो उससे जो हिन्दी पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ने में रुकावट पड़ेगी। उनको भ्रम हो जायगा, वह भ्रम दूर होना चाहिये, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई आपत्ति नहीं है।

पहले प्रांत में ६ लाख रुपया हरिजन सेवा और पिछड़ी जातियों के सुधार के लिये रखा जाता था। अब ७६ लाख रुपये इसमें रखा जा रहा है, इसकी मुझे प्रसन्नता है लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसमें अनुपात से खर्च होना चाहिये। हरिजन भाइयों में बहुत से लोग हैं केवल कुछ खास जाति के बड़े-बड़े लोग ही नहीं हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हरिजन जातियां हैं, जो उनकी सूची है उसके अनुसार उसके अनुपात से खर्च होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री या सरकार के जितने प्रमुख स्थान हैं, उनपर एक ही वर्ग के लोग बैठें। मैं यह जानना चाहता कि क्या हरिजनों में और जो छोटे-छोटे लोग हैं उनमें से कोई आयेगा ही नहीं। आपको उनमें से भी लोगों को स्थान देना चाहिये (एक सदस्य आपको यह हरिजन प्रेम का शौक कब से लगा है।) आप जरा धैर्य से सुनें। मैं चाहता हूं कि आपका संगठन बढ़े। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे कांग्रेसी और सोशलिस्ट भाई दोनों का यह प्रचार बड़े जोरों से है कि वर्गविहीन समाज बनना चाहिये। तो एक ओर तो यह वर्गविहीन का नारा और दूसरी ओर शोषित संघ का जो काम हो रहा है वह है। मुझे श्रीमन्, दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस जो इतनी महान संस्था देश की है उसके प्रमुख लोग इसको प्रोत्साहन देते हैं। यहां आकर वर्गविहीन समाज की ललकार देते हैं लेकिन पीछे से इसको प्रोत्साहन देते हैं, इसकी मीटिंगों में जाते हैं और उसमें प्रेसाइड करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मनोवृत्ति

गलत है और इसी मनोवृत्ति को शांत करने के लिये १० साल का संरक्षण रखा गया था, इनका स्थान रिजर्व किया गया वह तो ठीक था और उसके बाद अब यह रिजर्व वाली बात होनी भी नहीं चाहिये। इससे देश की तरक्की में बाधा पड़ती है। जो लोग देश के लिये कार्य करना चाहते हैं उनके लिये रिजर्व की बात क्या है, जो आगे बढने वाले हैं वह आगे बढ़ेंगे उनके लिये रिजर्व हो या न हो और जो भ्रम में रहेंगे वह तो अटके ही रहेंगे। तो इस वर्गविहीन समाज में यह रिजर्व वगैर न होना चाहिये और साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि बड़ी-बड़ी पार्टी वालों को सोचना चाहिये कि शोषित संघ जैसी संस्थाओं का ध्यान है और उनको ऐसी चीजों में नहीं लगना चाहिये।

अन्त में मैं, बुन्देलखंड के बारे में निवेदन करूंगा। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा था कि जहां पिछड़े हुये वर्ग के लिये जिक्र है, वहां पिछड़े हुये स्थान भी इस प्रदेश में हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां इतने बड़े प्रान्त के होने के कारण दृष्टि नहीं पहुंचती। मैं जो बुन्देलखंड के चार जिले हैं उनके लिये यह नहीं कहता कि कितनी रकम किसको देनी चाहिये लेकिन आपको वहां यह जरूर जानना चाहिये कि कहां पर सड़क होना जरूरी है और कहां पर बांध बनना जरूरी है, तो बहुत कुछ उनका कष्ट दूर हो सकेगा। आपने बांध वहां बनवाये हैं उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन वह तो वहां की प्राकृतिक स्थिति को देखते हुये किया है। फिर भी हमारी जो वास्तविक दिक्कतें हैं वह बहुत हैं। आप ललितपुर चले जाइये, अब भी वहां का आदमी छाल खाता है और नंगा रहता है। तो श्रीमन्, अगर इसको देखने के लिए वहां एक बोर्ड बनवाया जाय जो देखे कि क्या-क्या चीजें वहां करना जरूरी है और अगर उसकी राय पर आप कार्य करें तो हमारे यहां ज्यादा फायदा होगा। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सरकार इस पर ज्यादा ध्यान देगी।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज प्रथम अवसर तीन वर्ष के पश्चात् मिला, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री के भाषण को बड़े गौर से सुना। मुझे प्रसन्नता है कि यह कल्याणकारी बजट है लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य और दुःख भी हुआ। हम एक ऐसे महात्मा का नाम रोजबरोज लेते हैं और उनका बहुत बड़ा चित्र भी हमारे सदन के सामने रक्खा गया है और हम रोजबरोज उन आदर्शों की बात करते हैं। लेकिन उसी महात्मा ने जब इस प्रदेश में प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री हुई थी तभी कहा था कि सम्पूर्ण देश से नशाबन्दी और शराबखोरी बन्द होनी चाहिये। आज जब हम कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की तरफ चल रहे हैं और इस बजट स्पीच में कल्याणकारी राज्य और समाजवाद की घोषणा की गई है तब मैं देखता हूं कि उसमें शराबबन्दी की कोई चर्चा नहीं है और हम उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मानते हैं कि हम महात्मा जी के आदर्शों को मानते हैं और उनके आदर्शों के अनुसार इस देश को और यहां के देहातों को बनायेंगे। लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि इसमें कितना सत्य है कि हम महात्मा जी के आदर्श के अनुसार अपने देश और प्रान्त को बना रहे हैं? अगर इस देश में आप अपने प्रान्त को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो जो महात्मा गांधी के बुनियादी सिद्धान्त थे, चाहे मुसीबतें उठानी पड़ें या आर्थिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाय तब भी उसे सहन करते हुए हमें इस देश में सम्पूर्ण नशाबन्दी करने का आयोजन करना चाहिये था। जब हम आज इस सदन में बराबर यह सुनते हैं कि यह प्रदेश इस देश में प्रमुख प्रान्त है और दूसरे सूबों की वह रहनुमाई करता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि हम सच्चाई से कितनी दूर हटते जा रहे हैं। मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वे कोई प्रान्त हैं तो बम्बई और मद्रास हैं जहां कि महात्मा जी के आदर्शों को मुसीबत और आर्थिक संकट का सामना करते हुए भी निभाया और सम्पूर्ण प्रान्त में उन्होंने शराबबन्दी की। क्या वजह है कि पिछड़ी हुई जातियों और

[श्री प्रभुदयाल]

हरिजनों को उठाने के लिये ? मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि शराबबन्दी के पीछे एक बहुत बड़ा नैतिक सिद्धान्त है, उसमें बल है और ताकत है। अगर शराबबन्दी हमारे प्रदेश में नहीं होती है तो पिछड़ापन कभी दूर नहीं हो सकता और हरिजनोत्थान नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैं आपके द्वारा चन्द बातें शराबबन्दी के ऊपर कहना चाहता हूं। यह मेरा अपना ही कहना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भी कहा कि हम शराबबन्दी करना चाहते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी हम पीछे हटा दें तो हमारा संविधान जो बन कर तैयार हुआ है, जिसके मातहत हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि शराबबन्दी होनी चाहिये। फिर इतने बड़े उत्तर प्रदेश में जहां कि ६ करोड़ की आबादी है, जिसमें अधिकांश किसान हैं, हरिजन हैं वहां शराबबन्दी क्यों नहीं होती है ? इसमें क्या कठिनाई है जब कि महात्मा गांधी ने जब प्रथम बार कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी उस वक्त कहा था कि शराबबन्दी होनी चाहिये ? उनका प्रथम लेख हरिजन में यही निकला था कि शराबबन्दी का होना बहुत आवश्यक है और जब कि अर्थ शास्त्र के विद्वानों को भी महात्मा जी ने चैलेंज किया कि मैदान में आओ, शराबबन्दी क्यों होनी चाहिये। कहा गया कि शिक्षा पद्धति में बड़ी गड़बड़ी होगी, पढ़ाई कैसे पूरी हो सकेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी पढ़ाई को बन्द कर दो। हम शराब पिला कर देश के नागरिकों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आज उसी का नतीजा है कि हम कल्याणकारी राज्य के नारे तो लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे कैसी आबोहवा है, उसमें कितनी सत्यता है महात्मा गांधी जी के आदर्शों और सिद्धान्तों के पीछे इसको हम नहीं देखते। अगर उनके आदर्शों के पीछे चलें तो सचमुच इस देश की कायापलट कर देंगे। बड़े गौर से मैंने वित्त मंत्री का बजट-भाषण पढ़ा कि हमारे गांव में बेकारी नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है। बड़े आश्चर्य की बात है।

माननीय वित्त मंत्री को कैसे मालूम हुआ कि गांव में बेकारी नहीं है, या गांव में जहालत नहीं है, पिछड़ापन नहीं है ? अगर ऐसा न होता तो महात्मा गांधी जी को सेवाग्राम में जाने की, हरिजन बस्तियों में जाने की नौबत न आती। और उन्होंने उस सेवाग्राम को इसीलिये आबाद किया। मैं भी उनके साथ वहां गया था कि जहां पर जाते समय उनके पैर कट गये थे, उनको बुखार आ रहा था, रहने के लिये झोपड़ी भी नहीं थी। वहां वह भारत के पिछड़ेपन को मिटाने के लिये गये थे और वहां वह इसलिये गये थे कि हिन्दुस्तान का भाग्य जागे, फिर उठे। माननीय मंत्री जी कैसे कहते हैं कि गांव में बेकारी नहीं है ? महात्मा गांधी को प्रत्यक्ष अनुभव था और मुझे अनुभव है। मैं २४ सौ घंटा देहात में रहता हूं और वहां जो बेकारी है उसका मुझे अनुभव है। मैंने देखा है कि उनके पास कोई धंधा नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। यह जो विकास की बड़ी-बड़ी योजनायें हैं उनमें इन थोड़े से लोगों को लगा देने से गांव की बेकारी खत्म नहीं हो जाती। यदि आप किसी गांव वाले से पूछें तो आपको मालूम होगा कि गांव में हालत कितनी खराब है और सचमुच में खराब है। आप शहर की यूनिवर्सिटियों के थोड़े से लड़के लड़कियों को काम दे देते हैं, उससे हमें संतोष नहीं हो सकता। यदि आप समाजवादी ढंग पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, उस ओर हिन्दुस्तान को ले जाना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। गांव में जो खेतीबारी का काम होता है वह वहां के थोड़े से लड़के लड़कियां कर लेते हैं और बहुत सी जगहों में तो खेती है ही नहीं। खासकर हरिजनों और पिछड़ी जातियों के पास तो खेत ही नहीं है। वह तो दूसरे आदमियों के पास मजदूरी करते हैं और खास कर देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर में, तो वह केवल तीन आने और चार आने रोज पर मजदूरी करते हैं। ऐसी मजदूरी पर वहां पर हजारों आदमी करते हैं और इसके लिये भी वह पटवारी और लेखपाल आदि के पास

विनती करते हैं कि इस मजदूरी के लिये उनका नाम लिख लीजिये। अगर उनके पास काम होता तो वे तीन और चार आने रोज पर मजदूरी न करते। लखनऊ में एक भिखारी भी दिन भर में इससे ज्यादा पैसा बना लेता है। यदि आप पं० नेहरू के आदेशों को पूरा करना चाहते हैं तो गांव को ऊपर उठाइये और गांव के ऊपर अधिक से अधिक रुपया खर्च कीजिये। इस बजट भाषण में मैंने बड़े गौर से देखा, लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ यह देख कर कि गांव को ऊपर उठाने के लिये इसमें कुछ नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों ने आंकड़े पर आंकड़े पेश किये, रूस, चीन और बाहर की तमाम बातें कहीं, वह सब पढ़ते और देखते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई माई का लाल हो तो वह मेरे साथ चले और देखे कि गांव में कितनी बेकारी है। अगर नेहरू जी को आप चाहते हैं कि वह हमारे देश के अग्रदूत हों और संसार के वह एक महान् नेता बनें तो हमको चाहिये कि उनकी ताकत को हम मजबूत करें और गांव के लोग, जो बेकार हैं उनमें इतनी शक्ति पैदा करें कि हाइड्रोजन बम और एटम बम सब उसके सामने हवा हो जायं और ऐसा करने पर मैं कहता हूं कि आप पर कोई असर उनका नहीं पड़ेगा। चीन में आज हाइड्रोजन बम और एटम बम का कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिये कि उनके पास आज विकेन्द्रीकरण की ताकत है। उनके उद्योग हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन यहां आज हम लखनऊ और दिल्ली में बैठ कर कहते हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। महात्मा गांधी ने दावे के साथ कहा था कि हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी चीजें होंगी, लेकिन देश पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमने हिन्दुस्तान के गांवों को सही मानों में संगठित कर दिया, अगर हमने यहां के इन्सानों को काम दिया और गांव वालों की उन्नति करने के लिये सचमुच समाजवादी क्रान्तिकारी कदम उठाये और मैं समझता हूं कि उसमें हमें सुविधा भी होगी अगर हम महात्मा गांधी का सीधा समाजवाद जो महात्मा गांधी की अर्थ व्यवस्था में है वह सब लागू कर देंगे।

पं० नेहरू भी यही कहते हैं। उनके आवदी के भाषण को मैंने बड़े गौर से पढ़ा और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें पहले इस गांव को उठाना है। मसौली में जब पं० नेहरू गये थे तो उन्होंने कहा था कि मसौली पर, जहां देश का इतना बड़ा नेता रहता था, कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हमारा कर्तव्य है कि आज हम उस उजड़े हुए और बेकार गांव को ऊपर उठायें। इसके माने क्या हैं कि आज हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री कहते हैं कि मसौली को देख कर हमें पीड़ा हुई। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जब गांव में जाते हैं तो वह उस एरिया में जाते हैं जहां कि हमारे देश की ज्यादा जन-संख्या रहती है और उन्हें कितना दुःख होता है जब वह यह कहते हैं कि हम इतने पिछड़े हुए हैं। इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमें समाज को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है और आवदी के संदेश को आगे ले चलना है तो आपको लाखों का क्या अरबों का बजट गांवों में लगाना पड़ेगा। आप देखें कि वहां झोपड़ियों में क्या हालत है, मैं उन लोगों की बातों को रखता हूं जिनके प्रचण्ड बहुमत से हम यहां आये हैं और शासन कर रहे हैं। लेकिन इन तीन वर्षों के अन्दर मैंने देखा कि उन किसानों की आवाज को कहने वाला कोई नहीं है। अगर आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम को देखें कि क्या हालत है, अगर गांधी जी आज जिन्दा होते तो उनका हरिजन अखबार बतलाता कि सामुदायिक योजना क्या है और उसमें क्या प्रगति हो रही है? लेकिन मैं उसकी यहां आलोचना नहीं करना चाहता हूं, यहां पर केवल संकेत के तरीके पर आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि गांवों का विकास आपको क्रान्तिकारी ढंग से करना है और यह भी आवश्यक है कि हम उन्हें काम दें, कपड़ा दें, खाने को दें। मैं जिस गांव में रहता हूं मेरा अधिकांश समय वहीं व्यतीत होता है, मैं जानता हूं कि वहां के गरीब किसानों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। ७ मील दूर जाकर भी कुनैन की एक गोली नहीं मिल पाती है

[श्री प्रभुदयाल]

बांसी में पहुंचते हैं तो वहां के डाक्टर साहब कहते हैं कि हमारे यहां कुनेन की गोली नहीं है, क्या यही कल्याणकारी राज्य है? मैं अपने गांव की सच्ची बात कहता हूं, किताबों की बात नहीं कहता, गांधी जी की बात नहीं कहता हूं। बल्कि जो सच्चाई है वही कहता हूं क्योंकि आज मुझे कहने का मौका मिला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वास्तव में किसान की आज क्या हालत है। वह खेत जोतता है लेकिन खेत उसके नाम में नहीं लिखा जाता। जो कचेहरियों के दलाल होते हैं वे लोग खेतों को अपने नाम में लिखवा लेते हैं। तहसीलदार साहबान को जो अधिकार दिये गये हैं, मैं वित्त मंत्री से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जब रिकार्ड के बारे में इस सदन में बात होती थी तो यह कहा जाता था कि एस० डी० ओ० से नीचे कोई दूसरा अफसर तहकीकात न करे रिकार्ड्स के बारे में, लेकिन उनके हाथ में अधिकार दे करके आज किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, यह बात किसी से छिपी भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि इस पर भी गौर करना चाहिये कि छोटे-छोटे अफसरों को बहुत बड़े-बड़े अधिकार दे करके बड़ी गलती का काम करते हैं। आपको उनके नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होगा, तभी काम चल सकता है वर्ना नहीं।

शिक्षा विभाग ने कुछ काम किया इसकी मैं सराहना करता हूं। जे० टी० सी० के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ा है, उसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन उसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि गांवों में जो हजारों अध्यापक परिश्रम कर रहे हैं, देहातों में रहते हैं, प्राइमरी स्कूल के जो मास्टर हैं, उनकी एक पैसा भी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि उनके वेतन-क्रम पर भी गौर करना चाहिये।

अब चपरासियों का वेतन बढ़ा है इसके लिये मैं बधाई देता हूं सरकार को। लेकिन इसके साथ ही साथ इस ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि दो रुपया बढ़ा करके हम संतोष कर लें, यह ठीक नहीं है। आप उनका काम तो देखिये कि वे बेचारे प्रातः काल ४ बजे से साहब के दरवाजे पहुंचते हैं, उनके बच्चों को खिलाते हैं, घर का काम करते हैं और सरकारी काम करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुये जो वेतन उनको मिलता है क्या यह ठीक है ? नहीं कदापि नहीं। इसी के बरखिलाफ जो अफसर या कर्मचारी केवल ६ घंटे ही काम करते हैं, उनकी तनख्वाह भी तो देखिये। जो जितना परिश्रम करे उसको उतनी ही कम तनख्वाह मिले, यह ठीक नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि जो जितना परिश्रम करे उसको उसी के अनुसार वेतन मिलना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ३७ रुपया चपरासियों का वेतन है यह कम है, इससे अधिक होना चाहिये। और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी जब सन् १९५६–५७ का बजट लायेंगे तो उसमें चपरासियों का वेतन-क्रम ऊंचे स्तर पर रखेंगे, उनके परिश्रम को देखते हुए जिस तरह से वे बेचारे हमारे अधिकारियों के साथ लगे रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले और अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, वह इतना पिछड़ा हुआ जिला है। बस्ती जिले में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं कि जहां फीलपांव की बहुत बड़ी बीमारी होती है। वहां का पानी ऐसा है कि जिससे लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वहां यातायात का कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और न वहां कोई पुल है, बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र वह है जिसकी तरफ कि सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। मैं सरकार का ध्यान हिन्दी मासिक पत्रिका की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिसका कि प्रकाशन उन्होंने शुरू किया है। वह बहुत ही अच्छी चीज है और मुझे आशा है कि हिन्दी मासिक पत्रिका के द्वारा गांवों के लिए उपयोगी

लेख निकलेंगे। इसके अलावा एक और बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश को बहुत ऊपर उठाना है तो इस प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन को तुरन्त ही अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य और सुविधाप्रद नहीं बनाते हैं तो आप इस प्रदेश के लड़के लड़कियों को ऊपर नहीं उठा सकेंगे और प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ प्रतिशत के आंकड़ों से हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत ऊपर उठ गया है। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि हमारा देश जब कि आज आजाद हो गया है तो हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर देना लाजिमी है।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को सन् १९५५-५६ के आय-व्ययक लेख्य को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं और साथ ही माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उत्पादन वृद्धि की जो बात कही है उसकी सराहना करता हूं और उसके लिये आपके द्वारा इस प्रान्त की सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सोशलिस्ट प्रकार के समाज की रचना की जो बात कही है और साथ ही उन्होंने उसमें कुछ संकेत किया है कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं और हमारी सरकार की नीति में एक खास परिवर्तन हुआ है, उसमें मैं पूरे बजट को देखने के बाद भी अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक सहमत नहीं हूं और मैं आज इस बात की आवश्यकता अनुभव करता हूं कि जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि यह समाज ऐसा हो जिसमें उत्पादन के साधन या तो समाज की मिल्कियत हों या उसके नियंत्रण में हों और उत्पादन तेजी के साथ किया जाय और साथ ही यह एक खास बात उन्होंने कही है कि धन का वितरण न्यायसंगत हो। तो जब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के इन शब्दों पर इस बजट को तौलता हूं तो इसमें मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि कोई कदम भी धन के न्यायसंगत वितरण की तरफ गया हो। आज हमारे देश की सम्पत्ति, हमारे सूबे की सम्पत्ति, विशेष रूप से भूमि है और भूमि वितरण की ओर हमारे पूज्य बिनोबा भावे ने अब नहीं कई वर्षों पहले हमारे देश का ध्यान दिलाया था। उन्होंने ही नहीं, बल्कि हमारी भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी ने भी इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है। लेकिन हमारा यह प्रान्त जो इस देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाला प्रान्त रहा है, इसमें अभी आगे नहीं बढ़ा। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के इन वचनों की ओर इस वक्तव्य की पूरी-पूरी सराहना करता यदि हमारी सरकार या हमारे वित्त मंत्री महोदय अपनी इस बजट स्पीच में कहीं भी इस बात की झलक दिखाते कि हमारी सरकार का अगले वर्ष कोई भूमि वितरण का प्रोग्राम है। इसकी आवश्यकता पर मैं अधिक समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य आज भूमि वितरण की आवश्यकता और उसकी सीमा से पूरी तरह सहमत होंगे और इसलिये सहमत होंगे कि उत्पादन के साधन उत्पादक के हाथ में जाने चाहिये। लेकिन आज भूमि हमारे उत्पादन का एक साधन है पर वह उत्पादक के हाथ में नहीं है। लोग शहरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं और देहात की भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, और कब्जा ही नहीं बल्कि इस सरकार के सहयोग से अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत इस राष्ट्रीय कोष से रुपया लेकर ट्रैक्टर खरीदे हैं और एक नये जमींदार पैदा हो गये हैं। तो मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हम और सामाजिक ढंग के ढांचे को लाना चाहते हैं तो हमें उत्पादन के साधन उत्पादकों के हाथ में देने होंगे और उसमें सब से पहला कदम हमारी भूमि वितरण का होगा, जिससे हमारे प्रान्त की सबसे बड़ी समस्या जो खेतिहर मजदूरों की समस्या है, उसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मही लाल]

हल निकलेगा। अगर भूमि वितरण में हम देर करते हैं तो इस समस्या को हम एक घोर रूप देने जा रहे हैं। अब खेतिहर मजदूर, इसमें कोई शक नहीं, कि वह दूर ग्रामों में बंटे हुए हैं और ग्रामों में अगर सब से दयनीय दशा किसी की है तो वह खेतिहर मजदूरों की है। हमारी योजना में, इस पंचवर्षीय योजना से जो उत्पादन बढ़ा है उसका लाभ उनको पहुंच रहा है। जिसके हाथ में उत्पादन के साधन थे, चाहे वह भूमि के मालिक हों, चाहे वह दस्तकारी के मालिक हों, या कारखाने के मालिक हों, कारखाने के मजदूरों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कहता कि उनके कल्याण के लिए जितने कार्य हो सकते थे, जितना विधान बन सकता था वह बन चुका। अभी मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उनके लिए कुछ कार्य हुआ है। लेकिन खेतिहर मजदूरों का वर्ग ऐसा है कि उनके लिये सरकार की तरफ से अभी तक सिवाय इसके कि एक कानून बनाया और वह कुछ फार्मों पर लागू कर दिया इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं है कि उस कानून का फायदा खेतिहर मजदूरों को पहुंच रहा है या नहीं। सरकार की ओर से जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। न उसके लिये इंसपेक्टर रखे गये हैं, न फार्म वालों के चालान हुए हैं, जब कि उनका यह रोज का व्यावहारिक जीवन है कि वह १० आने और १२ आने मजदूरी देते हैं और कृषि कर से बचने के लिए उनके दस्तखत और अंगूठे उन पर लेते हैं।

अब रहट के कुओं को लीजिये। उनके लिए रुपया दिया गया है, वह भी बड़े किसानों के पास गया और उससे हमारे देश का उत्पादन बढ़ा, लेकिन गांव में रहने वाले मजदूर को, जिसके रहने के लिए एक झोपड़ी है, जिसमें बेटा, बेटी, बेटे की बहू और अपने छोटे मोटे जानवरों के साथ वह उस झोपड़ी में रहता है, उसको क्या मिला? चकबन्दी कानून में हमने व्यवस्था रखी थी कि आबादी के लिए जमीन रखी जायगी। मैं नहीं जानता, मेरे यहां चकबन्दी शुरू होने जा रही है, लेकिन मेरे मित्र मुजफ्फरनगर के रामदास जी ने बताया था कि उनकी आबादी का मसला भी चकबन्दी से हल नहीं हो रहा है।

मैं नहीं जानता कि वह कहां तक ठीक है तो खेतिहर मजदूरों की परेशानियों के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि उनका और उनकी सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। यह पीड़ित समाज आज बिखरा हुआ गांवों में पड़ा हुआ है और बड़े कष्ट सहन कर रहा है जिसका चित्रण मेरे मित्र प्रभुदयाल जी ने किया था। वह बिलकुल उनका सही चित्रण है। मैं किसान होने के नाते यह अनुभव करता हूं कि किसानों की दिशा में उन्नति हुई है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। चाहे इतना न उठा हो जितना कि उठना चाहिये। साथ ही किसानों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से कीमतें गिरी हैं किसान परेशान हो गये हैं। सरकार भी प्रबन्ध कर रही है कि उनको और नीचे न गिरने दे। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

इसके बाद मैं थोड़ा सा हरिजन समाज के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके बारे में यदि मैं कुछ न कहूं तो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता। उनके संरक्षण के आधार पर ही मुझे इस हाउस में बोलने का अवसर मिला है। हरिजनों का प्रश्न एक मामूली प्रश्न नहीं है बल्कि गैर मामूली प्रश्न है जिसकी ओर महात्मा गांधी जी ने पूरे देश का ध्यान दिलाया था। आज उसके लिये ७४ लाख रुपया देकर माननीय वित्त मंत्री जी संतोष कर लेते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बजट भाषण में कहा है कि हम हरिजनों के लिये भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको काफी नहीं समझता हूं। इसमें भी केवल ५५ लाख रुपया ऐसा है जो हरिजनों पर खर्च होगा। इसमें हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं उनकी शिक्षा पर व्यय होगा, अंसार बिरादरी का भी इसमें रुपया शामिल है और अपराध करने वाली जो जातियां हैं उनका भी पैसा इसमें शामिल है। कुल मिलाकर ५१ लाख रुपया ही रह जाता है और २६ लाख रुपया हरिजनों के शिक्षा के लिये व्यय होगा।

सरकार ने जो हरिजनों के लिये अलग से विभाग खोला है उससे वह हरिजनों के साथ कोई उनका ज्यादा हित नहीं कर रही है। जब उनके लिये अलग से विभाग नहीं था तो पूरे समाज की हमदर्दी उनके साथ थी। लेकिन आज इस विभाग के खुल जाने से नहीं रही है। मैं देखता हूं कि जब हरिजनों के लिये कोई बात कही जाती है तो मेरे मित्र जो हरिजनों के लिये अपने प्राण देने को तैयार रहते थे अब वह बौखला जाते हैं। इसलिये अलग से हरिजनों के लिये विभाग खुलकर उनके साथ हित नहीं हुआ है।

मेरा तो यह सुझाव है कि हरिजनों की शिक्षा के लिये सरकार जितना रुपया देती है वह सबका सब शिक्षा विभाग द्वारा ही उन पर खर्च किया जाय। अगर सही माने में सरकार हरिजनों का उद्धार करना चाहती है तो जिस प्रकार सरकार ने हरिजनों को नौकरियों में १८ प्रतिशत संरक्षण दिया है उसी प्रकार सरकार हर मुहकमें के लिये हिदायत कर दे कि जितना रुपया खर्च हो रहा है उसका १८ प्रतिशत हरिजनों के ऊपर खर्च होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक हजार रुपया हरिजनों के मकान बनाने के लिये दिया जाता है। भला इससे हरिजनों के मकान बन सकते हैं ? लेकिन समाज सोचता है कि हरिजनों के मकानों के लिये सरकार रुपया दे रही है। मैं इतना ही कह कर आशा करूंगा कि सरकार हरिजनों की परेशानी की ओर ध्यान देगी। हमारे पास इसका कोई जवाब भी नहीं है जब कि मंत्री महोदय यह अल्फाज कह दें कि सरकार हरिजनों के लिये बहुत रुपया खर्च कर रही है। तब तो कोई बात नहीं है जनता भी कहेगी कि हरिजनों के लिये बहुत हो रहा है। जैसा मैंने कहा यह तो हरिजनों के लिये एक खतरा है। जो लोग हजारों रुपया दान करके गांधी जी के पास भेजा करते थे आज वह बन्द हो गया है क्योंकि वह सोचते हैं कि सरकार कर ही रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मेरे जिले में ऐसे गांव हैं जहां पर कि वाल्मीकि भाइयों की १०० के करीब आबादी है। लेकिन हम पक्का कुआं नहीं बनवा पाये हैं। एक-एक मील से बाल्मीकि भाई लोग पानी लाते हैं और यही नहीं, मुझे तो भय है, राजा वीरेंद्र शाह जी ने हरिजनों में भी एक उपवर्ग की बात कह दी कि चमारों के लिये सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो हरिजन कहीं आपस में ही न लड़ जायं। शायद उन्हें पता नहीं है, मैं अपने जिले की बात बताता हूं कि वहां छात्रवृत्ति देने के लिये जो कमेटी बनी है उसमें एक वाल्मीकि है लेकिन कमेटी का यह निश्चय है कि जब तक एक-एक वाल्मीकि को छात्रवृत्ति न दे दी जाय तब तक दूसरे हरिजन छात्रों को एक पैसा भी न दिया जाय। और ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि भाई सब से ज्यादा गिरे हैं इसलिये उनका पहले अधिकार बनता है, दूसरे लोगों का बाद में बनता है।

हरिजनों के बारे में इतना कहने के बाद मैं थोड़ा सा गन्ने की मिलों की बाबत कहूंगा। गन्ने की मिलों द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा है और जो किसान तंग किये जा रहे हैं वह एक गम्भीर प्रश्न है और उसके लिये मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि जब वे किसी शूगर फैक्ट्री में जायं तो बजाय इसके कि वे सेठजी की कोठी में जायं पहले अपने किसानों के बीच में जाकर देखें। रात का वक्त है, बारिश हो रही है, ठंडक पड़ रही है लेकिन किसान बैलगाड़ी लिये खड़ा है। उसके लिये मिल की तरफ से यह इंतजाम नहीं है कि उसको और उसके बैलों को छाया में रखने के लिये टिन के शेड डलवा दिये जायं जब कि मिल मालिक किसान के ही जरिये से करोड़ों रुपये कमाते हैं और नई-नई फैक्ट्रियां खोलते जा रहे हैं। अमरोहे के एक सेठजी ने बुलन्दशहर में जाकर दूसरी फैक्ट्री खोली है लेकिन किसान को और उसके बैलों को रात की ठंड से बचाने के लिये टिन का शेड नहीं डालेंगे। एक बात और देखिये गाड़ियां ३६–३६ घंटे खड़ी रहती हैं और मैंने अखबारों में बयान दिया है मुआयना करने के बाद कि राजा का सहसपुर में ३६–३६ घंटे गाड़ियां खड़ी रहती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कि किसानों की गाड़ियां जल्दी तौली जायं। जवाब क्या मिलता है कि पहले हम ट्रक्स का गन्ना लेंगे, बड़े बड़े फार्मों का गन्ना आता है उसको लेंगे और उसको साथ-साथ बैलगाड़ियों का लेंगे। हमने कहा कि गन्ने को स्टाक क्यों नहीं करते, बोले हमारी सूख जायगी। मैंने कहा कि जब किसान

[श्री महीलाल]

की गाड़ी खड़ी रहेगी तो वहां भी सूख जायगी। तो कहा कि कानून ही नहीं है, खरीद ही नहीं सकते। श्री राजनारायण जी ने अपने भाषण में कहा कि जनता सहयोग नहीं द रही है। मैं तो श्री राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि आज किसान इतना कष्ट सहन करके भी इस सरकार को और इस पार्टी को पूरा सहयोग दे रहा है। वह नहीं जानते, शायद उन्हें किसानों के बीच में जाने का मौका नहीं मिलता, शहरों में ही पहुंच कर स्पीच दे कर लौट आते हैं। हां, अगर कुछ असंतोष बढ़ा है तो इस बात से कि हमारी सरकार के लोग कोठियों में जा बैठते हैं और किसानों के बीच में नहीं पहुंचते हैं। इसके लिये मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मंत्रिमंडल में मेरी इस बात पर थोड़ा बहुत ध्यान अवश्य होगा।

इसके बाद मैं इंडस्ट्री की बात कहता हूं। हमारे बुनकर भाइयों की समस्या प्रदेश में ही नहीं, देश भर में है। उनके लिये हमारी केंद्रीय सरकार ने ५ लाख की रकम सहायता और ऋण के रूप में दी है। उससे बुनकरों की समस्या हल नहीं हो सकती और आज बुनकरों की समस्या ने खेतिहर मजदूरों की समस्या को बढ़ावा दिया है। जहां बड़े-बड़े फर्मों और यन्त्रों के द्वारा खेती शुरू करने से खेतिहर मजदूरों की समस्या बढ़ी वहां बुनकरों की समस्या ने भी उनकी समस्या को बढ़ाया है। तो बुनकरों की समस्या अगर आप हल करना चाहते हैं तो हमें कपड़े पर कुछ न कुछ संरक्षण देना पड़ेगा चाहे हम धोती पर दें, या कमीज के कपड़े पर दें या किसी दूसरे किस्म के कपड़े पर दें, तभी हम बुनकरों की समस्या हल कर सकते हैं और उन को फायदा पहुंचा सकते हैं। नहीं तो चार लाख क्या अगर हम चार करोड़ भी रखें फिर भी बुनकरों की समस्या हल नहीं हो सकती।

जहां तक टैक्स का संबंध है मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से इस संबंध में प्रार्थना करूंगा कि टैक्स की नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज डि० बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि दो सौ रुपये की आमदनी जिनकी हो उन पर टैक्स लगाया जाय और शुगर मिल पर दो हजार से कम पर टैक्स न लगायें। दो सौ रुपये की इनकम लगाइये कि रोजाना क्या पड़ता है। दो दफा मैंने डि० बोर्ड मुरादाबाद से प्रस्ताव पास कराके भेजा कि दो सौ रुपये के बजाय पांच सौ रुपये की आमदनी कर दी जाय। लेकिन हर बार इनकार गया। कहा गया कि दो सो रुपये की आमदनी ही रहेगी। अगर दो सौ रुपये की आमदनी पर टैक्स लगाया जायगा तो किस तरह से समाजवादी ढांचा बन सकेगा और गरीब लोगों को कैसे ऊपर उठा सकेंगे? हमें ऐसे लोगों से पैसा लेना होगा जिनके पास पैसा है। वह हैं आप के बड़े-बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े-बड़े पूंजीपति और उद्योगपति, बड़े-बड़े डाक्टर और वकील। नयी-नयी कोठियां बनती जा रही हैं। मुझे बलरामपुर अस्पताल की तरफ जाने का अवसर हुआ तो मैंने देखा कि बराबर कोठियां बनती जा रही हैं। लोग कहते हैं कि बड़े आदमियों का स्तर गिर रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण लोगों की जो आज समस्या है उस का सही हल हम नीचे लोगों को ऊपर उठा कर और ऊपर के लोगों को नीचे लाकर तभी कर सकते हैं। इस ढंग से हम उनके असंतोष को दूर नहीं कर सकते।

*श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५५–५६ की बजट नीति के पीछे जो प्रयत्न एक सोशलिस्टिक पैटर्न लाने का इस प्रदेश में किया गया है उसके लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

जहां तक हमारे इस बजट का प्रश्न है यह भी एक घाटे का बजट यहां पर पेश किया गया। घाटे का बजट—यह हम इस उत्तर प्रदेश में कोई नयी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आज जब हम देखते हैं कि इस देश में और विशेष में तो घाटे का बजट पेश करने का रिवाज सा कायम हो रहा है। आज अमेरिका में भी घाटे का बजट पेश हो रहा है। कुछ सालों से यह जरूर है कि इंग्लैन्ड में, आस्ट्रेलिया में, कैनाडा में, कुछ और मुल्कों में घाटे का बजट तो नहीं पेश हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है लेकिन कम से कम यूरोप में जितने देश हैं, फ्रांस, हालैंड, बेल्जियम, जितने देश हैं इन सब में घाटे का बजट पेश हो रहा है और इसके लिये एक आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम हमारे देश में या उत्तर प्रदेश में जहां की जनता इतनी गरीब है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने कम हैं, उस समय हम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य चला रहे हैं तो यही उसमें देखना पड़ता है कि हम अपना प्रयत्न, हम अपना इरादा किस तरह से पूरा करें जिससे हम अपने देश और अपने प्रदेश को कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर ले चल सकें। जब हम अपने भारत की स्थिति को देखते हैं तो हमारी पंचवर्षीय योजना जिन लोगों ने बनायी, उस को जब देखते हैं तो हमारे पास उस वक्त कोई साधन ही नहीं थे और एक बहुत बड़ी विकास की समस्या पूरी करनी थी। पहले तो यह प्रश्न आता है चाहे हमारे विरोधी भाई कुछ भी कह लें, पहला प्रश्न यह आता है कि अगर एक्सटर्नल एड, चाहे अमेरिका हो, कोलम्बो प्लान से, चाहे कहीं से मिल सके, हमारे प्रधान मंत्री ने भी इस को मान लिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी शर्त नहीं लगेगी तो हम विदेशों से भी रुपया लेने के लिये तैयार हैं। एक बहुत बड़ी आशा करके हमको विदेश से रुपये की सहायता लेने की कोशिश करके चाहे वह रूस हो, चीन हो या अमेरिका हो या कामन वैल्थ देश हों उनसे रुपया लेकर हमने अपने यहां कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये पंचवर्षीय योजना में उस रुपये को लगाया है। जब हमने पहले अपने यहां पंचवर्षीय योजना बनायी थी तो उस समय २०,७९ करोड़ रुपये की बनायी थी लेकिन बाद को फिर यह रकम बढ़ गयी। आखिरी मर्तबा यहां पर जब वह सन् १९५२ में बनायी गयी और उसको बनाकर फाइनेंस विभाग को भेजा गया तो उसमें १२,५८ करोड़ रुपये की और बढ़ती की गयी जिसके लिये केंद्र से व्यवस्था करने की बात कही गयी। जुलाई सन् ५२ में १५६ करोड़ रुपया हम को विदेशों से मिला था लेकिन ६५५ लाख रुपया ऐसा था जिसकी व्यवस्था नहीं कर पाये थे। वह रुपया तो था ही और उसके अलावा कुछ और बढ गया जो करीब १७५ करोड़ हैं तो अब यह समस्या उत्पन्न हो गयी है कि यह केंद्र से और हमारे प्रदेश से मिलकर जो रुपया हो उससे यह योजना चलायी जाय। हमने १२० करोड़ रुपया अपनी योजना में और बढ़ा लिया है जिसमें रिहन्ड डैम भी शामिल कर लिया गया है। १०,१५ करोड़ रुपया की और रकम है जिसको पूरा करना है। इसके लिये यह देखना है कि कैसे इसको पूरा किया जाय। यहां पर उन तरीकों से ही उनको पूरा किया जायगा जिनका तरीका पंचवर्षीय योजना में हमको बतलाया गया है कि किस तरह से हम अपने बजट को पूरा कर सकते हैं। उसमें ३,४ तरीके बतलाये गये हैं। केंद्रीय सरकार से कर्ज लिया जाय या अपने प्रदेश में टैक्सेशन किया जाय या कर्जा लिया जाय और तीसरा यह कि डैफिसिट बजट पेश करके उसको पूरा किया जाय।

दो साल पहले जब वित्त मंत्री महोदय ने यहां पर अपना बजट पेश किया था, तो उसमें कहा था कि इस रुपये की पूर्ति के लिये हम अपने यहां डेवलपमेंट लैवी लगा सकते हैं और इससे अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके मुताबिक लैवी लगाने का प्रस्ताव आया था लेकिन दूसरे साल जब उनका बजट भाषण हुआ तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह एलान कर दिया कि यह प्रदेश कितनी सतर्कता के साथ चल रहा है। यह भी कहा था कि हम अपने यहां डेवलपमेंट लैवी नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहां प्रांत के सब भागों में एक ही प्रकार का नीचे का स्तर दिखायी पड़ता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट लैवी को लगाया जाय तो शायद यह प्रदेश उसको बरदाश्त नहीं कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो कुछ भी हमने अपने यहां उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन किया वह नहीं के बराबर है। यह हमारे लिये आश्चर्य की बात है। हमारी सरकार की यह कोशिश है कि आज जब कि हमारे देश के प्रदेशों के बजट से हमारे प्रदेश का बजट सबसे बड़ा बजट है उसमें हम इतने अधिक रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हमारा बजट २० करोड़ रुपये और बढ़ गया है और हिन्दुस्तान में जितने प्रांत हैं उन सब में सबसे बड़ा बजट है। हमने अपने यहां जमींदारी को तोड़ा तो उससे जो ७ करोड़ ४५ लाख रुपया लैन्ड रेवेन्यू का आता वह रकम बहुत घट गयी है और अब हमको जमीन से २२ करोड़ २८ लाख रुपये की आय हुई है। यह जरूर है कि इस जमीन के टैक्स से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ जमीन के ऊपर इतने टैक्स का भार और बढ़ गया है। पहले जो जमींदार लोग सरकार को

[श्री कालिका सिंह]

लैन्ड रेवेन्यू दिया करते थे उससे यह करीब १४ करोड़ रुपये की रकम और बढ़ गयी है। यह रुपया जो आया है अगर इसको गांवों को वापस कर दिया जाय तो जो बढ़ा है वह बहुत लाभकर सिद्ध हो सकता है। गांवों में इस रुपये से योजना बनाकर कार्यान्वित की जाय। इससे छोटे-मोटे आदमियों का सभी का लाभ होगा। इतनी बड़ी रकम बहुत बड़ी रकम है और यह एक मामूली प्रश्न नहीं है बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर और प्रदेशों ने अपने यहां जमींदारी को नहीं तोड़ा है और वह आगे नही बढ़ी है तो यह उनकी गलती है लेकिन हमारे प्रदेश ने बिला टैक्स बढ़ाये ही अपना कदम आगे बढ़ाया है जिसको देखने से सबको आश्चर्य मालूम हो रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो सरकार की मालगुजारी बढ़ गयी है, जो सरकार को १४ करोड़ रुपये की रकम मिल गयी है उसको प्लानिंग कमेटीज के जरिये से सरकार को हर गांव समाज में खर्च कर देना चाहिये। मान लीजिये कि पहले एक हजार रुपया किसी गांव समाज से मिलता था और अब ३ हजार मिलता है यानी २ हजार ज्यादा मिलता है तो इस दो हजार के अनुपात से सरकार को प्लानिंग कमेटीज के जरिये वह रुपया उन लोगों को वापिस जरूर हो जाना चाहिये नहीं तो हर गांव समाज की स्थिति खराब हो जायगी।

सरकार ने ऐडीशनल टैक्सेशन नहीं किया है इसलिये उसको कर्जा लेने के लिये मजबूर होना पड़ा है। हमारे नेता विरोधीदल ने कहा कि कर्जा क्यों लिया जा रहा है? लेकिन यह तो हमारी मजबूरी है। ६ करोड़ रुपया इस साल लेने जा रहे हैं तो, जैसा कि मेरे माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि पहले का मिला कर २१३ करोड़ रु० हो जायगा। ९० करोड़ रुपये का पब्लिक डेट है। ७ करोड़ रुपया कंपेंसेशन में चला जायगा। अगर आप कुल को देखें तो १५३ करोड़ रुपया जमींदारी अबालीशन का निकालना है। यह ऐसा है जिसको कर्जा नहीं कहा जा सकता। असेट्स का ३१ करोड़ रुपया है, सिक्योरिटीज का १३ करोड़ है, इसके अतिरिक्त १७ करोड़, ५७ करोड़, १३ करोड़ तथा ४ करोड़ ६८ लाख बसेज का सब मिलाकर १४२ करोड़ हो जाता है। इसमें पूरा कवर हो जाता है। अब अगर हम गवर्नमेंट आफ इंडिया की असेट्स और लायबेलिटीज को देखें तो मालूम होता है कि उन्होंने २,२७६ करोड़ रुपये का कर्जा लिया है और १,९६९ करोड़ रुपया सब मिलाकर असेट्स है। वह केवल ७१ प्रतिशत कवर कर पाये हैं। इस हालत में केंद्र से उत्तर प्रदेश की हालत अच्छी है। इसी प्रकार से अगर आप इंगलैन्ड और अमेरिका के कर्जे की हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि इंगलैन्ड ने ६० अरब रुपये का बजट प्रस्तुत किया और उसके पास ३५० अरब रुपये का कर्जा है यानी कर्जा ६ गुना है लेकिन हमारे यहां केवल दुगुने के ही करीब है। इसी प्रकार से अगर आप अमेरिका को देखें तो उसका बजट ६८ बिलियन का है लेकिन उसके ऊपर २७४ बिलियन का कर्जा है। तो इंगलैन्ड और अमेरिका की हालत यह है कि उनके ऊपर ५-६ गुना कर्जा है बजट से जब कि उनका इतना बड़ा भारी बजट है, जब कि हम उत्तर प्रदेश में इतना छोटा सा बजट प्रस्तुत करते हैं। अब उस पर भी यह कहना कि कर्जा न लीजिये, आगे के लिये रास्ता रोकना ही है। एक तरफ आप टैक्स भी नहीं लगने देना चाहते और दूसरी तरफ कर्जे के लिये भी मना करते हैं। तो फिर इसका एक ही नतीजा हो सकता है, हजारों जो विकास के कार्य चल रहे हैं, वे बन्द कर दिये जायं। अभी हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय सज्जन आये थे उन्होंने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश और हिन्दोस्तान में अभी विकास कार्यों पर खर्चा बहुत कम है। इनमें हम केवल ५ प्रतिशत आफ दी नेशनल इनकम ही खर्च कर रहे हैं। इस तरह से हमें डेफीसिट फाइनेंसिंग तो करना ही है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो अपने कर्त्तव्य को पालन नहीं करते, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा नहीं कर पायेंगे। आज हमारे यहां की प्राइसेज की हालत अच्छी है, हमारे यहां इन्फेलेशन नहीं है, कीमतें नीचे जा रही हैं यहां तक कि सरकार को उनको रोकने का प्रयत्न करना पड़ रहा है। इस समय जो स्थिति हमारे देश की है वह घाटे का बजट प्रस्तुत कर सकने के योग्य है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनकमटैक्स के वितरण करने का जो तरीका रखा गया है वह ठीक नहीं है। पहले जो देशमुख एवार्ड था उसके मुताबिक बम्बई और मद्रास की बहुत

ज्यादा आमदनी का हिस्सा मिलता था। वह एक गलत तरीका था और मैं समझता हूं कि कोई न कोई वजह जरूर होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश से छोटा होने पर भी बम्बई और मद्रास को ज्यादा इनकम टैक्स का हिस्सा मिलता था। वह तरीका बिल्कुल गलत था। इसके बाद जो तरीका फाइनेंस कमीशन ने निकाला और उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया है वह यह है कि पहले जो ५० परसेंट पूल से स्टेट को मिलता था इनकम टैक्स की आमदनी में उसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ५० परसेंट से ५५ परसेंट कर दिया है, जो हमारे प्रदेश को मिला करता है। लेकिन ५५ परसेंट में ४।५ तो पौपुलेशन बेसिस पर हैं और १।५ कैलेकुलेशन बेसिस पर है। यह १।५ जो है वही हमको बम्बई से नीचे ला देता है। इनकम टैक्स चाहे बम्बई का बन्दरगाह हो, चाहे कलकत्ता का बन्दरगाह हो, चाहे मद्रास का बन्दरगाह हो, उससे मिलता हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसी की वजह से ये बन्दरगाह चलते हैं। इसलिये अगर कैलकुलेशन बेसिस पर देखा जाय तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है और इसलिये जनसंख्या के आधार पर ही पूल का डिस्ट्रिब्युशन होना चाहिये। उस हिसाब से जो पूल से हमें मिलता है वह इस प्रकार है :—बम्बई को १७.५०, मद्रास को १५.२५ और यू० पी० को १५.७५ मिलता है। जब कि होना यह चाहिये कि यू० पी० को बम्बई से ज्यादा मिले। जो हमारे यहां ७५ लाख का लास दिखलाया गया है अगर हमको पूरा हिस्सा मिलता तो उस घाटे को हम पूरा कर सकते थे। यह हमारे साथ अन्याय है।

दूसरा जो फाइनेंशियल इन्क्वायरी कमीशन बैठा था उसकी जो रिपोर्ट आयी है उससे मालूम हुआ है कि देशमुख साहब ने कहा है कि उसके मुताबिक अभी हम अमल नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से इस बजट में भी हम कोई संकेत नहीं कर सके हैं, उसकी वजह यह है कि वह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन अब उसके अमल करने का सवाल है।

इसी तरह से दो चार बातें मैं और कहना चाहता हूं जो उद्योग और इंडस्ट्रीज के बारे में हैं। इस मर्तबा के बजट को यदि हम देखें तो मालूम होगा कि अबकी बार इंडस्ट्रीज का बजट बढ़ा है और बजट में जो बढ़ी हुई आमदनी है, तीन-चार चीजों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। इर्रीगेशन में ९ करोड़ ६५ लाख की जगह १० करोड़ १९ लाख हो गया है, मेडिकल में २ करोड़ ६५ लाख की जगह ३ करोड़ हो गया है, इसी तरह से इंडस्ट्रीज में २ करोड़ ६४ लाख की जगह ४ करोड़ २७ लाख हो गया है। कैपिटल में ३ करोड़ १४ लाख की जगह ५ करोड़ ७६ लाख है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा बढ़ा है और वह ४ करोड़ ९७ लाख की जगह १६ करोड़ ११ लाख खर्च हो रहा है। तो इस तरह से यह रकम बढ़ती गयी है। पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन को प्राथमिकता दी गई थी और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे प्रदेश में सब से बड़ी समस्या इंडस्ट्रीज के लिये यह है कि इंडस्ट्रीज को कानपुर और लखनऊ या कलकत्ता और बम्बई में जो ग्रूपिंग की प्रवृत्ति है उसको दूर करके इसे अलग-अलग फैलाना चाहिये। इंगलैण्ड में कर्ज देने के लिये भी यह शर्त रखी जाती है कि इंडस्ट्रीज के लिये कर्ज उसी को दिया जायगा जो डेवलपमेंट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में जाकर अपना काम करने के लिये तैयार हों।

और देशों में तो यह होता है कि फैक्टरीज माइग्रेट करती हैं लेबर के पास, लेकिन हमारे यहाँ लेबर ही माइग्रेट करते हैं फैक्टरीज के पास। वहां बोर्ड आफ कंट्रोल भी होता है जिसका काम होता है कि ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दिया जाय जो वहां जाकर इंडस्ट्रीज खोलें। तो इस तरह का प्रयत्न हमारी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से भी होना चाहिये कि बड़े-बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज खोलने के बजाय छोटे-छोटे स्थानों पर भी खोलें। लेकिन

[श्री कालिका सिंह]

ज्यादातर लोग कर्ज देने के लिये धन नहीं देते। इस वास्ते जो दूसरे क्षेत्र हैं चाहे वे बुन्देलखंड हों, चाहे पूर्वी जिले हों, चाहे पर्वतीय प्रदेश के इलाके हों उन सभी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा और ऐसा एक ऐक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की व्यवस्था ठीक होकर वितरण ठीक से हो सके। इस तरह से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पर जो यह करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च हो रहा है इसका आधार भी हमें अभी से बना लेना चाहिये कि कहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब उद्योग-धंधों की प्रगति बढ़ेगी तो इसमें कानपुर ही बढ़ने लगे और सभी दूसरे क्षेत्र पिछड़े रह जायं। बम्बई और कलकत्ते जैसे बड़े शहरों में हमारे पूर्वी जिले के आदमी लाखों की तादाद में चले जाते हैं और कानपुर और कलकत्ते में ऐसे सैकड़ों आदमी रहते हैं जो चाहे काम मिले या न मिले लेकिन वहां रहते हैं कि कहीं कोई फैक्टरी खुल जाय तो काम मिल जायगा। यह नहीं होना चाहिये बल्कि उनको अपने घर पर ही पड़ा रहना चाहिये और सरकार को चाहिये कि ऐसा प्रबन्ध करे कि फैक्टरी उनके घर के आसपास ही कहीं पर हो। हमारे उत्तर प्रदेश में १ हजार फैक्टरियां हैं लेकिन उनमें १०, ५ प्रतिशत को छोड़ कर सब में पूंजी की जरूरत है। अगर सरकार उसका प्रबन्ध कहीं से कर दे तो वहां वह पहुंचाया जा सकता है और देहातों को लाभ पहुंच सकता है।

शिक्षा के लिये हम सदा से सोचते रहे हैं और वह हम आज जरूर कहना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में ६, ७ यूनिवर्सिटियां हो गई हैं और यह सरकार उन पर ८०, ९० लाख रुपया व्यय करती है लेकिन यूनिवर्सिटियों का और आर्ट्स कालेजेज का भार अगर केन्द्र सम्हाल सके तो बहुत अच्छा हो। जिस प्रकार अलीगढ़ और बनारस यूनिवर्सिटियों का भार सम्हाले है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिया है उसी प्रकार अब चूंकि ४, ५ यूनिवर्सिटीज नई रह गई हैं सारे देश में २७, २८ यूनिवर्सिटियां हैं। उनके लिये केन्द्र एक पालिसी बना रही है कि वह नेशनल पैटर्न की हों। तो केन्द्र को चाहिये कि सब यूनिवर्सिटीज का भार अपने ऊपर ले ले और हमारे शिक्षा मंत्री का ध्यान उन ३०, ४० लाख प्राइमरी स्टूडेंट्स पर जाय क्योंकि २०, २५ हजार स्टूडेंट्स नहीं रह गये हैं। मध्य भारत में शिक्षा १०.८ प्रतिशत है और उतनी ही शिक्षा हमारे प्रदेश में है। तो केन्द्रीय सरकार ने जो ८ सूबे सेलेक्ट किये हैं प्राइमरी एजूकेशन पर मदद देने के लिये उनमें बिहार, उड़ीसा, पंजाब और एक और प्रदेश चार को उन्होंने इस साल लिया है और उन सबको सत्तर-सत्तर, साठ-साठ लाख मदद दे रही है लेकिन एक भी पाई केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश के लिये नहीं मिलेगा। मैं अपनी सरकार से कहता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखे कि उसको इस ओर देखना चाहिये। हमारा प्रदेश जब सब से इस मामले में पीछे है तो इस प्रदेश को भी उसमें शामिल करके इस प्रदेश को भी केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो पेश किया गया है इसको यदि मैं यह कहूं कि यह समाजवादी ढांचे का पहनावा पहना कर ऐसा बजट पेश किया गया है जिसका ध्येय समाजवादी नहीं है बल्कि पूंजीवादी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इस वक्त मुझे एक किस्सा याद आता है एक शृगाल था। वह शेर की खाल कहीं पा गया और उसको पहनकर घर आया। उसकी स्त्री ने कहा कि तुम तो शेर हो गये। उसने कहा कि हां, हम तो शेर हो गये। जंगल का जो राजा शेर है उसने हमको शेर बना दिया है और हमको अपनी खाल दे दी है। स्त्री ने कहा चलो अच्छा हुआ तुम इतने बड़े जंगल के राजा बन गये अब खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने कहा हां, अब तकलीफ बिल्कुल नहीं हो सकती है। वह सियार एक दिन खाल पहन कर जंगल में घूमने गया लेकिन थोड़ी देर के बाद ही शेर ने उसको

पहचान लिया और उसको मार डाला। तो यह सियार की खाल पहनने से [illegible] होगा नहीं। सियार सियार, ही रहेगा। माननीय प्रभुदयाल जी ने और माननीय [illegible] जी ने इस बजट को पहचान लिया कि श्रृगाल शेर के रूप में था और [illegible] था। मैं भी प्रभुदयाल जी का समर्थन करता हूं कि यह समाजवादी ढांचा नहीं है [illegible] जी और महीलाल जी के बोलने के बाद हम विरोधी पार्टी में जो बैठे हुये सदस्य हैं उनका भार जरा हल्का हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी उनको धन्यवाद दें [illegible] लेकिन मैं अपनी ओर से उन दोनों माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं [illegible] झोपड़ी से वे आये हैं उन झोपड़ी की सही बात कुछ उन्होंने यहां रखी। [illegible] महोदय, बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने एक बात यह अवश्य कही है कि [illegible] योजना को हमने भलीभांति पूरा कर लिया। समझ में बात नहीं आती कि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री दूसरी बात कहें और केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री दूसरी बात कहें। अखबार की कटिंग मेरे पास है। नई दिल्ली में २७ जनवरी को मीटिंग हुई जिसका सभापतित्व पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसमें बोलते हुए हमारे केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री देशमुख जी ने कहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। बिना सोच समझ कर लागू करने का यह परिणाम निकला। अब माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को आप पृष्ठ नं० २ पर देखेंगे उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम कामयाब हुए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसी पृष्ठ २ पर उन्होंने कहा है कि जरूरी चीजों की कीमतों में एक हद तक कमी हुई है तो जिस कारण रुपये की कीमत घटा सकते हैं उसका भी खात्मा हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ होती है कि एक तरफ तो सरकार यह दम भरती है कि खेती की समस्या हमने हल कर ली। एक बार क्या बीसों बार इस सदन में कहा गया कि खाद्य समस्या हमारे प्रदेश की हल नहीं हुई। हल इस मानी में हो सकती है कि दूकानों में कपड़ा भरा पड़ा है, गल्ला दूकानों में भरा पड़ा है, लेकिन गरीब लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, जिससे वे कपड़ा एवं गल्ला खरीद कर मनुष्य की तरह भोजन कर सकें और कपड़े पहन सकें। उपाध्यक्ष महोदय, खेती की पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है और साथ ही साथ सरकार यह कहती है कि उसने १९४६–४७ के मुकाबले में कृषि में गेहूं की पैदावार ज्यादा बढ़ाई। आप देखेंगे कि पृष्ठ नं० ११ पर लिखा है ३,९९,८९,००० एकड़ जमीन में १९४७–४८ में खेती होती थी लेकिन ५४ में बढ़ कर वह जमीन ४,५०,६९,००० एकड़ हो गई। मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिये था कि उसके साथ-साथ यह भी बतलाती कि कितनी पैदावार बढ़ी और उस पैदावार में से कितना गल्ला हमारे प्रदेश को चाहिये। अगर हिसाब लगाया गया होता तो साफ मालूम होता कि हमारा प्रदेश खेती में स्वावलम्बी हुआ या नहीं हुआ। आज हमारे प्रदेश में गल्ले की कीमत घटती चली जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस ओर जरा भी इशारा नहीं किया। राष्ट्रपति ने अपने सम्बोधन में कहा है "खेती की पैदावार की गिरती हुई कीमतों ने किसानों में बेचैनी पैदा कर दी है। अनाज के भावों में गिरावट को किसान तभी सहन कर सकता है जब कारखानों में बनी हुई वस्तुओं के मूल्यों में भी उसी अनुपात में गिरावट हो और मालगुजारी तथा अन्य करों में भी समानुपातिक कमी हो"। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया गया और हमारी पार्टी के लोगों ने सिंचाई कर को कम करने के लिये आन्दोलन किया, लेकिन सरकार कभी नहीं मानती कि गल्ले का भाव गिर रहा है हालांकि राष्ट्रपति ने अपने सम्बोधन में यह बात मानी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है और अगर ऐसा है तो किसको सही माना जाय। अगर राष्ट्रपति का सम्बोधन सही है तो आज मालगुजारी टैक्स, नहर रेट, सिंचाई रेट में कमी होनी चाहिये। गल्ले की कीमत कम हो रही है लेकिन कारखानों में पैदा हुए सामान वैसा ही महंगा है। अगर यह बात सही है तो आय और व्यय में बिना सन्तुलन किये समस्या हल होने वाली नहीं है और सरकार के लिये बहुत कलंकमय है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि बहुत से सदस्यों ने कहा है कि अफ्रीका और इंगलैण्ड आदि देशों में घाटे का बजट बनता है। श्री कालिका सिंह जी ने न जाने कहां-कहां के उदाहरण दिये। लेकिन हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री देशमुख जी ने कहा है कि प्रदेश की सरकारों को चाहिये कि वे घाटे का बजट न बनायें। पर प्रदेशीय सरकार के वित्त मंत्री ने जो कांग्रेस के इतने महान् नेता भी हैं घाटे का बजट पेश करके उनकी बातों की अवहेलना की है और यह बात मेरी समझ में नहीं आई। माननीय नौरंगलाल जी ने कल कहा था कि कर्जा कहां लिया गया है। मैं समझता हूं कि उधर बैठने वाले बहुत से लोगों ने उनका समर्थन भी किया है। मेरा ख्याल है कि श्री नौरंगलाल जी ने माननीय वित्त मंत्री का भाषण ही नहीं पढ़ा। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें स्वीकार किया है कि हमने कर्जा लिया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं और उसकी सूद देनी पड़ती है और नये टैक्सेज लगाने की ओर माननीय वित्त मंत्री ने इशारा भी किया है। मैं एक बात पर जरूर माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ६० जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को मुस्तकिल किया गया। एक बात बड़ी जोर से कही गई कि चपरासियों और चौकीदारों की तनख्वाहों में बढ़ोतरी दो रुपये की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, स्मृतिपत्र के १२० पेज को माननीय सदस्य जरा ध्यान से पढ़ें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गांव की जो पुलिस है उसमें कमी की जायगी, एक तरफ दो रुपया मासिक की बढ़ोतरी की जाती है और दूसरी तरफ उन्हीं चौकीदारों के ऊपर छंटनी की तलवार लटक रही है और उसके साथ ही यह कहा जाय कि हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दीं। मैं तो समझता हूं कि अगर आप दो रुपया तनख्वाह बढ़ा कर ५० हजार चौकीदारों की जगह २५ हजार कर दें तो यह तो कोई समाजवाद का नमूना नहीं है। जब आपने छंटनी की तो समाजवाद का रूप कहां रहा? इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि हमने एक और तरह का मुकाबला कर दिया तनख्वाहों में। हमारे प्रदेश में इस सरकार का सब से छोटा नौकर गांव का चौकीदार है और सब से बड़ा मालिक इस प्रदेश का राज्यपाल है। राज्यपाल की तनख्वाह साल भर में ६०,००० होती है जब चौकीदार की तनख्वाह उसकी बढ़ती को लेकर ६० रुपया होती है, एक हजार गुने का अन्तर। एक हजार गुने का अन्तर है और फिर सरकार कहे कि हमने एक और तरह का अन्तर कर दिया है? मैं कैसे मानूं कि समाजवाद का रास्ता यह है?

इसके अलावा आप देखेंगे कि सिविल प्रशासन के खर्चे को कहा जाता है कि हम समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और महत्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले मंत्रीगणों का खर्चा, माननीय राज्यपाल का खर्चा, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इस सरकार को हया नहीं है। सरकार को जरा सी भी हया नहीं है। निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि २० हजार की मोटर गाड़ियों को माननीय मंत्रियों ने सभासचिवों को एक-एक हजार रुपये में बेंच दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की सरकार या और देशों की सरकारों के किसी मंत्री के प्रति यदि इस प्रकार का आक्षेप हो जाता है तो वह मंत्री इस्तीफा दे देता है लेकिन यहां हिन्दोस्तान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ इस प्रकार का आक्षेप हुआ, किताबें छाप कर बांटी गईं लेकिन उसके बरखिलाफ जब हम यह पाते हैं इन मंत्रियों को कहते हुए कि हम यहां समाजवादी सरकार बना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम समाजवाद का नाम लेकर समाजवाद शब्द को कलंकित कर रहे हैं और इस राज्य में, महात्मा गांधी के देश में कल्याण-कारी राज्य का स्वप्न देखने वाले इस प्रदेश की सरकार के मंत्रियों को इस तरह की आदत छोड़नी चाहिये। मैं साफ कहना देना चाहता हूं कि अगर हम इस बजट को उदार पूंजीवादी बजट कहें तो थोड़ा होगा। अगर हम इस बजट को ऐशवादी दृष्टिकोण

का बजट कहें तो अत्युक्ति न होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी १५ तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय को नये पदों के लिये १० हजार रुपया दिया गया है। आज फिर बजट में १६ हजार रु० पदों के लिये मांगा जा रहा है। २५ हजार रुपया स्वीकृत किया गया था मोटर के लिये पुनः इस बजट में ५२ हजार रुपये की मांग की गई है। यह क्या है? किस देश के राज्यपाल या सरकार ऐसा कर सकते हैं? एक तरफ लोग नंगे और भूखे हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल पर ५ लाख से अधिक रुपये का खर्चा हो तो इसको क्या कहा जायेगा। इसको समाजवादी सरकार का समाजवादी बजट कहना माननीय रामनरेश शुक्ल जी ही को शोभा दे सकता है। लेकिन माननीय महीलाल जी, प्रभुदयाल जी और इधर के बैठने वाले लोग नहीं कह सकते, यह बात सही है कि समाजवादी बजट में ऐसे लोगों का लाभ है, लेकिन सही मानों में जो भूखी जनता है उसको लाभ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और आप देखेंगे कि अवाडी कांग्रेस के बाद समाजवाद का नाम लेना इस बजट में जरूरी हो गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अवाडी कांग्रेस के बाद समाजवादी प्रकार का नक्शा हमारे प्रदेश का हो गया और बहुत दिनों से है। पारसाल मेरे जिले में एक उपचुनाव था, मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने अपने कानों से सुना, खड़े होकर उन्होंने कहा था कि यह राक्सवादी हैं और कहा था कि समाजवादी हैं, समाज के दुश्मन यहीहैं। समाज के दुश्मन मार्क्सवादी, और समाजवादी रहें, लेकिन आज वे ही लोग राक्सवादी और समाजवादी कहने वाले सब के सब स्वयं वही हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर कुछ खर्च बढ़ाया गया। १२ करोड़ १८ लाख ११० रुपया खर्च किये जाने की तालिका तैयार की गई है। पांच सौ प्राइमरी स्कूल नये और खोले जायेंगे। लेकिन मैं आपके द्वारा पूंछना चाहता हूं कि क्या पुराने अपर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह हर मास दी जाती है और वह भी पूरी? क्या पुराने अपर प्राइमरी स्कूल के वे अध्यापक जिन्होंने सारे प्रदेश में हड़ताल की और माननीय पुरुषोत्तमदास टण्डन के आश्वासन पर हड़ताल तोड़ी, पारसाल ही श्री अलगू राय जी के आश्वासन पर हड़ताल तोड़ दी, क्या इस बजट में उन छोटे-छोटे गुरुजनों की तरफ, जिन्होंने हम सब को पढ़ाया है, ख्याल गया है? तृणमात्र नहीं किया है। वे स्कूल जो गिर गये हैं उनको बनाने की इच्छा नहीं है, नये-नये स्कूल खोलने की इच्छा है, नये-नये मास्टर रखे जायं और उससे कांग्रेसी सरकार और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करायें। बस यही लालसा रह गई है, यह लालसा नहीं रही कि मास्टरों को तनख्वाह पूरी मिले। उनकी हालत इस कांग्रेसी राज्य में चपरासियों से भी बदतर हो गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सूचना विभाग के लिये नई मांग की गई है। सूचना विभाग में पौने आठ लाख आवर्त्तक और १३ लाख ३० हजार अनावर्त्तक की मांग की गई है। इस काम के लिये की गई है कि एक प्रदर्शिनी होगी और डाक्यूमेंट्री फिल्म बनेंगी सरकार की ओर से। कैसी फिल्म बनेगी, कैसी प्रदर्शिनी सरकार की ओर से होती है, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी चर्चा क्या करूं! और इन फिल्मों के द्वारा कैसा प्रचार होगा यह सदन जानता है और चन्द दिनों के बाद देखने लगेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार का इरादा है कि काम कुछ हो या न हो कागज पर जो रुपया खर्च हो जाता है उसका प्रचार होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इसका रूप इस खर्चे के दर्पण में आता है।

हरिजन विभाग की बड़ी तारीफ होती है और माननीय महीलाल जी और माननीय शिवनारायण जी फूले नहीं समाते, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या अधिकारी की रिपोर्ट पढ़िये, उसने बताया है कि हरिजनों में शिक्षा प्रसार सन् १९३१ के मुकाबले में १९५१ में बहुत ही कम हुआ है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

१९३१ में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने जिस अनुपात में हरिजनों को पढ़ाया लिखाया, उस अनुपात में १९५१ में माननीय शिवनारायण जी की गवर्नमेंट नहीं पढ़ा सकी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वह समझती है कि हरिजनों के उद्धार के लिये खर्च हो रहा है लेकिन वह सारा रुपया प्रबन्धकों और संचालकों के ऊपर ही खर्च हो जाता है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इस बजट में इस तरह की भी बातें की गई हैं जिनसे मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में बेकारी बेरोजगारी की जो समस्या है वह हल हो गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमारे इस प्रदेश में बेरोजगारी अब करीब करीब खत्म हो गई है और उन्होंने पेज नम्बर ३६ पर कहा कि हमारे तीन चार फीसदी के अलावा और सबको यह मानना पड़ेगा कि रोजगार मिल गया है। तीन चार प्रतिशत बड़ी मजबूरी से वह मान लेते हैं कि बेरोजगारी नहीं खत्म हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इस तीन चार प्रतिशत की बात क्या करूं। हमारे प्रदेश में और खास करके बाढ़ पीड़ित एरिया में टेस्ट वर्क होता है। देवरिया जिले में बीस-बीस हजार मजदूर काम करने जाते हैं चार आने मजदूरी पर। आज बजट में देखेंगे कि बाढ़ की रोकथाम के लिये भी इसमें खर्च रखा गया है, ३२ लाख ५८ हजार रुपया इसके लिये स्वीकार किया जा रहा है। इतना बड़ा प्रदेश जिसमें करोड़ों आदमी बाढ़ पीड़ित एरिया में निवास करते हों, उनके लिये कुल इतनी सी रकम मांगी गई है। दुर्भिक्ष सहायता के लिये भी रुपये की मांग रख दी गई है। पारसाल भी मांग की गई थी मगर क्या काम हुआ, पारसाल का हिसाब तो नहीं आया है, लेकिन मैं अपने जिले और कई जिलों, देवरिया, गाजीपुर आदि की बात जानता हूं कि बाढ़ से रक्षा पाने के लिये न नाव मिली, न उनको कोई सहायता की गई और न उनको ऊपर बसाने के लिये जमीन आज तक न दी गई। हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको कोई राहत सरकार नहीं दे पायी है। बहुत शोर मचाया जाता है कि हमने इतना कार्य किया बाढ़ पीड़ितों के लिये। लेकिन बिहार प्रांत के आंकड़ों को मांगकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार प्रांत में ८ करोड़ ४३ लाख रु० तकावी में बांटा गया बीज के लिये जब कि हमारे प्रदेश की सरकार ने कुल २४ लाख रुपया इस कार्य के लिये बांटे। २४ लाख रुपये कुल बांटे और फिर भी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। मैं यह अगर कहूं सरकार के लिये कि हाथी के दांत दो होते हैं एक खाने के और दूसरे दिखाने के तो कोई अत्युक्ति न होगी। यही इस सरकार का इरादा है और इसी इरादे पर चलकर वह समाजवादी बजट इस सूबे में ला रही है। इस बजट को समाजवादी बजट के बजाय अगर ऐशवाजी दृष्टिकोण का बजट कहा जाय तो शायद अधिक उपयुक्त होगा

श्री उपाध्यक्ष—माननीय चन्द्र सिंह रावत।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, निहायत अदब के साथ एक प्रार्थना यह है कि उधर के लोग काफी बोल चुके हैं आपके आने के पहले भी, तो जरा इधर भी आपकी कुछ कृपा दृष्टि हो जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से मैंने माननीय सदस्य के बजट भाषणों को सुना है। मुझे खुशी है और मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने विचार का इजहार इस सदन में किया। प्रस्तुत बजट के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि दरअसल प्रस्तुत बजट हमारा एक विकास का बजट है, वह हमारे भविष्य के विकास की एक रूप रेखा है, वह हमारी आकांक्षा, महत्वाकांक्षाओं को जिन्दगी देता है, वह हमारे राष्ट्र का पथ-प्रदर्शक है, वह हमारी जनता तक पहुंचने वाला बजट है। परन्तु इन सब बातों के माने यह नहीं हैं कि हमारी सरकार को जितने भी कदम उठाने थे और जितना भी विकास हमारे उत्तर प्रदेश का करना था वह पूरा हो चुका। मैं बताना चाहता हूं कि हम अभी विकास की पहली ही सीढ़ी पर हैं। मेरा यह संकेत है कि हमारे बजट के अन्दर विकास की सीढ़ी की ओर एक झलक है। मैं आगे

चल कर यह बताना चाहता हूं कि हमारे बजट को सबसे पहले किस ओर कदम बढ़ाना है। जम्हूरियत के उसूल पर जिस पर कि हमारी सरकार बनी है, हमारा बजट उस उसूल की बुनियाद को मजबूत करने में सफल है या नहीं है, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बजट का जितना प्रयास है, उसमें हम उस जम्हूरियत को जिन्दा ही नहीं रखना चाहते बल्कि उसको तन्दुरुस्त और तगड़ी बनाना चाहते हैं ताकि उसकी छाया के अन्दर हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ता चला जाय।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है और जिन रिसोर्सेज को टैप करके हमारे पब्लिक एक्सचेकर के अन्दर से रुपया पैसा आया है, वह कौन से ऐसे मीन्स हैं जिनसे कि वह रुपया आया है और आया वह क्वेश्चनेबिल मीन्स हैं जिनसे कि हमारे पब्लिक एक्सचेकर से रुपया आया है। हमारे जितने भी सदस्यगण इस सदन में बोले हैं, किसी ने भी इस प्रकार की बातें इस सदन में नहीं कहीं जिन से साबित हो कि नाजायज तरीके से सरकार अपने काफर्स को भर रही है और उस रुपये का वितरण जनता में उचित तरीके से नहीं हो रहा है। मैं इस बात को कबूल करता हूं कि हमारे बजट का डिस्ट्रिब्यूशन जिस तरीके से होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है और चन्द वर्षों तक भी आगे नहीं होने पायेगा। उसका कारण है। क्योंकि हमारी डेमाक्रैसी एक छोटी और नयी डेमाक्रैसी है और जब तक कि हमारी डेमाक्रैसी तन्दुरुस्त और तगड़ी नहीं होती, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बजट का डिस्ट्रिब्यूशन और उसका विकास कार्य जनता में उस प्रकार नहीं हो पायेगा जिस प्रकार कि उसको होना चाहिये। इतना ही नहीं मैं यह भी कहता हूं कि यह सरकार का फर्ज और ड्यूटी है कि रुपया खर्च करना ही नहीं बल्कि उसको यह भी देखना है कि वह रुपया उचित तरीके से खर्च किया जा रहा है और जितना रुपया जनता के कार्य के लिये हमारी सरकार दे रही है उस रुपये से पूरा-पूरा काम विकास का लिया जा रहा है या नहीं। इसके लिये मैं चाहता हूं कि सरकार को अपनी एग्जीक्यूटिव मशीनरी का विश्वास प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। अगर एग्जीक्यूटिव बाडी और हमारी एग्जीक्यूटिव मशीन सरकार के साथ सहयोग न करे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कभी भी अपने निर्माण कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं चाहे हम करोड़ों और अरबों का बजट इस उत्तर प्रदेश के लिये क्यों न रखें और हम अपने कार्य में फलीभूत नहीं हो सकेंगे। इसके लिये मैं चन्द बातें सरकार से कहना चाहता हूं और उनमें से एक बात यह है कि हाल में सरकारी नौकरियों के अन्दर मुझे बड़ा असंतोष दिखाई देता है। उसका कारण है जो कि हाल ही में सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं। उनके अन्दर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, और बहुत बड़ी कमियां हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उसमें कोई बात नहीं, अगर हमने गलती की तो हमको उस गलती को कबूल करना है। कबूल करने से नाक नहीं कटती है, बल्कि रास्ता अधिक साफ होता है और सरकार सतर्क हो कर और आंख खोल कर चलती है और आगे कदम बढ़ाती है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने एक गलत कदम उठाया जबकि उसने नौकरियों के लिये इंटेगिरिटी को सर्टीफाई कराने की बात की और नियम बनाया। मैं समझता हूं कि जितने भी लोग कानून पढ़ते हैं और जिन्होंने अदालतों में जाकर कानून को सीखा है और प्रैक्टिस की है वह एविडेंस ऐक्ट की उस धारा को जानते होंगे जो यह कहती है कि "Every man is supposed to be of a good character unless the contrary is proved."

कोई भी व्यक्ति हो हर किसी को कानून प्रिज्यूम करता है कि वह अच्छे चरित्र का है जब तक कि कानून के अन्दर यह साबित न किया जाय कि वह दुश्चरित्र है। जब तक किसी अदालत का फैसला उसके दुश्चरित्र होने का नहीं हो जाता है तब तक वह अच्छे चरित्र का समझा जाता है। तो इस प्रकार का जो नियम है जिसके अनुसार गवर्नमेंट आफिशियल्स से इंटेगिरिटी का सर्टीफिकेट डिमांड किया जाता है इसके माने यह हैं कि आप उनमें अविश्वास करते हैं। सरकारी आफिशियल्स की मशीनरी बेइमान है तभी तो इंटेगिरिटी सर्टीफिकेट की जरूरत पड़ी। मैं कहता हूं कि इस प्रकार का नियम आफीशियल्स के संबंध में नहीं होना चाहिये। जब तक किसी को बेईमान साबित न किया जाय

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हो तब तक इंटेगिरिटी सर्टीफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। इंटेगिरिटी सर्टीफिकेट का डिमांड किया जाना हमारे देश के लिये और हमारे प्रदेश के लिये और हमारे आफिसर्स के चरित्र के लिये एक बहुत बड़ा स्लर है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के नियम को फौरन तब्दील कर दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

दूसरी बात जिस पर मैं इम्फेसिस करना चाहता हूं और वह बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैरिट को काउन्ट करना चाहिये। लेकिन इस प्रकार के नियम ठीक नहीं हैं कि कोई आदमी ऐफीशियेंट वर्कर है लिहाजा सीनियारिटी को नजरअन्दाज करके उसको ऊंचे पद पर प्रमोशन दिया जा सकता है। मैं कहता हूं कि यह तो होना चाहिये कि कोई बहुत ज्यादा काबिल है और प्रमोशन डिजर्व करता है तो उसको एक्सीलरेटेड प्रमोशन दे दिया जाय। लेकिन ऐसा कोई नियम न बनाया जाय जिससे फेवरटिज्म आसानी से हो सके या भाई बिरादरी के किसी आदमी को एकोमोडेट करने के लिये आसानी से रास्ता निकल सकता हो। इस प्रकार की व्यवस्था को हमें आज अपने यहां से दूर करना है ताकि हम सरकारी आफिसर्स का विश्वास प्राप्त कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर हमें सर्विसेज को ऐफीशियेंट बनाना है, उनसे ईमानदारी से काम लेना है तो हमें इस व्यवस्था को दूर करना होगा। अभी जो मैंने दो बातें सदन के सामने पेश की हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इतना ही नहीं बल्कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर, हमारे प्रदेश के अन्दर आज डिसिप्लिन खराब हो गया है। मैं हमेशा से डिसिप्लिन का जबरदस्त हामी रहा हूं और जब तक लाइफ के हर स्फीयर में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप चाहे करोड़ों अरबों और लाखों के बजट रख लीजिये और जितना चाहे रुपया खर्च कर लीजिये लेकिन आपका प्रदेश ऊंचा नहीं उठ सकता है, आपका देश ऊंचा नहीं उठ सकता है जब तक हमारे चरित्र के अन्दर निर्भीकता नहीं है, जब तक हमारे अन्दर राष्ट्र के उत्थान के लिये मन में लगन न हो, जब तक हम कानून की पाबन्दी करना न सीखें। अगर हम अपने भाई बिरादरी के लाभ के लिये कानून का खून करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम गलत रास्ते पर चलते हैं जिस पर हमें नहीं चलना चाहिये।

मुझे दुख होता है लेकिन आज मुझे सदन के अन्दर सच्ची बातें कहनी पड़ रही हैं। इसका कारण है क्योंकि मेरे दिल पर बड़ी गहरी चोट पहुंची है। जितने आजकल सरकारी आफिसर्स बड़े-बड़े रैंक और कैडर के हैं जिनको दो-दो हजार तनख्वाह मिलती है वह सब जूतों में अपना माथा टेकते हैं तो मुझे अत्यन्त दुख होता है। वह उन कालेज और विश्वविद्यालयों के निकले हुये हैं जो राष्ट्र के अन्दर स्वाभिमानी व्यक्तियों को पैदा करते हैं। जब वह तरक्की पाने के लिये चापलूसी की बात करते हैं, जूतों में अपने सिर को रखते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं समझता हूं कि ऐसे आफिसर्स को फौरन नौकरियों से निकाल दिया जाय और उन पर चार्ज लगाया जाना चाहिये। अगर सरकार इंसाफ करना चाहती है तो जूतों में माथा टेकने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिये और मैं इसको कोई क्वालीफिकेशन नहीं समझता हूं। दूसरे के हाथ जोड़ कर और अन्य लोगों के हकों को खत्म करके जो आगे बढ़ जाते हैं, मैं ऐसे आफिसर्स को इस देश के लिये घातक समझता हूं और देश के लिये अभिशाप समझता हूं। इस प्रकार के लोग हमारे देश को और प्रदेश को कभी भी ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। मुझे खेद है और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे आफिसर्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये। वह ईमानदार आदमी जो अपने दफ्तर की टेबिल पर सुबह १० बजे से लेकर रात के नौ बजे तक काम करता है आज उसके इंटेरेस्ट को इंज्योर किया जाता है। जिओपार्डाइज किया जाता है, यह बड़ी अनफेयरनेस है और हमारे राष्ट्र के लिये बड़ी भारी घातक बात है। जब तक हम उन बातों पर तवज्जह

नहीं देते, तब तक हम एबव बोर्ड नहीं होते, मैं कहता हूं कि वह सरकारी अफसर हों, मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी मिनिस्टर साहब हों, कोई भी हो, देश के साथ अन्याय करता है। मैं समझता हूं कि इतना ही उसके मुताल्लिक काफी होगा।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बजट जरूर हमको आगे ले जाता है परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे इस उत्तर प्रदेश के अन्दर दिमागों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य की रचना जिसकी झलक हमें इस बजट में मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। प्रदेश में अनएम्प्लायमेंट की प्राबलम, विकास की प्राबलम, खाने पीने की प्राबलम, हेल्थ की प्राबलम, जब तक आप इस पैमाने पर सर्वे नहीं करेंगे और भविष्य के नक्शे में इन बातों की झलक नहीं दिखायेंगे तब तक देश को आगे उठाना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें भविष्य का लक्ष्य होता, अगर आप दो पैसे गरीबों के उत्थान के लिये देते तो मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा पैदा होती। परन्तु मुझे खेद है कि भविष्य का नक्शा कोई नहीं है। उत्थान तो होगा, पांच साल में भी हो सकता है और दस साल में भी हो सकता है लेकिन उसकी एक झांकी हमारे बजट में भी होनी चाहिये थी। हम मुसीबतों से नहीं घबराते हैं। मैं कवि के शब्दों में बताना चाहता हूं कि :

"O wind, if winter comes can spring be far behind.?"

मुसीबतों के बाद ही आराम मिलता है। मुसीबतों के बाद ही हमारे राष्ट्र के अन्दर एक नयी जिन्दगी का जन्म होने वाला है। अगर डिससैटिस्फैक्शन है तो वह इस बात का द्योतक है कि अच्छा समय आगे आने वाला है। पतझड़ के बाद बसन्त आता है।

बहुत सी स्पीचें इस हाउस में सुपरफ्लुअस हुई हैं। मैं उन पर अपना समय खराब करना नहीं चाहता। परन्तु इतना अवश्य है कि इस सदन के अन्दर हमारे गांवों के लोगों की आवाज बुलन्द होनी चाहिये और अगर हम गांवों से दूर भागते हैं, तो उत्तर प्रदेश से दूर भागते हैं और उत्तर प्रदेश के हित से अपने को उतना ही दूर करते हैं। इसलिये मेरे भाई जिन्होंने गांवों की दशा का एक चित्र यहां पर खींचा है उन्होंने ही हमारे साथ न्याय किया है और हमें उस ओर अवश्य कदम उठाना चाहिये।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मेरे ऊपर कृपा की इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। श्रीमान् मंत्री महोदय ने जो बजट सन् १९५५-५६ का हाउस के सामने रखा है वास्तव में यह कल्याणकारी बजट है। दस वर्ष पहले के बजट भी देखने और पढ़ने में आये परन्तु आजादी मिलने के बाद आज जो यह बजट हाउस के सामने आया है इसमें कोई दो रायें हो नहीं सकतीं कि देश के लिये और उत्तर प्रदेश के लिये यह कल्याणकारी बजट है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहा हूं।

कुछ कहने के पहले मुझे एक कहानी याद आ गयी। वह कहानी कब याद आयी, जब हमारे मित्र पांडेय जी ने एक कहानी सुनायी। तो मुझे एक किताब में पढ़ी हुई कहानी याद आ गई। मैं उस बात को आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। कुछ अंधे इकट्ठे हुये, यह हंसने की बात नहीं है। जरा गौर कीजिये और वहां पर आ गया एक हाथी। आने के बाद अंधों ने हाथ दे दे कर छूना शुरू किया। एक ने पेट की तरफ हाथ लगा दिया और दूसरे ने पूछा हाथी कैसा है तो वह कहता है कि दीवार जैसा। दूसरा अंधा जाता है और सूंड की तरफ हाथ लगा देता है। लोग पूछते हैं कि हाथी कैसा है, वह कहता है कि खम्भा के जैसा। इसी तरह से तीसरे अंधे ने दुम पकड़ी। दूसरे ने पूछा हाथी कैसा है, वह बताता है, कि रस्सी की तरह। अंधे बेचारे तो हाथी को देख नहीं सकते थे, जैसा उनको मिला उसी किस्म से बताना शुरू किया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि समाजवाद की रूपरेखा क्या है? लोहिया साहेब की समाजवाद की रूपरेखा कुछ और है, हमारे पूज्य नरेंद्रदेव की समाजवाद की रूपरेखा का रूप

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

दूसरा है और हमारे जयप्रकाश जी का समाजवाद सर्वोदय है। मार्क्सवादी समाजवाद जो है वह तो चौथा रूप है, तो इस किस्म से वह अंधे वाली बातचीत है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा समाजवाद हुआ। मैं बतलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने जो समाजवाद बतलाया वही समाजवाद पं० जवाहरलाल जी ने अवाडी कांग्रेस में रखा था। मेरा ख्याल यह है कि अब हमारे भाई को शायद होश आ जाय कि हम ठीक समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं और आगे-आगे एक-एक कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही मुझे यह भी कहना है, एक नज्म याद आ गयी जरा इस पर भी ध्यान दें; महाराज वह यह है—'खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ भी न हो, मैं तो आशिक हूं तुम्हारे नाम पर"। यहां तो एक चीज है मतलब कुछ हो न हो, मुझे तो गाली देना, कोसना है, विचार करना है ही नहीं। वास्तविक जो सात वर्ष के अन्दर जब से कांग्रेस सरकार पावर में आयी, देश में विकास हुआ, देश उन्नति में चल रहा है, देश की आर्थिक अवस्था क्या है, देश कहां तक आगे बढ़ा इसके ऊपर न देख कर सिर्फ एक ही बात बजट में देखा—यह दोष है। आज खाद्य समस्या हल नहीं हुई, तो आज कपड़े की समस्या हल नहीं हुई, आज मद्य निषेध नहीं हुआ, और चारों तरफ गांजा बिक रहा है, शराब बिक रही है। नाना रकम की बातें उन्होंने बतलाना शुरू कर दिया। यह मैंने विरोधीदल के नेता के मुंह से नहीं सुना, आज तीन चार साल से इस हाउस में हैं, जो विरोधी पक्ष का कर्तव्य है, जहां तक दुनिया में देखा जाता है कि कोई रास्ता कोई सजेशन या ऐसी बात बतलायें कि इस तरीके से काम करें जिससे देश का कल्याण हो सकता है। यह सजेचन मैं दे रहा हूं आप इस तरह से चलिये, अगर उसको सरकार न माने तो अगले बजट के मौके पर उनका कहना उचित होगा। मैं गत वर्ष भी यही ख्याल रखा। शायद हमारे मित्र राजनारायण जी हैं नहीं। मैं उनसे अच्छी तरह से परिचित हूं कि हमारे मित्र राजनारायण जी का ख्याल क्या है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं।

मैं आपकी इजाजत से कुछ थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। उस तरफ के भाइयों ने और कुछ इस तरफ के भाइयों ने भी बतलाया कि वास्तव में यह बजट घाटे पर चल रहा है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हमारी आय लगभग ८४।। करोड़ होगी और खर्चा भी करीब करीब ९० करोड़ होगा। इसलिये यह ५।। करोड़ रुपये का घाटा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार पूंजी खाते से ३२,७० लाख रुपये और भी खर्च करेगी। पिछले वर्ष में १९५४–५५ की अपेक्षा आगामी १९५५–५६ में पूंजी खाते से दुगुना से अधिक रकम खर्च होगी। इससे सिंचाई तथा बिजली योजनाओं पर और लगभग १६ करोड़ रुपया निर्माण कार्यों में भी लगाया जायगा। ५।। करोड़ रुपया पूंजी खाते से लिया जायगा। गतवर्ष की अपेक्षा सामूहिक योजनाओं पर ३५४ लाख रुपया खर्च होगा, भूमि व्यवस्था में ६७ लाख रुपया, कृषि पर ७४ लाख रुपया और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में ५६ लाख रुपया और कृषि उपनिवेशन में ४५ लाख रुपया अधिक खर्च होगा। पुलिस पर ५५ लाख रुपया होगा। तो इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि हम पारसाल से इस वर्ष देश में उत्पादन, सिंचाई, निर्माण कार्य वगैरह पर खर्च करने के लिये ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में और एक उल्लेखनीय बात यह है कि स्वाधीनता प्राप्त होने के पूर्व राज्य सरकार ने ४५–४६ में विकास कार्यों पर चालू आय खाते से केवल १२।। लाख रुपया और पिछले साल १।। करोड़ रुपया पूंजी खाते से खर्च किये थे। कुछ समय पूर्व भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने हमारी राज्य सरकार को यह सलाह दी थी कि आप अपना बजट सन्तुलन करने का प्रयत्न करें परन्तु इस सलाह पर हमारी सरकार नहीं चली। राज्य सरकार का बजट वास्तव में कुछ घाटे पर है। मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण का स्वागत करता हूं कि सरकार खर्च में किफायतसारी करके अपने घाटे को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। अगर उससे नहीं हुआ तो वह राज्य संचित निधि से लेकर खर्च करेगी। परन्तु कर लगाने का कोई विचार नहीं है। लेकिन हमारे मित्र श्री राजनारायण

जी ने कहा, न जाने उनको कहां से इसकी सुगन्ध मिली, कि इससे यह हिन्ट मिलता है कि आगे चल कर वह टैक्स लगाया जायगा।

यही नहीं कि आज देश में जिस प्रकार से हमारी अन्न की समस्या हल हुई है, आप श्रीमन् जानते हैं और हाउस का हर एक मेम्बर इस बात से विज्ञ है कि हमारी आज अन्न की समस्या बिल्कुल तो नहीं किन्तु एक प्रकार से वह दूर हो गयी है। हां, यह बात जरूर है कि देश में कुछ बेकारी बढ़ी है। इस बेकारी के बढ़ने के दो कारण हैं। एक तो यह है कि हमारे देश में इंडस्ट्री की कमी है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे, अगर्चे उसकी तरफ सरकार का ध्यान है और अगर वे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज बनायें तो मेरा ख्याल है कि यह जो नौजवान बेकारों की समस्या है उसके हल होने का एक रास्ता यह हो सकता है। दूसरा रास्ता गांवों और देहातों में छोटे-छोटे गृह उद्योगों का है। जैसा कि हमारे गांधी जी का विचार था और विचार ही नहीं उनका यह मत था कि गांवों को जिस चीज की जरूरत हो वह वहीं पैदा की जाय, तभी यह बेकारी की समस्या हल हो सकती है, नहीं तो मेरे ख्याल में यह हालत बहुत कठिन है। आज मैंने बजट पर वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ा। उस दिन उनको सुनने के बाद उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसमें एक चीज की झलक नहीं पायी और वह यह चीज है कि इसमें किसानों, देहाती रकबे तथा दूसरे संप्रदायों का ख्याल किया गया है, लेकिन उसमें गरीबों का कोई ख्याल नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग के लोगों की ओर बजट में कोई संकेत नहीं है। मेरे भाई बतला रहे हैं कि उनके लिये मकान बनाये जा रहे हैं। मैं मकानों की समस्या को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। शहरों में मकान की बड़ी भारी दिक्कत है। एक-एक मकान के खाली होने के बाद ३-३ सौ, ४-४ सौ दरख्वास्तें पड़ती हैं, लेकिन गरीबों और बीच वाले मध्यमवर्ग को उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट ने इस बारे में एक जी० ओ० निकाला है कि गवर्नमेंट के अधिकारियों को प्रीफरेंस दिया जाय, फिर मेम्बरान को, उसके बाद रिफ्यूजीज को, इसके बाद नागरिकों का नम्बर आता है। वक्त करीब आ गया है, लेकिन मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट से यह इस्तेदुआ करना चाहता हूं कि मध्यमवर्ग की हालत इस समय खराब हो रही है, उनमें आज बहुत बेकारी बढ़ रही है। आज हमें जो आजादी मिली है वह मध्यमवर्ग के नेताओं के कारण मिली है, किसानों ने उसमें सहयोग दिया, लेकिन जिन मध्यमवर्ग के नौजवानों ने उसमें काम किया अगर हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि बेकारी की हालत में वे कम्युनिज्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से वे उधर की ओर बढ़ते गये तो इन्कलाब हमारे देश में होगा उसको रोकना मुश्किल हो जायगा। मैं आपकी मार्फत यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को उनकी बेरोजगारी की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको शिक्षा की हालत को भी देखना चाहिये। आज शिक्षा की हालत यह है कि वह दिनों दिन गिरती जा रही है और हमारी सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज स्कूल और कालेजेज में जाइये ४-४-५-५ किताबें पढ़ाई जाती हैं, एक-एक विषय की और ४-५-६ विषय पढ़ाये जाते हैं। एकोनोमिक्स, साईकोलोजी, हिस्ट्री, भूगोल इस तरह से अनेक विषय रक्खे हुए हैं। आप क्यों नहीं, एक विषय को लेते हैं? चाहे वे साइंस, मेथेमेटिक्स हो जो उसमें जाना चाहें उनको लिया जाय, जो साईकोलोजी पढ़ना चाहे उसमें उनको लिया जाय, जो भूगोल पढ़ने वाले हैं उनको भूगोल दी जाय, जो इतिहास पढ़ने वाले हैं उनको इतिहास दिया जाय। अगर इस किस्म से पढ़ाई होगी तो लड़कों का विकास होगा, वे अपना दिमाग लगा सकेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो बजट भाषण हुआ है वह हमारे प्रदेश और देश के लिये अपना एक महत्व रखता है और उसके लिये वित्त मंत्री हमारी बधाई के पात्र हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के आरम्भ में यह

[श्री नवलकिशोर]

बताया कि सरकार की यह नीति है कि वह प्रदेश के अन्दर एक सामाजिक ढांचे को बनाना चाहती है। सोशलिस्ट तरीके का समाज स्थापित करना चाहती है और वह समाज ऐसा होगा जिसके अन्दर उत्पादन के साधन या तो समाज की मिल्कियत होंगे या उसके नियंत्रण में होंगे और अधिक उत्पादन से जो धन पैदा होगा उसका न्यायसंगत वितरण किया जायगा। इस आदर्श के अनुसार जो आर्थिक नीति अब तक रही है उसमें भी तब्दीली की जायगी। विरोधीदल की ओर से जो भाषण हुए उनमें इस बात की बड़ी मखौल उड़ाई गयी कि यह किस प्रकार से सामाजिक ढांचा है और यह किस किस्म का सोशलिस्ट पेटर्न है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो हमारा बजट है वह सोशलिस्ट बजट नहीं है।

मैं टेक्निकलिटीज में न जाते हुए अपने दोस्तों को यदि सन्तोष हो तो उनसे यह कहूंगा कि मैं भी इस बजट को पूर्णतया सोशलिस्ट बजट नहीं मानता। और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं भी ५वें पृष्ठ पर यह कहा है कि "जो कुछ अब तक निवेदन किया गया उससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट प्रकार के कल्याणकारी राज का रूप हर साल निखरता जा रहा है। सरकार का यह पक्का इरादा है कि अगली पंचवर्षीय योजना ऐसी हो जिससे यह निखार और बढ़े और समाज में ऐसी खुशहाली पैदा हो जिसकी बुनियाद न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी पर कायम हो"। इससे ज्यादा कहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा है और न दावा ही किया है। तब मैं समझता हूं कि इस प्वायंट पर ज्यादा बहस करना कोई मानी नहीं रखता है। हां, प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य हो सकता है। एक परेशानी हमारी यह भी है कि हमारे सामने कोई सोशलिस्ट बजट नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी खोज की कि मैं भी जानूं कि आखिर सोशलिस्ट बजट क्या है। हमारे दोस्तों की बदकिस्मती थी कि हमारे देश में कहीं भी उनकी गवर्नमेंट कायम नहीं हुई। कुछ समय के लिये ट्रावनकोर कोचीन में उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला और मैंने बड़ी कोशिश की कि वहां के जो माननीय वित्त मंत्री जी पी० एस० पी० के थे उनके बजट भाषण को देखूं और मालूम करूं कि कौन सा जादू का डंडा है उनके पास जिसको फूंक कर वे तमाम स्टेट को थोड़े ही समय में समाजवादी बना सकते हैं। मगर मैं उसको हासिल न कर सका। मेरे पास वह बजट नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि अपने १०-११ महीने के समय में वे वहां कोई खासतौर पर समाजवादी ढंग की प्रथा नहीं चालू कर पाये और उस राज्य की स्थिति हर दशा में बिगड़ी ही। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में यह भी बतलाया है कि हर दिशा में हमारे इस प्रदेश ने क्या-क्या प्रगति की है। जहां तक प्रदेश की प्रगति का ताल्लुक है, इस प्वायंट पर मतभेद हो सकता है कि उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार तेज थी या मन्दी थी लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि इस प्रदेश ने कोई प्रगति नहीं की है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा कहता है तो वह बिल्कुल असत्य है। जहां तक नहर विभाग की बात है, कृषि की बात है, गल्ले की बात है या एजुकेशन की बात है, अस्पतालों की बात है, किसी भी ग्रांट को देखें तो हमको दिखलाई पड़ता है कि हमारे प्रदेश ने काफी उन्नति और प्रगति की है। इसके बाद भी अगर कहा जाय कि कोई प्रगति नहीं हुई तो यह बिल्कुल वही बात हुई कि सूरज को देख कर यदि कोई कहे कि अन्धकार है, तब इसमें सूर्य का दोष नहीं है, बल्कि उसकी आंख में कमी है जिसकी वजह से उसे वह दिखलाई नहीं पड़ता है। श्रीमन्. प्रगति को मापने के लिये तथा यह देखने के लिये कि प्रदेश में जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना हम करते थे वह पूरी हुई या नहीं, मेरा मापदंड यह है कि हर मनुष्य के लिये खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा ये पांच बुनियादी आवश्यकतायें हैं जिसको हर इंसान चाहता है, वह कहां तक पूरी हुई हैं? जहां तक खाने का सवाल है, यह अपनी जगह सत्य है कि इसमें हमारा प्रदेश सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। कपड़े की जो कठिनाइयां पहले थीं वे आज नहीं हैं। इसी

तरह से मकानों की बाबत भी देखा जाय तो हमारी सरकार मजदूरों के लिये हजारों मकान बनवा चुकी है और आयन्दा भी बनवाने जा रही है। हरिजनों के लिये भी म्यूनिसिपैलिटियों ने बहुत से स्थानों पर मकान बनवाये हैं। मध्यम श्रेणी के लिये भी केन्द्रीय सरकार से तीन करोड़ रुपया इस सरकार को दिया जायगा। और उसे मध्यम श्रेणी के लोगों को जिनकी आमदनी ५०० रु० महीने से कम होगी, दिया जायगा। इसी तरह से शिक्षा की बाबत भी मैं समझता हूं कि यदि आंकड़े देखे जायं तो मालूम होगा कि पिछले सालों में हमारे यहां बहुत से स्कूल और कालेज खुले और इस बजट में भी कहा गया है कि एक संस्कृत यूनीवर्सिटी बनारस में खोली जा रही है और गोरखपुर में भी एक विश्वविद्यालय बनाया जायगा। अस्पतालों की तादाद भी काफी बढ़ी है। इस तरह से अगर देखा जाय तो हर दिशा में इस प्रदेश ने काफी प्रगति की है। मगर इसके माने यह नहीं है कि हम अब उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां कि हमको सन्तोष कर लेना चाहिये।

मैं यह समझता हूं कि इस प्रदेश के विकास के कामों में सरकार ने बहुत रुपया खर्च किया है और आगे खर्च करने जा रही है और सरकार चाहती है कि हमारे प्रदेश में चारों तरफ प्रगति हो, उन्नति हो, लेकिन मुझको यह भी कहना है जो आपकी मशीनरी है और जिस मशीनरी के द्वारा आप एक्जीक्यूट करते हैं अपनी योजनाओं तथा नीतियों को, वह अपटूडेट नहीं है। और मेरा विश्वास है कि वह आउट डेटेड तथा आउट मोडेड मशीनरी है और अगर मैं आगे कहूं तो यह भी कह सकता हूं कि यह हैकनीड है। हमारे नये सेट आपके लिये अयोग्य हैं, उसमें न प्रेरणा है और न क्रान्तिकारी विचार। आपको उसका जो आउटलुक है उसको बदलना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मुझको माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी कहना है कि आपकी सरकार का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बहुत टापहेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। मैं देखता हूं कि सरकारी अफसरान की तादाद हर साल बढ़ती चली जाती है, सैकड़ों की तादाद में बढ़ती चली जाती है। "ब्यूरोक्रेसी इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ," हम जानें चाहे न जानें। जो विभिन्न विभाग हैं और जो नये खुलते चले जाते हैं उनके कामों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कई-कई जगह तो डुप्लीकेशन और ट्रिपलिकेशन तक होता चला जाता है। बड़ी-बड़ी तनख्वाहों की बात भी हमारे सामने है। मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने छोटी तनख्वाहों में वृद्धि की है लेकिन उन्होंने २५ रुपये से शुरू होने वालों की तनख्वाह में जो सब से कम है और जो सब से ज्यादा तनख्वाह जो पांच सौ से शुरू होती है १ : २० का अनुपात बताया है और अब उनकी जो कम तनख्वाह पाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़कर ३७ हो जायगी तो पहले जो २० गुने का फर्क था वह अब १३ गुने का रह जायगा, लेकिन उन्होंने शुरू की बात तो कही है, लेकिन आखीर की बात तो उन्होंने नहीं बताई कि आखिर जिनकी तनख्वाह २५ से शुरू होती है उसका आखीर कहां है। पे कमेटी सरकार ने बैठाई थी। यह सही है कि उस पे कमेटी ने कुछ पे में कमी की है, लेकिन उस कमेटी की रिकमेंडेशन्स में भी काफी लूपहोल्स मौजूद हैं और इस सूबे की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उसकी निर्धारित उच्चतम सीमा उचित नहीं है। उसके हिसाब से ही अगर दो हजार की अन्तिम सीमा मान लें और चपरासी की ६० मान लें तो भी मान्यवर एक और ३० का अन्तर होता है। तो केवल दो रुपये तनख्वाह बढ़ा देने से हमारा जो असमानता का प्रश्न है वह हल नहीं होता। इसकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा और ज्यादा अच्छा तो यही होता कि जहां आपने छोटों की २ रुपये तनख्वाह बढ़ाई थी वहां आप दूसरी सर्विसेज की भी जिनकी तनख्वाह ५ सौ से शुरू होती है आप कहते कि वह बजाय ५ सौ रुपये के अब ४ सौ या साढ़े तीन सौ होगी। इसके बाद मुझे यह भी कहना है कि आज कल हमारे यहां चारों तरफ विकास हो रहा है, हर तरफ एक्सपेन्शन तथा एक्सटेंशन हो रहा है और हर मुहकमे में एक्सटेंशन की बातचीत चल रही है और आप हर मुहकमे में एक्सटेंशन

[श्री नवलकिशोर]

सर्विसेज भर्ती करते हुये चले जा रहे हैं। कश्मीर में एक ऐग्रीकल्चर मिनिस्टरों की कानफरेंस हुई थी उसमें यह निश्चय हुआ था कि "देयर शुड बि वन् कामन एक्स्टेंशन सरविस"। तो उनका जो यह प्रस्ताव था बहुत उचित था और हमारे उत्तर प्रदेश के लिये यही उचित है कि एक्सटेंशन के लिये कामन सर्विस एवाल्व की जाय और हर डिपार्टमेंट के लिये अलग-अलग एक्सटेंशन सर्विस बनाना तथा रखना उचित नहीं होगा।

इसके साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हमारे प्रदेश में एक ऐसी नीति बन गई है कि हर साल सरकार मोटरें खरीदती है। बीसियों मोटरें खरीदती है और अपने सरकारी अफसरान को दे देती है। यह बात तो समझ में आती है कि किसी खास डिपार्टमेंट में जहां कांस्ट्रक्शन होता है वहां दो चार गाड़ियां सरकार दे दे लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि हर सरकारी अफसर को सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि उन गाड़ियों का उपयोग ठीक ढंग से नहीं होता बल्कि दुरुपयोग होता है और चूंकि वह गाड़ियां सरकारी होती हैं तो कोई साहब उतना अटेंशन जितना कि अपनी गाड़ियों पर देते हैं या दे सकते हैं नहीं देते हैं। उसका फल यह होता है कि वह गाड़ियां बहुत जल्द खराब हो जाती हैं। मेरा निश्चित मत है कि सरकार को अपनी सरकारी गाड़ियों का देना खत्म करना चाहिये। अफसरान साहबान को चाहिये कि वे अपनी गाड़ियां रखें और यदि इसके लिये उनको पैसे की जरूरत हो तो बिना सूद या कम सूद पर सरकार उनको रुपया ऐडवान्स कर सकती है मगर इस बात से सरकारी गाड़ियां देना उचित नहीं है।

सरकार ने बहुत से प्रोजेक्ट्स चालू किये हैं। हमारा यह अनुभव है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिय जो एस्टीमेट्स होते हैं और उनका जो टाइम शिड्यल निश्चित होता है उसकी कोई पाबन्दी नहीं की जाती है। यह बात तो मैं समझ सकता हूं कि देश की किसी खास योजना के कार्यान्वित करने में किन्हीं विशेष कारणों से उसके एस्टिमेट्स में कुछ तब्दीली हो सकती है लेकिन आम तौर से जितनी भी हमारे पास योजनायें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं बिना किसी एक्सेप्शन के सभी के एस्टिमेट्स दूने, ढाई गुने और तिगुने हो जाते हैं। एस्टिमेट्स का यह तरीका उचित नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। जहां तक टाइम शेड्यूल की बात है, तो यदि शारदा पावर हाउस को देखा जाय या पथरी पावर हाउस को तब आप देखेंगे कि जो टाइम शेड्यूल फिक्स किया गया था उसमें दो-दो, तीन-तीन साल ज्यादा हो चुके हैं और हमारी योजनायें पूरी नहीं हो सकीं। यही हाल अन्य योजनाओं का है। इससे दो नुकसान होते हैं। हमारी जो आमदनी हो सकती है वह आमदनी बन्द रहती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं वे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। लिहाजा टाइम शेड्यूल और एस्टिमेट्स को पूरे तौर पर ध्यान में रक्खा जाय।

डेवलपमेंट का जहां तक सम्बन्ध है हमारा प्रदेश करोड़ों रुपया डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। मेरा विश्वास है कि डेवलपमेंट का जो तरीका है, आफिशियल एजेंसी के मार्फत जो हम उसे कराना चाहते हैं यह उचित नहीं है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ इतने मजबूत हैं जितने कि अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थे। प्लानिंग कमेटीज के वह चेयरमैन हैं और जितनी डेवलपमेंट कान्फ्रेंसेज होती हैं आम तौर से वे ही उनका सभापतित्व करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमारा तमाम विकास का कार्य आफिशियल एजेंसी के थ्रू ही होगा तो उसमें ज्यादा कामयाबी मिलने वाली नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आफिशियल एजेंसी बिल्कुल ही खराब है, आफिशियल

एजेंसी से भी कराया जाय, उनका सहयोग लिया जाय। लेकिन मेरा विश्वास है कि अधिकांश आफिसर्स उनमें ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूं कि शायद डेवलपमेंट के हमारे तरीकों में विश्वास भी न हो, मुझे यह भी सन्देह है कि बहुत से उनमें ऐसे भी हैं जो विकास की पूरी–पूरी टेक्निकल तथा उसकी स्प्रिट को जानते भी नहीं हैं और समझते भी नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि जिला नियोजन कमेटीज का सभापति गैर-सरकारी आदमी होना चाहिये ।

मुझे ला एण्ड आर्डर की बाबत भी एक बात कहनी है। बजट भाषण में कहा गया है कि हमारी पुलिस ने डाकुओं के गिरोह को खत्म किया है सो श्रीमन् उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी सही है कि इस पर लाखों रुपया खर्च हुआ है। अगर आन दी होल देखा जाय कि कितना खर्च हुआ और कितनी सफलता मिली तो मैं कह सकता हूं कि ला एण्ड आर्डर के मामले में कामयाबी ज्यादा अधिक सन्तोषजनक नहीं है।

एजूकेशन के बारे में एक बात यह कहनी है कि एजूकेशन पर काफी रुपया खर्च किया गया है लेकिन मैं देखता हूं कि ७ साल बीतने के बाद भी एजूकेशन की कोई स्पष्ट नीति को हम अभी तक न निर्धारित ही कर सके हैं और न कामयाबी के साथ चला ही पाये हैं और उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है। आज का ग्रेजुएट है "जेक आफ आल ट्रेड एण्ड मास्टर आफ नन"। शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिर रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी कोई एजूकेशन की एक स्पेसिफिक नीति को लानी चाहियें। हर दिन जो नये नये एक्सपेरीमेंट्स किये जा रहे हैं इनसे हानि होती है ।

अन्त में सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि मार्च के महीने में जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है यह उचित नहीं है। जो पैसा पहले खर्च नहीं हो पाता है वह इस डर से कि कहीं लेप्स न हो जाय उसको खर्च करने के लिये आफिसर्स में एक होड़ सी लग जाती है और मार्च के महीने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है और उसके अन्दर बहुत काफी बरबादी होती है और बहुत ज्यादा लूपहोल्स होते हैं। मुझे आशा है है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी।

मैं अन्त में पुनः वित्त मंत्री जी को उनके भाषण के लिये बधाई देता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस ५५–५६ के आयव्ययक लेखे पर मुझे आपने विचार व्यक्त करने का समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बजट को यहां प्रस्तुत करने के लिये बधाई देना चाहता हूं, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी और इस सरकार ने जो एक घोषणा की है कि वे एक समाजवाद व्यवस्था इस प्रदेश में लाना चाहते हैं उस संबंध में मैं इस प्रदेश के कुछ हालात सदन में माननीय वित्त मंत्री के सम्मुख रखना चाहता हूं। देश और प्रदेश में इस घोषणा के पूर्व भी अवाड़ी कांग्रेस सेशन के बाद बड़े जोर से समाजवाद की चर्चा हुई और जिस महात्मा गांधी के राम राज्य की सारे देश ने चर्चा की वह मुझे कहीं इस प्रदेश में दिखाई नही देता। फिर एक प्रस्ताव पास हो गया और उसका हमारे प्रदेश के नेता और सभी लोग एक दम इतना प्रचार कर दें उस के लिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस समाज को बनाने के लिये आज बातों से काम नहीं चलेगा इसके लिये हमें काम करना होगा और "करतूती कह दे सांइयां, अब न कहिये सांई ।"

यह बात हमें अपनानी पड़ेगी । हमारा यह प्रदेश बहुत बड़ा है, यहां के नेता बहुत बड़े हैं लेकिन मैंने पंजाब, मद्रास और दूसरे प्रांतों में जनता के बीच में घुस कर उसकी हालत को जानने की कोशिश की है। वहां की जनता अगर यह कहती है कि हम अपने समाज को तेजी से उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं तो हम यहां उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीलण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

में इस बात पर गौर करने के लिये कहना चाहते हैं। जब मैं इस सरकार का बजट और घोषणाओं और आये दिन पास होने वाले प्रस्तावों को देखता हूं और जब जनता के बीच में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि हमारी हालत उस कहावत सी हो जाती है कि कागज देखा यों, और कुनबा डूबा क्यों। कागज क्या कहता है ? जनता क्या कहती है ? हमारा बजट ९१ करोड़ से कहीं ऊपर हो गया, मैं मानता हूं लेकिन यह बजट तो वैसा ही बजट है जैसे रेगिस्तान में नहर निकाली जाय। रेगिस्तान की नहर का पानी नहर की जमीन में ही सूख जाता है खेती के लिये खेतों में नहीं पहुंच पाता। सरकार का यह लम्बा चौड़ा बजट सरकार के कर्मचारी, सरकार के साधन और सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं में ही खत्म हो जाता है और जो कुछ बचा हुआ हिस्सा समाज के गरीब लोगों, गांव में गरीब जनता के पास जिस रूप में पहुंचता है उसे हम कह पाते हैं कि जनता आज ठंडी सांस नहीं ले पा रही है। अगर मैं इस प्रदेश की सुरक्षा के बारे में कहूं तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बुलन्दशहर ही क्या उस तरफ जा कर देखें कि वहां किस तरह की अराजकता फैली हुई है। गांवों में एक हाहाकार मचा हुआ है। पता नहीं क्यों हमारे मंत्रियों का और पुलिस का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जा रहा है। जिस दिन चाहें उस दिन, जिसका चाहें उसका कत्ल वहां हो रहा है। पश्चिमी जिलों में आज गांव का रहने वाला अपनी जान सुरक्षित नहीं समझ रहा है। आप पुलिस की रिपोर्ट को देखें। उसकी एक पत्रिका में बड़ा सुन्दर एक फोटो देखने को मिला कि थानेदार और सिपाही सब मिलकर टिड्डी मार रहे हैं। मैंने उस फोटो को बड़े गौर से देखा, मालूम पड़ता है कि यह पुलिस के लिये बड़े कारनामे की बात है कि वह टिड्डी मारने में सहायता कर रही है। डेवलपमेंट का काम हमारे प्रदेश में यूं ही लटक गया। कलेक्टर भी रिपोर्ट लिखता है, पुलिस भी उसकी रिपोर्ट लिखती है, मुंसिफ भी रिपोर्ट लिखता है, डिप्टी भी उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और सभी श्रमदान और प्लैनिंग में लगे हुये हैं, तो सुरक्षा और ला एन्ड आर्डर कैसे कायम रह सकता है ? प्लैनिंग का काम आवश्यक है और ऐसा ही समझ कर हमने वह काम एक ऐसे उपमंत्री को दिया है कि जो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य में ओतप्रोत है। जो आज ग्रामीण समस्या है उसको अच्छी तरह से समझ कर यह प्लैनिंग का काम जैसे कराया जाना चाहिये उसकी मैंने कई बार चरचा की है, अनेक बार क्वेश्चन किये हैं। इस बजट में तो प्लैनिंग का कम होता है उन अफसरों के द्वारा जो चिक उठाने के लिये चपरासी रखते हैं और श्रमदान और प्लैनिंग के नाम पर सरकारी भत्ता और इसी प्रकार बजट का सारा रुपया खर्च करते हैं।

मैंने बार-बार कहा और आज फिर कहता हूं कि जिन लोगों में प्रेरणा देने की शक्ति नहीं, जो सादा तरीके से नहीं रह सकते हैं वे कभी भी प्लानिंग के काम में कोई अधिकारी न दिया जाय। सरकार ने अनेक योजनायें चालू कर दी, मैं तो कहता हूं कि योजनाओं को कम करे और जो सरकार ने अंधाधुन्ध फौज बढ़ाई है उसको कम करे। हम बहुत जोरों से कहते थे जनता में जाकर, और जब कम्युनिस्ट भाई कभी रूस की बात कहते थे तो और जोरों से कहते थे कि सरकार के बस में तश्तरी बांटना नहीं है। हमारे बजट में कहा गया है कि गरीब जच्चाओं को दूध बांटा जायगा, हमने सीमेंट बांट कर देखा, हमने तेल बांट कर देखा, कोयला बांट कर देखा और सरकारी कर्मचारियों का जितना आधिपत्य इन छोटी-मोटी चीजों के बांटने में होगा, न राम राज्य होगा न समाजवादी ढांचा होगा। गरीब जच्चा को दूध सरकार के हुक्म के बाद मिलेगा। आज मैं कहता हूं कि यह तरीका सरकार का कमजोर बनाने का है। सरकार को चाहिये कि ऐसे साधन मुहैया करे जिससे हमारे गरीबों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो वरना इस तरह से तो जनता को काहिल बना देगी। जिस राम राज्य का स्वप्न महान् देवता ने दिया था आज उसको तो भूल गये और एक नया गाना हमने शुरू कर दिया। मैंने तो अध्यक्ष महोदय, गांवों में देखा है हमारे गांवों में जो राम लीला शुरू होती है तो वे भी राम लीला के गाने गाते हैं, जो लड़कियां होती हैं वे भी राम लीला के एक्ट्रेस की तरह से बातें करती हैं और किसी दूसरे किस्म की और बात हो जाय तो वह भी वही कहने लगती हैं। देश का एक-एक बच्चा यह चाहता है, दिन रात हम यह चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था हो, जो असमानता है

वह दूर हो लेकिन क्या इन प्रस्तावों से और घोषणाओं से हो जायगा, हरगिज नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जमीन आसमान का अन्तर है समाज में। मैं साधनों के बारे में कहता हूं, मेरे साथ कुछ साथी टहलने जाया करते हैं, एक कार रोजाना दो वर्षों से मैं देखता हूं कि दो कुत्तों को रोजाना हवा खिलाने के लिये जाती है लामार्टीनियर ग्राउन्ड की तरफ। और एक अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि अब तो मैंने कहना बन्द कर दिया क्योंकि वहां के जो मेरे और साथी हैं वह कहते हैं कि तुम बहुत संकीर्ण हो, हमेशा अपने ही क्षेत्र की बात करते हो कभी बाहर की भी बात कहा करो, लेकिन मुझे कहना पड़ा कि आज लखनऊ में कुत्तों को टहलाने के लिये मोटर जाती है, मेरे साथी सरदार जी ने भी देखा है, अब २ के बजाय ३ कुत्ते हो गये हैं। और दूसरी तरफ हमारे गांव का एक ६० साल का बुड्ढा जमीन के मामले में गवाही देने गया तो उसने तो यह सब साधन पहली ही बार में देखे थे कभी मौका ही नहीं पड़ा, उसका बेचारे का वकीलों ने मजाक किया, बेचारे ने जूते हाथ में ले लिये। तो गरीब जनता के लिये साधन नहीं है और उसके खिलाफ यहां लखनऊ में केवल कुत्तों को टहलाने के लिये एक मोटर जाती है। शहर में बड़े बड़े साधन हैं, तो समाज में बड़ी असमानता है।

अब आबपाशी की चर्चा होती है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों में आबपाशी अभी की नहीं है, यह समाजवादी ढांचा नहीं है इसलिये नहीं कह रहा हूं। पूर्वी जिलों में ८ रुपया एकड़ आबपाशी की दर है, हमने सवाल किये कई दफा, बेतवा की नहर पर १६ रुपया एकड़ है, हमारे पश्चिमी जिलों में ३२ रुपया एकड़ आबपाशी है, यह समाजवादी व्यवस्था है। हमने अनेक बार कहा कि आबपाशी पश्चिमी जिलों में इतनी है कि असमानीय हो गई है, हमारा किसान कराह रहा है। हम सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और कहते क्या हैं कि पश्चिमी जिले बहुत मालदार हैं, उनकी माली हालत अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में एक कहावत है कि मथुरा में कोई सज्जन अपनी ससुराल में गये वहां श्रंगार का बड़ा एक तरीका है (कोई सज्जन अगर मथुरा के हों तो मुझे माफ करेंगे)। तो वहां उनकी सालियां वगैरह थीं, उन्होंने कहा कि जमुना नहाने चलें जीजा साहब। जीजा साहब सीधे-साधे थे। चल दिये उनके साथ जमुना नहाने। जब वह नहाने लगे तो सारी लड़कियां उनके ऊपर चढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि जीजा जी बेचारे डूबने लगे और यहां तक कि डूब गये, उनके प्राण पखेरू उड़ गये और फिर जब उनका शरीर बाहर उतराया तो उनके दांत बाहर निकले हुये थे। लड़कियों ने जब देखा तो कहा जीजा जी तो अभी हंस ही रहे हैं लिहाजा उनको फिर डुबाया। दांत तो निकले थे इसलिये कि बेचारे मर गये थे मगर लड़कियां कहती हैं कि जीजा जी हंस रहे हैं। तो यही हालत है आज हमारे यहां की जनता की। हम रोज अपने यहां घूमते हैं और देखते हैं कि जनता परेशान है, मरी जा रही है, मगर मंत्री जी कहते हैं और लोग कहते हैं कि पश्चिमी जिले की जनता बड़ी खुशहाल है। हमारे यहां विभाजन का सवाल उठा। हमने भी उस पर दस्तखत किये। सरकार ने उसको रोकने का बड़ा प्रयत्न किया। बहरहाल इस चर्चा को तो यहां मैं नहीं छेड़ूंगा लेकिन उसके बाद मैंने अखबारों को पढ़ा, अखबारों को देखा। उस विभाजन के प्रश्न के बाद किस होशियारी से काम लिया जाता है उसको देखा। होशियारी से काम करने की क्या जरूरत थी? संयम और सद्भावना से काम लेना चाहिये था। मगर मैंने अखबारों में प्रोपेगेंडा देखा। अपने जिले में भी मैंने देखा कि ८० ट्यूबवेल की खबर गई। हम लोग खुश हुये कि ८० ट्यूबवेल हमारे यहां लगेंगे। मगर यह ८० ट्यूबवेल कैसे लगेंगे, यह जब देखा तो अगली बात मालूम हुई। इसके लिये हुक्म आया कि ८० ट्यूबवेल जो देंगे तो मांठ ब्रांच नहर को ४० मील तक खारिज कर देंगे। कारण क्या बताया जाता है कि आगरा और मथुरा जिले को हम सींच रहे हैं। हमें किसी जिले से या प्रदेश के किसी भाग से कोई शिकायत नहीं है लेकिन यह ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? अगर सचमुच समाजवाद है तो सारे प्रदेश में समान ढंग से वितरण होना चाहिये, समान ढंग से टैक्स लगाना चाहिये, समान ढंग से सबकी समस्या हल करनी चाहिये। बजट का तो यह हाल है अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां गांवों में आजकल तो नहीं लेकिन पहले एक परम्परा थी कि शादी में जब नौशा अपनी दुलहिन को लेकर चलता था तो उसके ऊपर बिखेर हुआ करती

[श्री रामचन्द्र विकल]

थी। तांबे के पैसों की बिखेर हुआ करती थी। लोग ऊपर से पैसे फेंकते थे। तो इसमें कुछ होशियार भंगी जो होते थे वह ऊपर ही ऊपर छड़ में कपड़ा बांध कर या और किसी तरीके से सारा पैसा ऊपर ही ऊपर लूट लिया करते थे, पैसा जमीन पर गिरने ही नहीं पाता था। लेकिन जो गरीब होते थे, जिनको तरकीब नहीं आती थी, वह आपस में ही लड़कर मर जाते थे। रेत उनकी आंखों में भर जाती थी मगर एक पैसा भी उनको नहीं मिलता था। वह होशियार भंगी सारा पैसा ऊपर ही ऊपर लूट लेते थे। तो वही हालत हमारे इस बजट की भी है। मैं अनेकों उदाहरण रख सकता हूं सरकार के सामने कि क्यों जनता को पैसा नहीं मिल पाता है और कैसे चन्द होशियार लोग उसको बीच ही में लूट लेते हैं। बिजली कर बढ़ा शहरों में हड़ताल होती है। जैसे कि लाड़ले बेटे जो होते हैं वह त्योहार के दिन रूठ जाया करते हैं उसी तरह की बात होती है। हड़ताल हुई, हमने देखा कि १५ मिनट तक बिजली नहीं जली। पूछा, मालूम हुआ कि बिजली कर के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। बिजली नहीं जलायेंगे इससे सरकार बिजली कर को माफ कर देगी। वही लाड़ले बेटे वाली बात कहनी पड़ती है अध्यक्ष महोदय, कि जैसे वह त्योहार के दिन रूठ जाया करते हैं। वैसे ही उनको बिजली मिल रही है, बिजली पर से कंट्रोल हट रहा है, एक-एक गली इनकी पोख्ता हो गई, सारी सुविधायें इनको दी जा रही हैं मगर फिर भी रूठे रहे हैं कि सरकार ने बिजली कर क्यों बढ़ा दिया। हमारे यहां देहातों में अनाज का भाव गिर जाने के बावजूद भी सरकार सिंचाई के रेट को घटाने का नाम तक नहीं लेती है। गांधी जी के रामराज्य की सस्ती शिक्षा का जो स्वप्न है, शर्मा जी अगर नाराज न हों तो मैं बता दूं कि हमारे यहां तो सन् ४८ में प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुई है। अगर कहीं श्रीमन् जी का सुझाव मानकर युनिवर्सिटी आज बन्द कर दी गई तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुश्किल से २० ग्रेजुएट मेरे इलाके में मिलेंगे, इससे ज्यादा फिर ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे। तो यहां तो युनिवर्सिटी बन्द करने की बात होने लगी और मेरे यहां अभी प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो रहा है। और जूनियर हाई स्कूलों, और हाई स्कूलों के बारे में क्या बताऊं, पहले जो शर्त थी ५०० रु० की वह अब ५०० से १५०० कर दी गई कि १५०० रु० हो। इतनी बिल्डिंग हो, इतना सामान हो तो स्कूल खुले, तो फिर हाई स्कूल कहां से खुल सकते हैं? और फिर एक मुख्यमंत्री फंड की बात चल पड़ी है। तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने वास्तविक बातें सरकार के सामने रखी हैं। सरकार उन पर ध्यान दे।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं प्रस्तुत बजट पर और माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण पर अपने विचार इस सदन के सम्मुख उपस्थित करूं, मैं माननीय रामचन्द्र जी विकल को धन्यवाद देना आवश्यक समझता हूं और देता हूं कि उन्होंने हमारे सरदार जी की तरह हम अंधों में अपना नाम इजाफा करा लिया और लिखा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा और उसके साथ ही साथ बजट के आंकड़ों में भी पहुंचकर पहुंचने की कोशिश की। जहां तक माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है उसे गौर से पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा वह आदमी जो इस राज्य में नहीं रहता, वह अगर माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को पढ़े तो शायद वह इस नतीजे पर पहुंच जाय कि सोशलिस्टिक प्रकार के आवाडी कांग्रेस के निर्णय को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने कार्य में स्थान दे दिया है। लेकिन अगर वह राज्य का रहने वाला है और राज्य के दुख और सुख संबंधी सरकार के बनाये गये नियमों का वह पालन करता है तो फिर वह किसी और उल्टे नतीजे पर पहुंचेगा। सोशलिस्ट प्रकार के समाजवादी राज्य के ढांचे का श्रीगणेश करने की बात माननीय वित्त मंत्री ने कही।

श्री अध्यक्ष—सदन में शांति रहे। बातें जोर की न हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और बड़े उसके प्रतिपादन में मैंने रामनरेश जी शुक्ल, सरदार जी का और बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुनें। मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान बजट के पन्नों की तरफ अगर ले जाऊं तो बड़ा समय खर्च होगा लेकिन कुछ बातें मैं बजट से बतलाना आवश्यक समझता हूं। माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में कहते हैं कि एक और तेरह का अन्तर उन्होंने अब काम करने वालों के अन्दर नियत कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। बजट की जो नयी मदें हैं, उनमें २१९ पेज पर अगर देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति होगी जिनकी तनख्वाह २५० रुपये से बढ़ती हुई ८५० रुपये तक जायगी, लेकिन वहीं पर एक चपरासी की नियुक्ति २० रुपये में होगी और उसकी वृद्धि अन्त में जाकर २५ रुपये पर रुक जायगी। इस प्रकार यह ३४ गुना का अन्तर हो गया। २२१ पेज पर कृषि अधिकारियों की नियुक्ति होगी जिनकी २५० से तनख्वाहें बढ़ कर ८५० रुपये तक जायंगी और वहीं पर उनके चपरासियों की तनख्वाहें २० रुपये से शुरू होंगी और २५ रुपये पर जाकर समाप्त हो जायंगी। २२५ पेज पर आप देखें कि स्टैटीशियंस की नियुक्ति ५०० रुपये पर होगी और १,२०० तक जायगी और वहीं पर चपरासियों की नियुक्ति २० पर होगी और २५ पर उनकी तनख्वाह समाप्त हो जायगी। २४९ सफे पर देखें कि असिस्टेंट इंजीनियर्स नियुक्त होंगे २५० पर और ८५० तक उनकी तनख्वाह जायगी, जब कि चपरासियों की तनख्वाह वहीं २० से २५ रुपये तक रहेगी। मैं एक सवाल माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक चपरासी की नियुक्ति में क्या वह उनके परिवार वालों का भी ख्याल रखते हैं कि उनके परिवार में कोई और लोग हैं और सारे परिवार की जिम्मेदारियां उसी के ऊपर है, तो क्या २० या २५ रुपये में वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर "हां" में है तो मैं मान सकता हूं कि यह समाजवादी प्रकार का बजट है लेकिन आज की परस्थिति में अपने देश में २०-२५ रुपये में अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह से कोई नहीं निभा पाता। एक आदमी की १,२०० रुपये तनख्वाह और दूसरे की २५ रुपया साफ जाहिर करती है कि माननीय मंत्री जी का बजट समाजवादी प्रकार का कदम नहीं है बल्कि एक पूंजीवादी कदम है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी देश, किसी भी गरीब देश का बजट जो होता है, यह निश्चित है कि उस देश के गरीबों के अंगों प्रत्यंगों से संचित खून का एकत्रीकरण होता है और यह एकत्रीकरण हमारे बजट की निधि है। तो हमको फिर विचार करना पड़ेगा कि हम इस निधि को आसानी से इस प्रकार माननीय मंत्री जी के इस बजट के अनुसार १२-१२ सौ नहीं १०-१० हजार की मोटी तनख्वाहों में बंट जाने दें या नहीं। यदि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन के सम्मानित सदस्य गरीब राष्ट्र की जनता के ८० प्रतिशत किसानों के प्रतिनिधि हैं तो वह पार्टी से दूर हटकर, मैं भी हटूं और आप भी हटें और जैसा कि माननीय रामचन्द्र जी विकल ने कहा है कि हमें भी आज उसका जिक्र करना चाहिये। अगर यह सही है कि यह बजट गरीबों के खून की सिंचित निधि है तो हमें इस पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश की निधि को किस तरह से हम गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचायें और हमने अगर यह फैसला कर लिया है कि गरीबों की इस सिंचित निधि को गरीबों तक पहुंचाना है और उसके लिये हमें कुछ न कुछ करना है तो हमारा सब से पहला कदम यह होना चाहिये कि बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर हम मेड लगा दें और छोटी-छोटी तनख्वाहों को ऊपर उठायें। एक रुपये दो रुपये की बढ़ोत्तरी करके हमारे माननीय मंत्री जी भले ही चमड़े के हाथ से लोहे के ढोल को पीटें, लेकिन भूखे और गरीब मजदूर जो मिलों में ड्यूटी देते हैं और यहां खड़ा हुआ चपरासी इस बात को बतलाता है कि तुम में और उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। इस अन्तर को मिटाये बिना समाजवादी राज्य की कल्पना करना धृष्टता होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे समाजवादी राज्य ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने और इस समाजवादी सरकार ने एक प्रमाण की कसौटी पर खोटा साबित किया है और वह गन्ने का सवाल है जो देश के लाखों नर नारी किसानों से संबंधित है और वह एक काफी रकम टैक्स के रूप में राज्य सरकार को देते हैं। गन्ने के सवाल पर तीन साल से झगड़ा चला आ रहा है और बजट में हम देख रहे हैं

[श्री रामेश्वरलाल]

कि वह बढ़ोत्तरी की तरफ जा रहा है। एक तरफ तो गन्ने का बजट बढ़ाया जा रहा है दूसरी तरफ गन्ने के उत्पादकों की पैदावार घटती चली जा रही है और हमारे गन्ने की कीमत एक रुपये १२ आने मन से घटा कर आज एक रुपये पांच आने मन पर ला दी है। उधर किसानों के आवाज उठाने पर मिल मालिकों को छूट दे दी है कि वह किसानों की गाढ़ी कमाई को वर्षों तक न दें और किसानों को घाटा दिलायें और कास्ट आफ प्रोडक्शन से भी गन्ने की कीमत को नीचे ले जायं, तो यह किस का काम है? यह हमारी इस समाजवादी सरकार का ही तो काम है वह इधर ध्यान नहीं दे रही है। तो म सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से समाजवादी व्यवस्था लाने में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह उनकी कसौटी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नवलकिशोर जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और दवा-दारू वगैरह में हमने काफी तरक्की की है।

श्री अध्यक्ष—अब आपके दस मिनट हो गये हैं। कल आप ५ मिनट अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामेश्वर लाल—२० मिनट होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब तो केवल १५ मिनट ही दिये जा रहे हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२४ फरवरी, १९५५।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

आगरा शहर और जिले में १९५४ में हुये अपराधों का विवरण

		डकैती	कत्ल	चोरी	लड़कियों का अपहरण
रिपोर्ट हुयी	जिला	२४	३०	३९५	२६
	शहर	४	४	१५१	१५
मुकदमें चले	जिला	२०	२३	११९	१९
	शहर	२	३	४७	११
सजा हुयी	जिला	—	१	४५	२
	शहर	—	—	२९	२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३० पर)

१९५३–५४ में गाजीपुर में हुई चोरी और डकैतियों का विवरण

		अपराध संख्या	मरे व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति का नुकसान रु०	आ०	पा०	व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चला	व्यक्ति जो सजायाब हुये	व्यक्ति जो छूटे
चोरियां	१९५३	५५२	३	८	१,५१,३०८	९	३	५५८	१७९	३५८
	१९५४	५९७	–	२१	१,६९,८२५	७	६	५५३	८५	२६३
डकैतियां	१९५३	४	–	१४	६,६७४	१२	०	४३	५	२५
	१९५४	४	१	२५	२१,४७८	९	३	४३	९	२

पी० एस० यू० पी० —ए० पी०—३१४ एल० ए०— १९५५–७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा